रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 253
No. 1] DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933 [N.C.T.D. No. 253

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2012

उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्त विनियम

सं. एफ. 3(290) / टैरिफ / डीईआरसी / 2011–12 / सी.एफ.3180 . आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने तथा विभिन्न अंशधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के उपरांत और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 अनुमोदित करता है।

क1: **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभन और सीमा**

1.1 ये विनियम "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011" कहे जाएंगे।

1.2 ये विनियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम 1 अप्रैल, 2012 से लागू होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाए अथवा विस्तारित नहीं की जाए, प्रारंभन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

परंतु शर्त यह है कि जहां कोई परियोजना, अथवा उसका कोई भाग, इन विनियमों के प्रारंभन की तिथि से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया गया है तथा जिसका टैरिफ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उस तिथि तक निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसी परियोजना अथवा उसके ऐसे भाग के संबंध में, जैसी भी स्थिति है, 31.3.2012 को समाप्त अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2007 के अनुसार किया जाएगा।

क2: **परिभाषाएं और व्याख्या**

2.1 इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो–

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), उसके संशोधनों सहित है;

(ख) **"अतिरिक्त पूंजीकरण"** का अर्थ परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् उपगत किया गया अथवा उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित और आयोग द्वारा विवेक जांच के पश्चात् स्वीकृत पूंजीगत व्यय है, जो इन विनियमों के क्लॉज 6.3, 6.4 के प्रावधानों के अधीन है;

(ग) **"आवेदक"** का अर्थ एक उत्पादक कंपनी है, जो इस अधिनियम और इन विनियमों के अनुसरण में टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन कर चुकी है अथवा वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन कर चुकी है तथा इसमें ऐसी उत्पादक कंपनी शामिल है, जिसका टैरिफ स्वतः प्रेरित अथवा किसी इच्छुक अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अथवा वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अंग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षाधीन है;

(घ) **"अनुषंगी ऊर्जा खपत" अथवा 'एयूएक्स'** का एक उत्पादक केंद्र के मामले में एक निश्चित अवधि के संबंध में अर्थ उत्पादक केंद्र के अनुषंगी उपस्कर द्वारा खपत की गई ऊर्जा तथा उत्पादक केंद्र के भीतर परिणामित्र क्षतियों की प्रमात्रा है, जो उत्पादक केंद्र की सभी यूनिटों के उत्पादन टर्मिनल्स में उत्पादन की गई सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाती है;

(ङ) **"लेखा–परीक्षक"** का अभिप्राय उत्पादक कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233ख और 619 अथवा अस्थाई रूप से लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त लेखा–परीक्षक है;

(च) **"आधार वर्ष"** का अर्थ नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष का तत्काल पूर्ववर्ती और इन विनियमों के प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त वित्तीय वर्ष है;

(छ) **"लाभार्थी"** का उत्पादक कंपनी के संबंध में अर्थ ऐसे उत्पादक केंद्र से उत्पादन की गई विद्युत का क्रेता व्यक्ति है, जिसके टैरिफ का निर्धारण इन विनियमों के अधीन किया गया है;

(ज) **"ब्लॉक"** के एक संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में अर्थ में कंबस्चन टर्बाइन –जेनरेटर, संबद्ध वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, कनेक्टेड स्टीम टर्बाइन–जेनरेटर तथा सहायक उपसाधन शामिल हैं;

(झ) **"सीईआरसी"** का अर्थ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है;

(ञ) **"कानून में परिवर्तन"** का अर्थ निम्नलिखित किसी घटना का घटित होना है:

(i) किसी कानून का अधिनियमन, प्रभावी किया जाना, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, किंचित संशोधन अथवा रद्द किया जाना; अथवा

(ii) किसी सक्षम न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा भारतीय सरकारी करणत्व द्वारा, किसी कानून की व्याख्या में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या के लिए कानून के तहत अंतिम प्राधिकरण है; अथवा

(iii) किसी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई किसी सहमति, अनुमोदन अथवा लाइसेंस में परिवर्तन;

(ट) **"आयोग"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;

(ठ) **"व्यवसाय संचालन विनियम"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बृहद् (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, है;

(ड) **"नियंत्रण अवधि"** का अर्थ आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2015 तक नियत की गई बहु–वर्षीय अवधि है;

(ढ) **"विच्छेदन तिथि"** का अर्थ परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के दो वर्ष पश्चात समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च है और परियोजना वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन होना घोषित किए जाने की स्थिति में, विच्छेदन तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के तीन वर्ष पश्चात् समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च होगी;

(ण) **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" अथवा 'सीओडी'** का अर्थ तापीय विद्युत केंद्र की यूनिट अथवा ब्लॉक के संबंध में, उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सूचना के पश्चात् एक सफल परीक्षण चालन के माध्यम से अधिकतम सत्त दर (एमसीआर) अथवा संस्थापित क्षमता (आईसी) दर्शाने के पश्चात् घोषित की गई तिथि है, जिसके 0000 बजे से समय निर्धारण प्रक्रिया का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) के अनुसार किया जाता है और समग्र रूप में एक उत्पादक केंद्र के संबंध में उत्पादक केंद्र की अंतिम यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि है;

(त) **"दिवस"** का अर्थ 0000 बजे से प्रारंभ 24 घंटे की अवधि है;

(थ) **"घोषित क्षमता" अथवा 'डीसी'** का एक उत्पादक कंपनी के संबंध में अर्थ, ईंधन अथवा जल की उपलब्धता को विधिवत ध्यान में रखते हुए, और आगे संबद्ध विनियम में अर्हता के अधीन, पूर्ण दिवस अथवा दिवस के अंश के संबंध में ऐसे उत्पादक केंद्र द्वारा मेगा वाट में एक्स–बस विद्युत प्रदान करने की घोषित क्षमता है;

(द) **"उपगत व्यय"** का अर्थ वह निधि, चाहे इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों, है जो एक उपयोगी संपत्ति के सृजन अथवा अर्जन हेतु, वास्तव में नियोजित की गई तथा नकद अथवा नकद समतुल्य में अदा की गई है और इसमें वे वचनबद्धताएं अथवा देयताएं शामिल नहीं हैं, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(ध) **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ एक कैलंडर वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभ और उसके अनुवर्ती कैलंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है;

(न) **"सकल कैलोरीफिक मान" अथवा 'जीसीवी'** का तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में अर्थ एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैसीय ईंधन, जैसी भी स्थिति है, के पूर्ण दहन द्वारा किलोकैलोरी में उत्पन्न ऊष्मा है;

(प) **"सकल केंद्र ऊष्मा दर" अथवा 'जीएचआर'** का अर्थ एक तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के जेनरेटिंग टर्मिनल्स में एक किलो वाट वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित किलो कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा निवेश है;

(फ) **"अशक्त शक्ति"** का अर्थ उत्पादन केंद्र की यूनिट अथवा ब्लॉक में वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व अंतः क्षेपित विद्युत है;

(ब) **"संस्थापित क्षमता" अथवा 'आईसी'** का अर्थ उत्पादन केंद्र की समस्त यूनिटों की नाम प्लेट क्षमताओं का योग अथवा उत्पादन केंद्र की क्षमता (जेनरेटर टर्मिनल्स पर गणना) है, जो आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की गई है;

(भ) **"अधिकतम सत्त दर" अथवा 'एमसीआर'** का तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र की यूनिट के संबंध में अर्थ, विनिर्माता द्वारा वर्गीकृत प्राचलकों पर जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम सत्त उत्पादन और एक संयुक्त चक्र तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के ब्लॉक के संबंध में विनिर्माता द्वारा जल/वाष्प अंतःक्षेपण (यदि लागू है) और 50 हटर्ज ग्रिड फ्रीक्वेंसी तथा विनिर्दिष्ट स्थल स्थितियों के साथ जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम सत्त उत्पादन है;

(म) **"मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक" अथवा 'एनएपीएएफ'** का उत्पादन केंद्र के संबंध में अर्थ इन विनियमों के क्लॉज 7.1 तथा 7.3 में विनिर्दिष्ट उपलब्धता घटक है;

(य) **"प्रचालन और अनुरक्षण व्यय" अथवा 'ओ एवं एम व्यय'** का अर्थ परियोजना अथवा उसके भाग के प्रचालन और अनुरक्षण पर किया गया व्यय है तथा इसमें जनशक्ति, मरम्मत, स्पेयर्स, उपभोज्य, बीमा और नियत खर्चे शामिल हैं;

(कक) **"मूल परियोजना लागत"** का अर्थ उत्पादन कंपनी द्वारा परियोजना के मूल दायरे के भीतर आयोग द्वारा मंजूर की गई विच्छेदन तिथि तक वहन किया गया पूंजीगत व्यय है;

(खख) **"संयंत्र उपलब्धता घटक (पीएएफ)"** का किसी भी अवधि हेतु उत्पादन केंद्र के संबंध में अर्थ उस अवधि के दौरान सभी दिवसों के लिए दैनिक घोषित क्षमताओं का माध्य है, जो मानकी अतिरिक्त ऊर्जा खपत घटाकर मेगावाट में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है;

(गग) **"परियोजना"** का अर्थ उत्पादन केंद्र है;

(घघ) **"राज्य भार प्रेषण केंद्र" अथवा "एसएलडीसी"** का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अधीन कार्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठापित केंद्र है;

(ङङ) **"अनुसूचित ऊर्जा"** का अर्थ राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा एक दिवस में उत्पादन केंद्र द्वारा ग्रिड में अंतः क्षेपित किए जाने हेतु अनुसूचित ऊर्जा की प्रमात्रा है;

(चच) **"अनुसूचित उत्पादन" अथवा 'एसजी'** किसी भी समय पर अथवा किसी भी अवधि अथवा समयांश के लिए का अर्थ राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट अथवा मेगावाट एच एक्स–बस में विद्युत उत्पादन की अनुसूची है;

नोट

मुक्त चक्र गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र अथवा एक संयुक्त चक्र उत्पादन केंद्र के लिए यदि किसी समयांश हेतु औसत आवृत्ति 49.52 हट्‌र्ज से कम है, किंतु 49.02 हट्‌र्ज से कम नहीं है और अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत से अधिक है, अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत तक घटा माना जाएगा, और यदि किसी समयांश हेतु औसत आवृत्ति 49.02 हट्‌र्ज से कम है, और अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 96.5 प्रतिशत से अधिक है, अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 96.5 प्रतिशत तक घटा माना जाएगा।

(छछ) **"लघु गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र"** का अर्थ मुक्त चक्र गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र अथवा 50 मेगावाट अथवा कम क्षमता दायरे में गैस टर्बाइन के साथ एक संयुक्त चक्र उत्पादन केंद्र है;

(जज) **"राज्य"** का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है;

(झझ) **"यूनिट"** का अर्थ संयुक्त चक्र उत्पादन केंद्र को छोड़कर एक तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में भाप जेनरेटर, टर्बाइन–जेनरेटर तथा सहायक उपसाधन, अथवा संयुक्त चक्र तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में टर्बाइन–जेनरेटर, तथा सहायक उपसाधन हैं।

(ञञ) **"उपयोगी जीवन"** सीओडी से कोयला/गैस आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के संबंध में 25 वर्ष होगा।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

2.3 इन विनियमों के अधीन समस्त कार्यवाहियां व्यवसाय संचालन विनियम द्वारा शासित होंगी।

क3: विनियमों का दायरा और लागू होने की सीमा

3.1 ये विनियम विद्यमान विद्युत उत्पादन केंद्रों द्वारा वितरण लाइसेंस धारकों को विद्युत की आपूर्ति के लिए, अधिनियम की धारा 62 के अधीन उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के सभी मामलों में लागू होंगे, परंतु वहां लागू नहीं होंगे जहां टैरिफ का निर्धारण अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोलीदान की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है।

3.2 अधिनियम, नियमों तथा नीतियों के अधीन, भविष्य में स्थापित किया जाने वाला और राज्य के वितरण लाइसेंस धारक को विद्युत की आपूर्ति का प्रस्ताव करने वाला नया विद्युत उत्पादन केंद्र आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रतिमानों के अधीन होगा, जबतक कि यह विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोलीदान की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं करता है।

क4: उत्पादन टैरिफ का निर्धारण

4.1 विद्यमान उत्पादन केंद्रः

जहां आयोग ने, इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व किसी समय पर, उत्पादन कंपनी और लाभार्थी के बीच विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) अथवा व्यवस्था का अनुमोदन किया है, अथवा उसमें दिया गया टैरिफ विद्यमान उत्पादन केंद्र से विद्युत की आपूर्ति हेतु अंगीकार किया है, तब उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंस धारक को विद्युत की आपूर्ति, पीपीए में दी गई विद्यमान संस्थापित क्षमता की सीमांतर्गत, के लिए टैरिफ ऐसे पीपीए अथवा व्यवस्था के अनुसार ऐसी अवधि के लिए लागू होगा जो आयोग द्वारा अनुमोदित अथवा अंगीकार की जाती है।

4.2 नए उत्पादन केंद्र

जहां उत्पादन केंद्र इन विनियमों के जारी किए जाने के बाद अथवा 1 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके बाद वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित किया गया है, उत्पादन कंपनी द्वारा टैरिफ का निर्णय इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

क5: सामान्य दृष्टिकोण और मार्गदर्शी सिद्धांत

5.1 प्रतिस्पर्द्धा, कुशलता, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, श्रेष्ठ निष्पादन और इष्टतम निवेश के प्रोत्साहन के लिए इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करने में आयोग का मार्गदर्शन अधिनियम की धारा 61 तथा 62 में दिए गए सिद्धांतों द्वारा किया जाएगा।

5.2 आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु टैरिफ के निर्धारण के लिए बहु वर्षीय टैरिफ संरचना अपनाई जाएगी।

5.3 बहु वर्षीय टैरिफ संरचना निम्नलिखित पर आधारित होंगीः

(क) उत्पादन कंपनी की संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना (संयन्त्र–वार पृथक रूप से) नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) आवेदक का नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत की बिक्री हेतु प्रत्याशित टैरिफ का पूर्वानुमान, अधोवाही वित्तीय तथा प्रचालन प्राचलकों के समुचित अनुमानों पर आधारित, जैसाकि व्यवसाय योजना में प्रस्तुत किया गया है;

(ग) विशिष्ट प्राचलकों हेतु प्रक्षेप–पथ आयोग द्वारा अनुबद्ध किया जाएगा, जहां आवेदक का निष्पादन प्रोत्साहन और वि–प्रोत्साहन द्वारा सुधारे जाने की जरूरत होगी;

(घ) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा का संचालन अनुमोदित पूर्वानुमान के संदर्भ में किया जाएगा।

आधाररेखा

5.4 नियंत्रण अवधि हेतु आधाररेखा मान (प्रचालन और लागत प्राचलक) आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा अनुमोदित मानों, नवीनतम लेखा विवरणों, संबद्ध वर्ष हेतु वास्तविकों के अनुमान तथा आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित अन्य घटकों पर आधारित होंगे।

5.5 आयोग सामान्यतः निष्पादन लक्ष्यों को संशोधित नहीं करेगा भले ही लक्ष्य अ–लेखा परीक्षित लेखा के आधार पर तय किए गए हैं।

पूंजी निवेश

5.6 अधिनियम, नियमों तथा नीतियों के अधीन, आयोग नियंत्रण अवधि हेतु उत्पादन कंपनी की पूंजी निवेश योजना उसकी उत्पादन क्षमता विकास के समानुपात में अनुमोदित करेगा। निवेश योजना में संगत पूंजीकरण अनुसूची तथा वित्तीय योजना भी शामिल होगी।

5.7 वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए, उत्पादन कंपनी वार्षिक निष्पादन समीक्षा विवरण के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपगत वास्तविक पूंजी व्यय और पूंजीकरण भी प्रस्तुत करेगी।

5.8 आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में उपगत वास्तविक पूंजी व्यय और पूंजीकरण की समीक्षा अनुमोदित वास्तविक पूंजी व्यय और पूंजीकरण अनुसूची के संदर्भ में करेगा। आयोग किसी वर्ष हेतु वास्तविककृत पूंजी व्यय और पूंजीकरण के आधार पर नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों के लिए पूंजी व्यय और पूंजीकरण संशोधित भी कर सकता है।

5.9 उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजीगत व्यय सामान्यतः आयोग के अनुमोदन के पश्चात् वहन किया जाएगा।

निष्पादन लक्ष्य

5.10 आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उन आइटमों अथवा प्राचलकों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जो "नियंत्रण योग्य" समझी जाती हैं तथा जिनमें निम्न शामिल हैं:

(क) सकल केंद्र ऊष्मा दर;
(ख) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक;
(ग) अतिरिक्त ऊर्जा खपत
(घ) सहायक ईंधन तेल खपत;
(ङ) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
(च) वित्तीयन लागत जिसमें ऋण की लागत (ब्याज), इक्विटी की लागत (प्रतिफल) शामिल हैं; तथा
(छ) मूल्यह्रास

5.11 क्लॉज 5.10 (क) से (ङ) तक में विनिर्दिष्ट प्राचलकों हेतु लक्ष्यों पर न्यूननिष्पादन के कारण हुई कोई वित्तीय हानि टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य नहीं है। उसी तरह, इन प्राचलकों के संबंध में अधिनिष्पादन के कारण हुआ कोई वित्तीय लाभ उत्पादन कंपनी का लाभ है तथा टैरिफ में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

5.12 मूल्यह्रास, ऋण तथा इक्विटी को आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी निवेश योजना (पूंजी व्यय तथा पूंजीकरण) के संदर्भ में वास्तविक पूंजी व्यय तथा वास्तविक पूंजीकरण के आधार पर हर वर्ष वास्तविक बनाया जाएगाः

परंतु शर्त यह है कि कार्यशील पूंजी में कोई अधिशेष या घाटा उत्पादन कंपनी के खाते में होगा तथा एआरआर में वास्तविक नहीं बनाया जाएगा;

परंतु आगे शर्त यह है कि आयोग ब्याज दर को वास्तविक नहीं बनाएगा, यदि नियंत्रण अवधि के दौरान 1 अप्रैल, 2012 को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में अंतर +/−1 प्रतिशत के भीतर है। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में +/−1 प्रतिशत से अधिक के अंतर को ही वास्तविक बनाया जाएगा।

क6: टैरिफ के निर्धारण हेतु सिद्धांत

परियोजना की पूंजी लागत

6.1 परियोजना की पूंजी लागत में शामिल होंगेः

(क) उपगत अथवा उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय, निर्माण के दौरान ब्याज और वित्तीयन प्रभारों सहित, ऋण पर निर्माण के दौरान विदेशी मुद्रा के जोखिम परिवर्तन के आधार पर कोई लाभ या हानि–(i) नियोजित पूंजी के 70 प्रतिशत के बराबर, वास्तविक इक्विटी नियोजित पूंजी के 30 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में, अतिरिक्त इक्विटी को मानकी ऋण के रूप में संसाधित करने द्वारा, अथवा (ii) ऋण की वास्तविक राशि के बराबर, वास्तविक इक्विटी नियोजित पूंजी के 30 प्रतिशत कम होने की स्थिति में, – परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक, जैसाकि आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकार किया गया है टैरिफ के निर्धारण का आधार होगा;

(ख) पूंजीकृत प्रारंभिक स्पेयर्स नीचे विनिर्दिष्ट सीलिंग प्रतिमानों के अधीनः

i. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केंद्र – मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत

ii. गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र ताप विद्युत उत्पादन केंद्र – मूल परियोजना लागत का 4.0 प्रतिशत

परंतु शर्त यह है कि जहां प्रारंभिक स्पेयर्स हेतु मानक प्रतिमान इन विनियमों के क्लॉज 6.2 के प्रथम परंतु क. के अधीन मानक प्रतिमानों के अंश के रूप में प्रकाशित किए गए हैं, ऐसे प्रतिमान इसमें विनिर्दिष्ट प्रतिमानों को छोड़कर लागू होंगे।

ग) इस विनियम के क्लॉज 6.3 तथा 6.4 के अधीन निर्धारित अतिरिक्त पूंजी व्यय

परंतु शर्त यह है कि संपत्तियां जो परियोजना का अंशरूप हैं, किंतु उपयोग में नहीं हैं, पूंजी लागत से घटा दी जाएंगी।

6.2 आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकृत पूंजी लागत टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगी।

परंतु शर्त यह है कि तापीय उत्पादन केंद्र के मामले में पूंजी लागत की विवेक जांच सीईआरसी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए गए मानक प्रतिमानों के आधार पर की जा सकती है;

परंतु आगे शर्त यह है कि ऐसे मामलों में जहां मानक प्रतिमान विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, विवेकपूर्ण जांच में पूंजीगत व्यय, वित्तपोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत अतिक्रमण तथा समय अतिक्रमण, और ऐसे अन्य विषयों की तार्किकता की संवीक्षा की जा सकती है, जो आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु उपयुक्त विचारित किए जाते हैं;

परंतु यह शर्त भी है कि जहां उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के बीच किए गए विद्युत क्रय अनुबंध में वास्तविक व्यय की सीलिंग हेतु प्रावधान किया गया है, आयोग द्वारा स्वीकार किए गए पूंजीगत व्यय में टैरिफ के निर्धारण हेतु ऐसी सीलिंग पर विचार किया जाएगा;

परंतु यह शर्त भी है कि विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, आयोग द्वारा 1.4.2012 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजी लागत जो सम्यक वास्तविक की गई है, 1.4.2012 को वि–मुक्त नहीं की गई देयता को छोड़कर, यदि कोई, तथा नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष हेतु उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसाकि आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, टैरिफ के निर्धारण हेतु आधार होगा।

अतिरिक्त पूंजीकरण

6.3 उपगत किया गया अथवा किए जाने हेतु प्रक्षेपित पूंजीगत व्यय, कार्य के मूल दायरे के भीतर निम्न आधार पर, वाणिज्यिक प्रचालन के बाद और आयोग द्वारा स्वीकार की गई विच्छेदन तिथि तक, विवेकपूर्ण जांच के अधीन;

i. अ–विमुक्त देयताएं

ii. निष्पादन हेतु प्रास्थगित कार्य;

iii. कार्य के मूल दायरे के भीतर प्रारंभिक पूंजी स्पेयर्स का प्रापण, इन विनियमों के क्लॉज 6.1, 6.2 के तहत प्रावधानों के अधीन;

iv. विवेचन के अधिनिर्णय अथवा न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुसरण हेतु देयताएं; तथा

v. विधि में परिवर्तन।

परंतु शर्त यह है कि कार्य के मूल दायरे में शामिल कार्यों का विस्तृत विवरण के साथ व्यय के अनुमान, अ–विमुक्त देयताएं तथा निष्पादन हेतु प्रास्थगित कार्यों का विवरण टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6.4 विच्छेदन तिथि के बाद निम्नलिखित आधारों पर उपगत किया गया व्यय, आयोग द्वारा इसके विवेकाधीन, विवेकपूर्ण जांच के पश्चात स्वीकार किया जा सकता है:

(i) विवेचन के अधिनिर्णय अथवा न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुसरण हेतु देयताएं;

(ii) विधि में परिवर्तन;

(iii) कार्य के मूल दायरे में राख ताल अथवा राख संचालन प्रणाली से संबंधित प्रास्थगित कार्य।

(iv) गैस/तरल ईंधन आधारित मुक्त/संयुक्त चक्र तापीय विद्युत उत्पादन केंद्रों के मामले में, इसकी सीओडी से परिचालन के 15 वर्ष के बाद गैस टर्बाइन का नवीकरण आवश्यक होने पर कोई व्यय और केंद्रों के सफल तथा कुशल प्रचालन के लिए स्पेयर्स की अनुपलब्धता अथवा प्रचलनातीत होने के कारण आवश्यक व्यय;
परंतु शर्त यह है कि गैस टर्बाइन की बड़ी ओवरहालिंग के दौरान उपभोज्यों पर आर एवं एम में शामिल व्यय तथा कंपोनेंट्स और स्पेयर्स की लागत, जो साधारणतः आर एवं एम में शामिल की जाती है, अनुमति दिए जाने हेतु आर एवं एम व्यय से विवेकपूर्ण जांच के बाद उपयुक्त रूप से काट ली जाएगी।

(v) उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के फलस्वरूप तापीय उत्पादन केंद्र के संबंध में ईंधन कोयला लिंकेज नहीं हो पाने के कारण ईंधन प्राप्ति प्रणाली में किए गए अथवा अपेक्षित संशोधन के कारण आवश्यक हुआ कोई पूंजीगत व्यय जो विवेकपूर्ण जांच के बाद उचित पाया गया।

(vi) विच्छेदन तिथि के भीतर निष्पादित कार्य हेतु संविदात्मक कार्याधिक्य के कारण रोका गया भुगतान/अंतिम भुगतान के प्रति न्यून प्रभारित देयता, ऐसी प्रास्थगित देयता के विवरण की विवेकपूर्ण जांच के बाद, पैकेज की कुल अनुमानित लागत, भुगतान के ऐसे रोके जाने हेतु कारण तथा ऐसे भुगतान के कारण इत्यादि।

(vii) निवेश प्रचालकों की प्रकृति में परिवर्तन, पर्यावरण अपेक्षा तथा कुशलता सुधार सहित परिचालन संबंधी अपेक्षा की पूर्ति के लिए कोई अन्य पूंजीगत व्यय।

दुर्बल विद्युत की बिक्री

6.5 दुर्बल विद्युत की आपूर्ति गैर अनुसूचित अंतरपरिवर्तन (यूआई) माना जाएगा और उसका भुगतान क्षेत्रीय अथवा राज्य यूआई पूल खाते से लागू फ्रीक्वेंसी–लिंक्ड यूआई दर पर किया जाएगा।
परंतु शर्त यह है कि उत्पादन कंपनी द्वारा ईंधन व्यय लेखा में लेने के बाद दुर्बल विद्युत की बिक्री से अर्जित राजस्व पूंजी लागत से कम कर दिया जाएगा।

ऋण–इक्विटी अनुपात

6.6 अंतरण स्कीम दिनांक 1 जुलाई, 2002 में वर्णित उत्पादन केंद्रों के लिए, ऋण पूंजी की राशि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन केंद्र के वित्तपोषण हेतु लिए गए समस्त दीर्घावधि देयशेष का योग होगी, जिसके लिए टैरिफ का निर्धारण, आयोग के टैरिफ आदेशों में परिलक्षितानुसार किया जाएगा।

6.7 अंतरण स्कीम दिनांक 1 जुलाई, 2002 में वर्णित उत्पादन केंद्रों के लिए इक्विटी पूंजी की गणना उसमें विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी। दिनांक 1 जुलाई, 2002 के बाद इक्विटी में कोई भी नई वृद्धि, जो आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, भी विचारित की जाएगी।

6.8 1.4.2012 को अथवा पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिए, यदि वास्तव में नियोजित इक्विटी पूंजी लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है, 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी मानकी ऋण माना जाएगा;
परंतु शर्त यह है कि ऐसे उत्पादन केंद्र के मामले में जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक है, टैरिफ निर्धारण के लिए इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष राशि मानकी ऋण माना जाएगा;
परंतु शर्त यह भी है कि ऐसे उत्पादन केंद्र के मामले में जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, टैरिफ निर्धारण के लिए वास्तविक ऋण और इक्विटी की राशि पर विचार किया जाएगा।

6.9 1.4.2012 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के मामले में, 31.3.2012 को समाप्त अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अनुमत ऋण–इक्विटी अनुपात पर विचार किया जाएगा।

6.10 1.4.2012 को अथवा पश्चात उपगत किया गया अथवा किए जाने हेतु प्रक्षेपित व्यय जैसाकि आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय तथा कार्यकाल विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय के रूप में स्वीकार किया जाए, टैरिफ निर्धारण के लिए मानकी ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 माना जाएगा।
परंतु शर्त यह है कि ऐसे उत्पादन केंद्र के मामले में जहां नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक है, टैरिफ निर्धारण के लिए इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष राशि मानकी ऋण माना जाएगा;
परंतु शर्त यह भी है कि ऐसे उत्पादन केंद्र के मामले में जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, टैरिफ निर्धारण के लिए वास्तविक ऋण और इक्विटी की राशि पर विचार किया जाएगा।

नवीकरण तथा आधुनिकीकरण

6.11 उत्पादन कंपनी, उत्पादन केंद्र अथवा उसकी किसी यूनिट के उपयोगी जीवन से आगे जीवन विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एवं एम) व्यय की पूर्ति के लिए, आयोग के समक्ष प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करेगी तथा उसके साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उसकी पूर्ण संभावना, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय का प्रावस्थाकरण, समापन की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, विदेशी मुद्रा घटक सहित अनुमानित समापन लागत, लाभार्थियों के साथ परामर्श का अभिलेख तथा कोई अन्य सूचना जो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रासंगिक विचारित की जाए प्रस्तुत करनी होगी।

6.12 जहां उत्पादन कंपनी, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अपने प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आवेदन करती है, तत्संबंधी अनुमोदन लागत अनुमान, वित्तीय योजना, समापन की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, तथा ऐसा कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा प्रासंगिक विचारित किया जाए, पर सम्यक् विचार के उपरांत किया जाएगा।

6.13 उपगत किया गया अथवा किए जाने हेतु प्रक्षेपित और आयोग द्वारा नवीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय और जीवन विस्तार के अनुमानों पर आधारित विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकृत कोई व्यय, परियोजना की मूल लागत से पहले ही प्राप्त किए जा चुके संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद टैरिफ के निर्धारण का आधार होगा।

6.14 उत्पादन कंपनी तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र के मामले में, अपने स्वयं के विवेक में, उत्पादन केंद्र अथवा उसकी यूनिट के उपयोगी जीवन से आगे नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित व्यय की अपेक्षा की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में एक यूनिट अथवा यूनिट समूह के लिए विशेष भत्ता प्राप्त कर सकती है तथा ऐसी स्थिति में पूंजी लागत के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा और लागू प्रचालनीय प्रतिमान शिथिल नहीं किए जाएंगे, परंतु विशेष भत्ता वार्षिक नियत लागत में सम्मिलित किया जाएगा।

परंतु शर्त यह भी है कि ऐसा विकल्प उस उत्पादन केंद्र अथवा यूनिट के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसके लिए नवीकरण/एवं आधुनिकीकरण प्रारंभ किया गया है तथा आयोग द्वारा व्यय इन विनियमों के प्रारंभन से पूर्व स्वीकार किया जा चुका है, अथवा ऐसे उत्पादन केंद्र अथवा यूनिट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है अथवा शिथिलकृत परिचालन एवं निष्पादन प्रतिमानों के अधीन प्रचालनरत है।

6.15 एक उत्पादन कंपनी (कोयला–आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र) को, इन विनियमों के क्लॉज 6.14 का विकल्प चुनने पर, 2012–13 में रू. 5.91 लाख/मेगावाट/वर्ष की दर पर विशेष भत्ता दिया जाएगा और तदनंतर 2012–15 की नियंत्रण अवधि के दौरान, अगले वित्तीय वर्ष से उत्पादन केंद्र की संबंधित यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के संदर्भ में उपयोगी जीवन के समापन की संबंधित तिथि से यूनिटवार 5.72 प्रतिशत की दर पर बढ़ाया जाएगाः

परंतु शर्त यह है कि 1.4.2012 को एक यूनिट के 25 वर्ष से अधिक वाणिज्यिक प्रचालन में होने की स्थिति में, यह भत्ता वर्ष 2012–13 से स्वीकार्य होगा।

ब्याज और वित्त प्रभार

6.16 ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभारों की गणना आयोग द्वारा अनुमोदित 31.03.2012 को बकाया ऋणों, बंधपत्रों अथवा अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमोदित अतिरिक्त ऋण पर की जाएगी।

6.17 नियंत्रण अवधि 2012–15 के प्रत्येक वर्ष हेतु ऋण की चुकौती उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यह्रास के बराबर मानी जाएगी।

6.18 ब्याज की दर परियोजना हेतु लागू प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना भारित औसत दर होगी।

परंतु कि यदि किसी विशेष वर्ष हेतु कोई वास्तविक ऋण नहीं है किंतु मानकी ऋण फिर भी बकाया है, ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर विचारित की जाएगी;

परंतु आगे की यदि उत्पादन केंद्र, जैसी भी स्थिति है, के पास कोई वास्तविक ऋण नहीं है, तब समग्र रूप में उत्पादन कंपनी की भारित औसत दर विचारित की जाएगी;

6.19 ऋण पर ब्याज की गणना संबंधित वर्षों के मानकी औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर लागू करने द्वारा की जाएगी।

6.20 राष्ट्रीय ऋण के रूप में मान्य 30 प्रतिशत के आधिक्य में इक्विटी की राशि पर ब्याज दर संबंधित वर्षों के ऋण की भारित औसत दर होगी तथा आगे विनियम में इक्विटी पर प्रतिफल की निर्धारित दर तक सीमित होगी;

परंतु शर्त यह है कि इस प्रयोजन हेतु विचारित सभी ऋण सृजित संपत्तियों के साथ चिन्हित किए जाएंगे;

परंतु कि पुनः–परक्रामित ऋण अनुबंधों का ब्याज और वित्त प्रभार विचारित नहीं होंगे, यदि वे उच्चतर प्रभारों का परिणाम देते हैं;

परंतु आगे कि प्रगतिअधीन पूंजी कार्यों पर ब्याज और वित्त प्रभार शामिल नहीं किए जाएंगे तथा पूंजी लागत का अंश माने जाएंगे;

परंतु आगे कि न तो दंडात्मक ब्याज और न ही अतिदेय ब्याज की गणना टैरिफ की संगणना में करने की अनुमति दी जाएगी।

6.21 उत्पादन कंपनी द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋणस्थगन अवधि के बावजूद ऋण की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से विचारित होगी तथा अनुमत वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर होगी।

6.22 उत्पादन कंपनी ऋण के पुनःवित्तपोषण का हर प्रयास करेगी जब तक कि यह ब्याज में शुद्ध बचत का परिणाम देता है और उस स्थिति में ऐसे पुनःवित्तपोषण से संबद्ध लागतें लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएंगी और शुद्ध बचत लाभार्थियों एवं उत्पादन कंपनी, यथास्थिति, के बीच 2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी।

6.23 ऋण के निबंधन और शर्तों में परिवर्तन ऐसे पुनःवित्तपोषण की तिथि से विचारित किया जाएगा।

6.24 किसी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष व्यवसाय संचालन विनियमावली, समय समय पर संशोधितानुसार, के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

परंतु शर्त यह है कि लाभार्थी, ऋण के पुनःवित्तपोषण से उत्पन्न किसी विवाद के लंबित रहने की अवधि में, उत्पादन कंपनी द्वारा दावा किए गए ब्याज के आधार पर कोई भुगतान नहीं रोकेगी।

कार्यशील पूंजी

6.25 आयोग कोयला–आधारित उत्पादन केंद्रों हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना निम्नानुसार करेगाः

(क) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के संगत उत्पादन के लिए पिटहेड उत्पादन केंद्रों के लिए 1.5 माह और गैर–पिटहेड उत्पादन केंद्रों के लिए 2 माह हेतु कोयले की लागत;

(ख) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के संगत उत्पादन के लिए दो माह हेतु सहायक ईंधन तेल की लागत और एक से अधिक सहायक ईंधन तेल के उपयोग की स्थिति में, प्रमुख सहायक ईंधन तेल हेतु ईंधन तेल स्टॉक की लागत;

(ग) अनुरक्षण स्पेयर्स इन विनियमों के क्लॉज 6.39–6.44 तक में विनिर्दिष्ट प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के 20 प्रतिशत की दर पर;

(घ) 1 माह हेतु ओ एवं एम व्यय; तथा

(ङ) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर गणना की गई विद्युत की बिक्री हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभारों के 2 माह के बराबर प्राप्तियां।

6.26 मुक्त चक्र गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन केंद्रों हेतु कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना निम्नलिखित घटकों के आधार पर की जाएगीः

(क) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के संगत 1 माह हेतु ईंधन व्यय, गैस ईंधन अथवा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र की प्रचालन विधि पर सम्यक् विचार करते हुए;

(ख) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के संगत आधे माह हेतु तरल ईंधन स्टॉक, गैस ईंधन अथवा तरल ईंधन पर उत्पादन केंद्र की प्रचालन विधि पर सम्यक् विचार करते हुए और एक से अधिक तरल ईंधन के उपयोग की स्थिति में प्रमुख तरल ईंधन की लागत;

(ग) अनुरक्षण स्पेयर्स इन विनियमों के क्लॉज 6.39–6.44 तक में विनिर्दिष्ट प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय के 30 प्रतिशत की दर पर;

(घ) मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक पर गणना की गई विद्युत की बिक्री हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियां, सम्यक् विचार करते हुए; तथा

(ङ) 1 माह हेतु ओ एवं एम व्यय;

6.27 इन विनियमों के क्लॉज 6.25 और 6.26 के सब–क्लॉज (क) तथा (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में ईंधन की लागत उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत अंतिम लागत (मानकी पारगमन तथा संचालन हानियों को ध्यान में रखते हुए) और जिस माह के लिए टैरिफ निर्धारण किया जाना है उसके पूर्ववर्ती तीन माह हेतु ईंधन के वास्तविक सकल कैलोरी मान पर आधारित होगी तथा नियंत्रण अवधि के दौरान कोई ईंधन मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

6.28 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानकी आधार पर होगा तथा 1.4.2012 को अथवा उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट वाणिज्यिक प्रचालन के तहत होने की घोषणा किए जाने के वर्ष की पहली अप्रैल, जो भी बाद में है, को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 350 आधार अंकों के योग के बराबर होगा।

6.29 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानकी आधार पर देय होगा भले ही उत्पादन कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्यशील पूंजी ऋण नहीं लिया है अथवा मानकी आंकड़ों पर आधारित कार्यशील पूंजी ऋण का अतिक्रमण किया है।

मूल्यह्रास

6.30 मूल्यह्रास की गणना नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, आयोग द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार अचल संपत्तियों की पूंजी लागत राशि पर की जाएगी;

परंतु कि मूल्यह्रास किसी पूंजी सब्सिडी/अनुदान द्वारा निधिकृत संपत्तियों पर अनुमत नहीं होगा।

6.31 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यह्रास का निर्धारण इन विनियमों के परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट दरों एवं अन्य निबंधनों सहित इन विनियमों में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के आधार पर किया जाएगा।

6.32 मूल्यह्रास की गणना वार्षिक आधार पर, सरल रेखा विधि के आधार पर, संपत्ति के उपयोगी जीवन पर की जाएगी। आयोग द्वारा स्वीकार की गई संपत्ति की पूंजी लागत मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ आधार मूल्य होगा।

परंतु शर्त यह है कि, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में विभाजित किया जाएगा।

6.33 विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, 1.4.2012 को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणना, संपत्ति के सकल मूल्यह्रास योग्य मूल्य से 31.3.2012 तक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यह्रास के समक्ष अग्रिम सहित संचयी मूल्यह्रास घटाकर की जाएगी। मूल्यह्रास की दर संचयी मूल्यह्रास 70 प्रतिशत तक पहुंचने तक परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित की जानी जारी रहेगी। तदुपरांत शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि अधिकतम मूल्यह्रास 90 प्रतिशत को पार नहीं करता है।

6.34 संपत्ति का भ्रंशोद्धार मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा मूल्यह्रास संपत्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमत होगा। भूमि मूल्यह्रास योग्य संपत्ति नहीं है तथा इसकी लागत संपत्ति की मूल लागत के 90 प्रतिशत की संगणना से अलग रखी जाएगी। संपत्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले नवीकरण एवं आधुनिकीकरण व्यय के मामले में, मूल्यह्रास संपत्ति के वर्द्धित जीवनावधि के भीतर संपत्ति की लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत अनुमत होगा।

6.35 मूल्यह्रास वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। संपत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक भाग के लिए होने की स्थिति में, मूल्यह्रास *यथानुपात* आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

इक्विटी पर प्रतिफल

6.36 इक्विटी पर प्रतिफल की संगणना इन विनियमों के क्लॉज 6.6–6.10 के अनुसार निर्धारित इक्विटी पर की जाएगी तथा 14 प्रतिशत होगी (कर पश्चात);

परंतु शर्त यह है कि प्रगतिअधीन कार्य में निवेश की गई इक्विटी पर प्रतिफल वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अनुमत होगा।

आय पर कर

6.37 उत्पादन कंपनी के आय प्रवाहों पर कर लाभार्थियों से वसूल किया जाएगा। आय पर कर, यदि कोई, देय होगा नियोजित पूंजी के इक्विटी घटक पर प्रतिफल पर कर तक सीमित होगा। उच्चतर उपलब्धता, निम्नतर केंद्र ऊष्मा दर, निम्नतर सहायक खपत, निम्नतर ओ एवं एम व्यय इत्यादि जैसे सुधरे निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि पर कोई अतिरिक्त कर देयता नहीं होगी तथा अन्य आय नहीं मानी जाएगी:

परंतु शर्त यह है कि प्रास्थगित कर देयता, अनुषंगी लाभ कर को छोड़कर, 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए, जब भी अस्तित्व में आती है, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाएगी।

6.38 आय कर के वास्तविक आकलन में कर अवकाश के लाभों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तथा आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू अग्रेषण हानियों हेतु क्रेडिट उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

6.39 मानकी प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें;

(ख) प्रशासनिक तथा सामान्य लागतें;

(ग) मरम्मत और अनुरक्षण; तथा

(घ) अन्य विविध व्यय।

6.40 *विद्यमान उत्पादन केंद्रः* नियंत्रण अवधि के हर वर्ष के लिए एआरआर हेतु अनुमत्य ओ एवं एम व्यय का निर्धारण नीचे विवरणकृत सूत्र के अनुसार किया जाएगाः

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) * (1 - X_n)$$

जहां,

$R\&M_n = K * GFA_{n-1}$;

$EMP_n + A\&G_n = (EMP_{n-1} + A\&G_{n-1}) * (INDX)$; and

$INDX = 0.55 * CPI + 0.45 * WPI$

EMP_n – nवें वर्ष हेतु उत्पादन कंपनी की कर्मचारी लागतें;

$A\&G_n$ – nवें वर्ष हेतु उत्पादन कंपनी की प्रशासनिक तथा सामान्य लागतें;

$R\&M_n$ – nवें वर्ष हेतु उत्पादन कंपनी की मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतें;

X_n nवें वर्ष हेतु एक कुशलता कारक है। X_n का मान आयोग द्वारा आवेदक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित किसी अन्य कारक के आधार पर एमवाईटी टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा।

जहां,

"K" एक स्थिरांक है (प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है)। नियंत्रण अवधि के हर वर्ष हेतु "K" का मान आयोग द्वारा आवेदक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित किसी अन्य कारक के आधार पर एमवाईटी टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा।

INDX – सूचकांकन हेतु प्रयुक्त स्फीति घटक। INDX का मान आधार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का संयोजन होगा।

6.41 आवेदक आयोग द्वारा अपेक्षितानुसार ओ एवं एम व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष हेतु ओ एवं एम व्यय का निर्धारण नवीनतम लेखा विवरण, संबद्ध वर्षों हेतु उत्पादन कंपनी के अनुमान और अन्य प्रासंगिक विचारित कारकों के आधार पर किया जाएगा

6.42 *नए उत्पादन केंद्र :*

6.43 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए अनुमत्य मानकी ओ एवं एम व्यय (रु. लाख/मेगावाट में) निम्नानुसार होंगेः

क) कोयला आधारित तापीय विद्युत केंद्रः

वर्ष	200/210/250 मेगावाट सेट्स	300/330/350 मेगावाट सेट्स	500 मेगावाट सेट्स	500 मेगावाट तथा अधिक सेट्स
2012–13	21.51	18.91	15.36	13.82
2013–14	22.74	19.99	16.24	14.62
2014–15	24.04	21.13	17.17	15.45

परंतु शर्त यह है कि उन यूनिटों, जिनकी सीओडी उसी केंद्र में 1.4.2012 को अथवा उसके बाद की है, के लिए उपरोक्त मानक संबंधित यूनिट आकारों में अतिरिक्त यूनिटों हेतु निम्नलिखित कारकों द्वारा गुणा किए जाएंगेः

200/210/250 मेगावाट	अतिरिक्त; पांचवी तथा छठी यूनिट अतिरिक्त; सातवीं तथा अधिक यूनिट	0.9 0.85
300/330/350 मेगावाट	अतिरिक्त; चौथी तथा पांचवीं यूनिट अतिरिक्त; छठी तथा अधिक यूनिट	0.9 0.85
500 मेगावाट तथा अधिक	अतिरिक्त; तीसरी तथा चौथी यूनिट अतिरिक्त; छठी तथा अधिक यूनिट	0.9 0.85

ख) मुक्त चक्र गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन केंद्र (रु. लाख/मेगावाट में):

वर्ष	गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन केंद्र लघु गैस टर्बाइन विद्युत उत्पादन केंद्रों को छोड़कर	लघु गैस टर्बाइन विद्युत उत्पादन केंद्र
2012–13	17.49	27.06
2013–14	18.49	28.61
2014–15	19.55	30.24

6.44 कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों के मामले में लघु संपत्तियों की प्रकृति सहित पूंजी प्रकृति की नई संपत्तियों पर व्यय की पूर्ति के लिए यूनिटवार एक पृथक क्षतिपूर्ति भत्ता, उपयोगी जीवन के 10,15 अथवा 20 वर्ष पूरे होने के अनुवर्ती वर्ष से निम्नलिखित विधि में स्वीकार्य होगाः

प्रचालन का वर्ष	क्षतिपूर्ति भत्ता (रु.. लाख/मेगावाट/वर्ष)
0–10	शून्य
11–15	0.15
16–20	0.35
21–25	0.65

सहायक ईंधन तेल खपत पर व्यय

6.45 सहायक ईंधन तेल खपत पर व्यय की संगणना रुपयों में इन विनियमों के क्लॉज 7.3 में विनिर्दिष्ट मानकी सहायक ईंधन तेल खपत (एसएफसी) के अनुरूप, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी;

=SFC x LPSFi x NAPAF x 24 x NDY x IC x 10

जहां,

SFC– मानकी विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिली/किवाघ में

LPSFi – सहायक तेल का भारित औसत अंतिम मूल्य, रू./मिली में विचारित

NAPAF – मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्रतिशत में

NDY – वर्ष में दिवसों की संख्या

IC – संस्थापित क्षमता, मेगावाट में

6.46 प्रारंभ में, उत्पादन कंपनी द्वारा सहायक ईंधन तेल पर उपगत अंतिम लागत तीन पूर्ववर्ती माह का भारित औसत मूल्य के वास्तविक के आधार पर ली जाएगी और तीन पूर्ववर्ती माह हेतु अंतिम लागत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उत्पादन केंद्र हेतु, वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, नवीनतम प्रापण मूल्य लिया जाएगा।

6.47 सहायक ईंधन तेल व्यय नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में ईंधन मूल्य निम्नलिखित सूत्र के अनुसार समायोजन के अधीन होगा;

SFC x NAPAF x 24 x NDY x IC x 10 x (LPSFy – LPSFi)

जहां,

LPSFy = वर्ष हेतु सहायक ईंधन तेल का भारित औसत अंतिम मूल्य, रु./मिली में

6.48 इन विनियमों के क्लॉज 7.3 में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के संबंध में सहायक ईंधन तेल खपत के खाते में बचत वर्ष के अंत में लाभार्थियों में, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, 50:50 के अनुपात में बांटी जाएगी:

(SFC x NAPAF x 24 x NDY x IC x 10 -ACsfoy) x LPSFy x 0.5

जहां,

ACsfoy = वर्ष के दौरान सहायक ईंधन तेल की वास्तविक खपत, मिली में

क7: तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र

प्रचालन–प्रतिमान

7.1 विद्यमान उत्पादन संयंत्रों हेतु भिन्न प्रचालन–प्रतिमानों के मान, इन संयंत्रों के पुराने तथा चालू परिचालन पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णीत किए जा चुके हैं:

इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कं. लि.

1) राजघाट थर्मल पावर हाउस (आरपीएच)

पैरामीटर	2012–13	2013–14	2014–15
मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत)	75%	75%	75%
सकल केंद्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	3200	3200	3200
गौण खपत (प्रतिशत)	11.28%	11.28%	11.28%
सहायक ईंधन तेल (एलडीओ) खपत (मिली/किवाघ)	1.50	1.50	1.50
सहायक ईंधन तेल (एलएसएचएस) खपत (ग्राम/किवाघ)	3.75	3.75	3.75

2) इंद्रप्रस्थ गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (आईपी जीटीपीएस)

पैरामीटर	2012–13	2013–14	2014–15
मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत)	80%	80%	80%
संयुक्त चक्र सकल केंद्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	2450	2450	2450
मुक्त चक्र सकल केंद्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	3125	3125	3125
संयुक्त चक्र गौण खपत (प्रतिशत)	3.0%	3.0%	3.0%
मुक्त चक्र गौण खपत (प्रतिशत)	1.0%	1.0%	1.0%

प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)

प्रगति पावर स्टेशन

पैरामीटर	2012–13	2013–14	2014–15
मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत)	85%	85%	85%
संयुक्त चक्र सकल केंद्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	2000	2000	2000

मुक्त चक्र सकल केंद्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	2900	2900	2900
संयुक्त चक्र सहायक खपत (प्रतिशत)	3.0%	3.0%	3.0%
मुक्त चक्र सहायक खपत (प्रतिशत)	1.0%	1.0%	1.0%

7.2 आयोग इन संयंत्रों में नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण गतिविधियों के लिए अनुमोदित पूंजी निवेश पर विचार करने के पश्चात परिचालन के इन प्रतिमानों को संशोधित कर सकता है।

7.3 विद्यमान स्टेशनों को छोड़कर उत्पादन केंद्रों हेतु प्रचालन प्रतिमान निम्नानुसार हैं:

मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ): सभी तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र, एनएपीएएफ 85 प्रतिशत होगा।

सकल केंद्र ऊष्मा दर:

क) कोयला–आधारित तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र = 1.065 x डिजाइन ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)

जहां एक यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर का अर्थ आपूर्तिदाता द्वारा, 100 प्रतिशत एमसीआर, शून्य प्रतिशत मेकअप, डिजाइन कोयला तथा डिजाइन शीतन जल तापमान/वापसी दबाव की शर्तों पर गारंटित यूनिट ऊष्मा दर है।

परंतु शर्त यह है कि डिजाइन ऊष्मा दर यूनिटों के दबाव और तापमान वर्गीकरण पर निर्भर अधिकतम डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर से अधिक नहीं होगी:

दबाव वर्गीकरण (किग्रा/सेमी2)	150	170	170	247	247
एसएचटी/आरएचटी (ओसी)	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593
बीएफपी का प्रकार	विद्युत चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित	टर्बाइन चालित
अधि. टर्बाइन चक्र ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)	1955	1950	1935	1900	1850
न्यूनतम बॉयलर कुशलता					
सब–बिटुमनस भारतीय कोयला	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
बिटुमनस आयात्ति कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
अधि. डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर (किकैल/किवाघ)					
सब–बिटुमनस भारतीय कोयला	2300	2294	2276	2235	2176
बिटुमनस आयात्ति कोयला	2197	2191	2174	2135	2079

परंतु आगे कि एक यूनिट के दबाव और तापमान प्राचलक उपरोक्त दर से अलग होने पर निकटतम श्रेणी की डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर ली जाएगी;

परंतु यह भी कि जहां यूनिट ऊष्मा दर गारंटित नहीं की गई है किंतु टर्बाइन चक्र ऊष्मा दर तथा बॉयलर कुशलता की गारंटी उसी आपूर्तिदाता द्वारा अथवा भिन्न आपूर्तिदाता द्वारा दी गई है, यूनिट डिजाइन ऊष्मा दर का निर्धारण गारंटित टर्बाइन चक्र ऊष्मा दर तथा बॉयलर कुशलता के उपयोग द्वारा किया जाएगा;

परंतु यह भी कि यदि एक या अधिक यूनिट 1.4.2012 से पहले वाणिज्यिक प्रचालन के आधीन घोषित की गई थीं, इन यूनिटों तथा 1.4.2012 को या उसके बाद वाणिज्यिक प्रचालन के आधीन घोषित यूनिटों के लिए ऊष्मा दर प्रतिमान उपरोक्त विधि से गणित ऊष्मा दर प्रतिमान और इन विनियमों के क्लॉज 7.1 के अनुसार प्रतिमानों के निम्नतर होंगे;

नोटः ऐसी यूनिटों में जहां बॉयलर फीड पंप बिजली से चलाए जाते हैं, अधिकतम डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर टर्बाइन चालित बीएफपी के साथ ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम डिजाइन यूनिट ऊष्मा दर से 40 किकैल/किवाघ कम होगी।

ख) गैस–आधारित/तरल–आधारित तापीय विद्युत उत्पादन यूनिट(टों)/ब्लॉक(कों)

= 1.05 x प्राकृतिक गैस और आरएलएनजी हेतु यूनिट/ब्लॉक की डिजाइन ऊष्मा दर (किकैल/किवाट)

= 1.071 x तरल ईंधन हेतु यूनिट/ब्लॉक की डिजाइन ऊष्मा दर (किकैल/किवाट)

जहां एक यूनिट की डिजाइन ऊष्मा दर का अर्थ 100 प्रतिशत एमसीआर पर तथा साइट अनुकूल हालात पर गारंटित ऊष्मा दर है, तथा एक ब्लॉक की डिजाइन ऊष्मा दर का अर्थ 100 प्रतिशत एमसीआर पर तथा साइट अनुकूल हालात, शून्य प्रतिशत मेकअप, डिजाइन शीतन जल तापमान/वापसी दबाव की शर्तों पर गारंटित यूनिट ऊष्मा दर है।

<u>कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों हेतु सहायक ईंधन तेल खपत</u> 1.0 मिली/किवाट।

<u>सहायक ऊर्जा खपतः</u>

(क) <u>कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र</u>

200 मेगावाट सीरीज	प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर सहित अथवा कूलिंग टावर रहित	8.5%
300/330/350/500 मेगावाट तथा अधिक–वाष्प चालित बॉयलर फीड पंप्स	प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर सहित अथवा कूलिंग टावर रहित	6.0%
300/330/350/500 मेगावाट तथा अधिक–विद्युत चालित बॉयलर फीड पंप्स	प्राकृतिक ड्राफ्ट कूलिंग टावर सहित अथवा कूलिंग टावर रहित	8.5%

परंतु आगे शर्त यह है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर युक्त तापीय विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए प्रतिमानों में 0.5 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी।

(ख) <u>गैस–आधारित तथा नैफ्था–आधारित उत्पादन केंद्र</u>

संयुक्त चक्र	3.0 %
मुक्त चक्र	1.0%

7.4 जहां केंद्र का डिजाइन संयुक्त चक्र प्रचालन के लिए किया गया है, केंद्र का प्रचालन मुक्त चक्र विधि में करने के लिए एसएलडीसी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

7.5 आयोग किसी उत्पादन केंद्र के लिए इन विनियमों में अंतर्विष्ट मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के प्रतिमानों सहित शिथिलकृत प्रचालन प्रतिमान निर्धारित कर सकता है, तथा ये शिथिलकृत प्रचालन प्रतिमान नियंत्रण अवधि के दौरान ऐसे उत्पादन केंद्र के टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।

7.6 इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन प्रतिमान सीलिंग प्रतिमान हैं तथा उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों को प्रचालन के सुधारीकृत प्रतिमानों हेतु सहमत होने से प्रतिबाधित नहीं करेंगे और यदि सुधारीकृत प्रतिमानों हेतु सहमति बनती है, ऐसे सुधारीकृत प्रतिमान टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।

परंतु शर्त यह है कि यदि पीपीए प्रचालन की बेहतर प्रतिमान अनुबद्ध करता है तब पीपीए में उपलब्ध कराए गए ऐसे प्रतिमान टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।

7.7 उत्पादन कंपनी का नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा वि–मूल्यन और पुनः–मूल्यन के मामले में, प्रचालन के प्रतिमानों की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

टैरिफ के संघटक

7.8 एक तापीय अथवा गैस आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र से बिजली की बिक्री हेतु टैरिफ के दो भाग होंगे, नामतः, वार्षिक क्षमता (अचर) प्रभार और ऊर्जा (चर) प्रभार।

7.9 एक उत्पादन केंद्र की, क्षमता प्रभार से वसूली योग्य नियत लागत में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगेः

(क) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
(ख) मूल्यह्रास;
(ग) ऋण पर ब्याज;
(घ) सहायक ईंधन तेल की लागत (केवल कोयला आधारित केंद्रों के लिए);
(ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
(च) इक्विटी पर प्रतिफल;
(छ) आय कर तथा;
(ज) आर एवं एम के स्थान पर विशेष भत्ता अथवा पृथक क्षतिपूर्ति भत्ता, जहां भी लागू है।

7.10 ऊर्जा (चर) प्रभार में ईंधन लागत शामिल होगी।

क्षमता प्रभार की वसूली

7.11 एक तापीय उत्पादन केंद्र की नियत लागत की गणना इन विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के आधार पर की जाएगी तथा क्षमता प्रभार के तहत मासिक आधार पर वसूल की जाएगी। एक तापीय उत्पादन केंद्र हेतु देय कुल क्षमता प्रभार इसके लाभार्थियों द्वारा उत्पादन केंद्रों की क्षमता में उनके संबंधित प्रतिशत अंश/विनिधान के अनुसार साझा किए जाएंगे।

7.12 पूर्ण क्षमता प्रभार इन विनियमों के क्लॉज 7.1, 7.3 में विनिर्दिष्ट मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) पर वसूली किए जाने योग्य होंगे। मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के स्तर से कम क्षमता प्रभारों की वसूली यथानुपात आधार पर की जाएगी। शून्य उपलब्धता पर कोई क्षमता प्रभार देय नहीं होंगे।

7.13 तापीय उत्पादन कंपनी को एक कैलंडर माह के लिए देय प्रभार (प्रोत्साहन राशि सहित) की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाएगी :

(क) वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को दस (10) वर्ष से कम अवधि हेतु वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्रः

(AFC x (NDM / NDY) x (0.5 + 0.5 x PAFM / NAPAF) (रूपए में);

परंतु शर्त यह है कि एक वित्तीय वर्ष में हासिल किया गया संयंत्र उपलब्धता घटक 70 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में वर्ष हेतु कुल क्षमता प्रभार निम्नानुसार सीमित होगाः

AFC x (0.5 + 35 / NAPAF) x (PAFY / 70) (रुपए में)

(ख) वर्ष की तिथि 1 अप्रैल को दस (10) वर्ष या अधिक की अवधि के लिए वाणिज्यिक प्रचालन में उत्पादन केंद्रः

(AFC x (NDM / NDY) x (PAFM / NAPAF) (रुपए में);

जहां,

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रुपए में

NAPAF = मानकी वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक, प्रतिशत में

NDM = माह में दिवसों की संख्या

NDY = वर्ष में दिवसों की संख्या

PAFM = माह में हासिल की गई वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक, प्रतिशत में

PAFY = वर्ष में हासिल की गई वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक, प्रतिशत में

7.14 PAFM तथा PAFY की गणना नीचे लिखे सूत्र के अनुसार की जाएगीः

PAFM अथवा PAFY = $10000 \times \sum_{i=1}^{N} DC_i / \{N \times IC \times (100 - AUX)\}$ %

जहां,

AUX = मानकी सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में।

DC_i = औसत घोषित क्षमता (एक्स–बस मेगावाट में), इन विनियमों के क्लॉज के अधीन, अवधि अर्थात माह या वर्ष जो भी स्थिति है के iवें दिवस के लिए, जैसाकि संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दिवस की समाप्ति पर घोषित किया गया है।

IC = उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N = अवधि अर्थात माह या वर्ष, जो भी स्थिति है, में दिवसों की संख्या

नोट : DC_i तथा IC में वाणिज्यिक प्रचालन के तहत घोषित नहीं की गई उत्पादन यूनिटों की क्षमता शामिल नहीं होगी। संबंधित अवधि के दौरान आईसी में परिवर्तन की स्थिति में इसका औसत मान लिया जाएगा।

7.15 तापीय उत्पादन केंद्र में ईंधन के अभाव की स्थिति में उत्पादन कंपनी कम व्यस्तता समय के दौरान ईंधन की बचत द्वारा शीर्ष व्यस्तता के दौरान उच्चतर मेगावाट प्रदायगी का प्रस्ताव कर सकती है। राज्य भार प्रेषण केंद्र तब लाभार्थियों के साथ परामर्श में उत्पादन केंद्रों को इनकी मेगावाट और ऊर्जा सामर्थ्य के इष्टतम उपयोग के लिए सिद्धांत रूप में दिवस–पूर्व कार्यक्रम विनिर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में डीसीi राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा उस दिन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम शीर्ष–व्यस्तता काल एक्स–पावर प्लांट मेगावाट कार्यक्रम के बराबर ली जाएगी।

ऊर्जा प्रभार

7.16 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार में प्रमुख ईंधन लागत शामिल होगी तथा प्रत्येक लाभार्थी द्वारा ऐसे लाभार्थी को कैलंडर माह के दौरान एक्स पावर प्लांट आधार पर आपूर्ति की जाने हेतु निर्धारित कुल ऊर्जा हेतु, माह के लिए विनिर्दिष्ट ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन मूल्य समायोजन सहित) पर देय होगी।

7.17 उत्पादन कंपनी को एक माह के लिए देय कुल ऊर्जा प्रभार होगाः (ऊर्जा प्रभार दर रु./किवाघ में) x (माह हेतु निर्धारित ऊर्जा (एक्स–बस), किवाघ में)

7.18 एक्स–पावर प्लांट आधार पर रु.पए प्रति किवाघ में कुल ऊर्जा प्रभार दर (ईसीआर) का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र द्वारा तीन दशमलव स्थान तक किया जाएगा।

(क) कोयला आधारित केंद्रों हेतु

ECR = (GHR – SFC x CVSF) x LPPF x 100/ {CVPF x (100 – AUX)}

(ख) गैस तथा तरल ईंधन आधारित केंद्रों हेतु

ECR = GHR x LPPF x 100 / {CVPF x (100 – AUX)}

जहां,

AUX = मानकी सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

CVPF = झोंके गए प्राथमिक ईंधन का सकल कैलोरी मान, किकैल प्रति किग्रा, प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर, जैसा लागू है।

CVSF = सहायक ईंधन का सकल कैलोरी मान, किकैल प्रति मिली में

ECR = ऊर्जा प्रभार दर, रुपए प्रति किवाघ प्रेषित में।

GHR = सकल केंद्र ऊर्जा दर, किकैल प्रति किवाघ में

LPPF = प्राथमिक ईंधन का भारित औसत अंतिम मूल्य, रुपए प्रति किग्रा, प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर, यथा लागू, माह के दौरान।

SFC = विशिष्ट ईंधन तेल खपत, मिली प्रति किवाघ में।

7.19 कोयले के अंतिम मूल्य में शामिल होंगेः

(क) कोयले की आधार लागत;

(ख) रॉयल्टी;

(ग) कर और शुल्क;

(घ) रेल/समुद्र/सड़क/पाइपलाइन अथवा किसी अन्य साधन द्वारा परिवहन लागत;

ऊर्जा प्रभारों की संगणना के प्रयोजनार्थ, कोयले के अंतिम मूल्य की गणना गैर–पिट–हेड केंद्र के मामले में कोयला आपूर्तिदाता द्वारा प्रेषित कोयले की मात्रा पर 0.8 प्रतिशत की मानकी मार्ग और संचालन क्षति तथा पिट–हेड केंद्र के मामले में कोयला आपूर्तिदाता द्वारा प्रेषित कोयले की मात्रा पर 0.2 प्रतिशत की मानकी मार्ग और संचालन क्षति विचारित करने के पश्चात की जाएगी।

प्रोत्साहन राशि

7.20 तापीय उत्पादन केंद्रों के मामले में प्रोत्साहन राशि वसूले गए क्षमता (नियत) प्रभारों का हिस्सा होगी। कोई पृथक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

अनिर्धारित अंतरपरिवर्तन (यूआई) प्रभार

7.21 उत्पादन केंद्र निर्धारित उत्पादन के संगत प्रेषित ऊर्जा और वास्तविक प्रेषित ऊर्जा के बीच अंतर हेतु प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार प्राप्त करने के हकदार अथवा वहन करने हेतु भागी, जैसी भी स्थिति है, होंगे।

सम उत्पादन

7.22 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के स्वामित्वाधीन ट्रांसमिशन प्रणाली, सहयोगी स्विचयार्ड या उप केंद्र में किसी बाध्यता, आउटेज, विफलता अथवा सीमितता के कारण बिजली बाहर निकालने में किसी बाधा के चलते उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता (राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रमाणित) की स्थिति में, राज्य भार प्रेषण केंद्र उत्पादन कार्यक्रम संशोधित कर सकता है।

प्रभारों की बिलिंग और भुगतान

7.23 उत्पादन कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार हेतु बिल इन विनयमों के अनुसार मासिक आधार पर बनाया जाएगा और भुगतान लाभार्थियों द्वारा सीधे उत्पादन कंपनी को किया जाएगा।

7.24 तापीय उत्पादन कंपनी हेतु क्षमता प्रभार का भुगतान उत्पादन केंद्र के लाभार्थियों द्वारा उत्पादन केंद्र की संस्थापित क्षमता में, माह के लिए, उनके प्रतिशत अंश (गैर निर्धारित क्षमता में से किसी निर्धारण सहित) के अनुसार साझा किया जाएगा।

नोट 1

राज्य उत्पादन केंद्रों की कुल क्षमता में प्रत्येक लाभार्थी का अंश/विनिधान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें अविनिधानकृत क्षमता से किया गया विनिधान शामिल होगा। ये अंश संस्थापित क्षमता के प्रतिशत में लागू किए जाएंगे तथा सामान्य रूप से एक माह के दौरान स्थिर रहेंगे। एक लाभार्थी का कुल क्षमता अंश इसकी क्षमता अंश और अविनिधानकृत क्षमता से किये गये विनिधान का योग होगा। राज्य सरकार द्वारा अविनिधानकृत विद्युत के विशिष्ट विनिधान के अभाव में अविनिधानकृत विद्युत विनिधानकृत अंशों के ही अनुपात में विनिधानकृत अंशों में जोड़ दी जाएगी।

नोट 2

लाभार्थी उनके विनिधानकृत अंश का हिस्सा दूसरे लाभार्थियों को समर्पित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, लाभार्थियों के अंश राज्य सरकार द्वारा, एक कैलंडर माह के प्रारंभ से एक विशिष्ट अवधि के लिए (पूर्ण माह में) भविष्यलक्षी रूप से पुनःविनिधान किए जा सकते हैं। जब ऐसे पुनःविनिधान किए जाते हैं, अंश समर्पण करने वाले लाभार्थी समर्पित अंश के लिए क्षमता प्रभार का भुगतान करने के भागी नहीं होंगे। समर्पित क्षमता और उपरोक्तानुसार पुनः विनिधान की गई क्षमता हेतु प्रभार का भुगतान उस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा जिसको उक्त क्षमता समर्पित की गई है। उपरोक्तानुसार क्षमता के पुनःविनिधान की अवधि को छोड़कर उत्पादन केंद्र के लाभार्थी पूर्ण क्षमता प्रभारों का भुगतान विनिधानकृत क्षमता के अनुसार करना जारी रखेंगे। ऐसे किसी पुनरविनिधान और इसके व्युत्क्रमण की सूचना एसएलडीसी द्वारा पुनःविनिधान और इसके व्युत्क्रमण से कम से कम तीन (3) दिन पूर्व अग्रिम में दी जाएगी तथा अधिसूचित की जाएगी।

विलम्बित भुगतान उपप्रभार

7.25 इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों हेतु लाभार्थी द्वारा किसी बिल के भुगतान में बिलिंग की तिथि से 60 दिन से अधिक अवधि का विलंब किए जाने पर उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत की दर पर विलम्बित भुगतान उपप्रभार वसूल किया जाएगा।

छूट

7.26 उत्पादन कंपनी के बिलों का भुगतान लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उत्पादन कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद एक माह की अवधि के भीतर किसी अन्य विधि से भुगतान किए जाने की स्थिति में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

सुरक्षा मानदंड

उत्पादन कंपनी एक सुरक्षा मैनुअल तैयार करेगी तथा अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों की लीक पर निर्माण प्रचालन इत्यादि के दौरान न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों के अनुरक्षण हेतु प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

क8: बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

8.1 बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुतीकरण ऐसे रूप और ऐसी विधि में होगा जैसाकि आयोग द्वारा तथा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय किया जाता है।

8.2 आवेदक द्वारा बहु वर्षीय टैरिफ आयोग के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

व्यवसाय योजना प्रस्तुतीकरण

8.3 उत्पादन कंपनी आयोग के अनुमोदन हेतु फाइल प्रस्तुत करेगी; नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की 1 अप्रैल को अथवा आयोग द्वारा निदेशित किसी अन्य तिथि को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना।व्यवसाय योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए होगी तथा उसमें अन्य के साथ निम्नलिखित होंगे

(क) पूंजी निवेश योजनाः इसमें उत्पादन कंपनी द्वारा प्रायोजित किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण संगत पूंजीकरण अनुसूची तथा वित्तपोषण योजना सहित, दिया जाएगा। यह योजना कंपनी के विभिन्न संयंत्रों के लिए क्षमता संवर्धन तथा प्रस्तावित कुशलता सुधारों के सुसंगत होगी तथा इसमें लागत लाभ विश्लेषण शामिल होगा;

(ख) पूंजी संरचनाः उत्पादन कंपनी पूंजी संरचना तथा वित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याज) इक्विटी पर प्रतिफल का संयंत्र वार विस्तृत विवरण विद्यमान बाजार हालात, विद्यमान ऋण अनुबंधों के निबंधनों, उत्पादन व्यवसाय और उधार–योग्यता संबंधी जोखिमों पर विचार करने के पश्चात प्रस्तुत करेगी;

(ग) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) व्ययः इसमें आधार वर्ष हेतु अनुमानित लागतें, विगत दो वर्ष में उपगत वास्तविक व्यय तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ओ एवं एम लागत हेतु प्रस्तावित प्रतिमानों पर आधारित प्रक्षेपित मूल्य, सूचकांकन और अन्य उपयुक्त तंत्रों समेत शामिल होगा;

(घ) मूल्यह्रासः इसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन पर आधारित मूल्यह्रास तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पूंजीकरण अनुसूचियां शामिल होंगी;

(ङ) निष्पादन लक्ष्यः अन्य नियंत्रणीय आइटमों जैसेकि एनएपीएएफ, केंद्र ऊष्मा दर, सहायक ईंधन तेल खपत, तथा अतिरिक्त शक्ति खपत के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का समुच्चय। ये लक्ष्य, उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना की संगति में होंगे;

(च) अन्य सूचनाः इसमें उत्पादन कंपनी द्वारा टैरिफ के निर्धारण के दौरान विचार किए जाने हेतु उपयुक्त विचारित अन्य विवरण शामिल होगा।

टैरिफ प्रस्तुतीकरण

8.4 विद्यमान केंद्रों के लिए, उत्पादन कंपनी व्यवसाय योजना के सुसंगत एक आवेदन, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम 120 दिन पूर्व अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार निदेशित किसी अन्य तिथि को, उत्पादन कंपनी की नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित पूंजी व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित अथवा उपगत लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय अथवा उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय पर आधारित टैरिफ के निर्धारण के लिए, प्रस्तुत करेगी। नए केंद्रों के लिए, उत्पादन कंपनी इन विनियमों के अनुसार व्यवसाय योजना के सुसंगत एक आवेदन, आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर परिपूरित किए जाने हेतु प्रक्षेपित उत्पादन कंपनी की नियंत्रण अवधि के दौरान उपगत लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित पूंजी व्यय अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित अथवा उपगत लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित अतिरिक्त पूंजी व्यय अथवा उपगत किए जाने हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय पर आधारित टैरिफ के निर्धारण के लिए, प्रस्तुत करेगी।

परंतु शर्त यह है कि विद्यमान परियोजना के मामले में, आवेदन 31.3.2012 तक पहले ही स्वीकार किए जा चुके अतिरिक्त पूंजीकरण और नियंत्रण अवधि 2012–15 के संबंधित वर्षों हेतु अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय समेत स्वीकार की जा चुकी पूंजी लागत पर आधारित होगा;

परंतु आगे शर्त यह है कि आवेदन में प्रक्षेपित पूंजी लागत और अतिरिक्त पूंजी व्यय हेतु अधोप्रवाही अनुमानों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

8.5 विद्यमान परियोजना के मामले में, उत्पादन कंपनी 1.4.2012 से प्रारंभ होकर आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ का अनुमोदन किए जाने तक की अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित और 31.3.2012 को लागू टैरिफ पर लाभार्थियों को अंतिम बिल देना जारी रखेगी:

परंतु शर्त यह है कि जहां अंतिम रूप से बिल किया गया टैरिफ आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक या कम रहता है, उत्पादन कंपनी अंतर राशि छह माह के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर +संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को 150 आधार अंकों के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ लाभार्थियों को वापस करेगी अथवा वसूल करेगी।

8.6 आवेदक नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन हेतु व्यवसाय योजना के सुसंगत आवेदन, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम 120 दिन पूर्व अथवा आयोग द्वारा निदेशित ऐसी अन्य तिथि को प्रस्तुत करेगा।

नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर)

8.7 आवेदक द्वारा सूचना, नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में आयोग द्वारा अनुमोदित निष्पादन लक्ष्यों के संदर्भ में अपने निष्पादन के आकलन के लिए वास्तविक निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अंश के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। आवेदक द्वारा सूचना, नियंत्रणीय प्राचलकों (एनएपीएएफ, केंद्र ऊष्मा दर, सहायक ईंधन तेल खपत, अतिरिक्त विद्युत खपत, ओ एवं एम व्यय, पूंजी निवेश, पूंजीकरण, मूल्यह्रास, आरओई इत्यादि) संबंधी निष्पादन के संबंध में प्रस्तुत की जाएगी।

8.8 आवेदक संशोधित एआरआर और संगत टैरिफ समायोजन वित्तीय वर्ष के प्रारंभन से 120 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा। संशोधित अनुमान, मूल्यह्रास के आधार पर वास्तविकृत लागतों, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, निर्धारित प्रारूप के अनुसार आपूर्ति लक्ष्यों की गुणवत्ता हेतु निष्पादन संरचना के कार्यान्वन और लक्ष्यों से आगे बढ़ जाने हेतु प्रोत्साहन तंत्र के कारण अपेक्षित होंगे।

8.9 उत्पादन कंपनी समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान उपगत पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजी व्यय का विस्तृत विवरण, लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित, प्रस्तुत करेगी।

8.10 जहां वसूल किया गया टैरिफ वास्तविकीकरण के बाद आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से अधिक है तो उत्पादन कंपनी इस प्रकार वसूल की गई अतिरिक्त राशि लाभार्थियों को संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ वापस करेगी।

8.11 जहां वसूल किया गया टैरिफ वास्तविकीकरण के बाद आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से कम है तो उत्पादन कंपनी ऐसी कम वसूल की गई राशि लाभार्थियों से संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ वसूल करेगी।

8.12 कम वसूल की गई अथवा अधिक वसूल की गई राशि उत्पादन कंपनी द्वारा, संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ, आयोग द्वारा वास्तविकीकरण के बाद जारी किए गए टैरिफ आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर प्रारंभ होने वाली छह समान किश्तों में वापस या वसूल की जाएगी।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

8.13 नियंत्रण अवधि के अंत में, आयोग समीक्षा करेगा कि क्या इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के कार्यान्वन से उनके अभिप्रेत उद्देश्य हासिल किए जा सके हैं। ऐसा करते समय, आयोग अन्य बातों के साथ उद्योग संरचना, सेक्टर अपेक्षाओं, उपभोक्ता और अन्य स्टेकहोल्डरों की प्रत्याशाओं तथा समय के उस बिंदु पर आवेदक की अपेक्षाओं का ध्यान रखेगा। आयोग अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सेक्टर की अपेक्षाओं के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सिद्धांतों को संशोधित कर सकता है।

8.14 द्वितीय नियंत्रण अवधि का अंत तृतीय नियंत्रण अवधि का प्रारंभ होगा तथा उत्पादन कंपनी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जबतक कि आयोग द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं है। आयोग उत्पादन कंपनी के निष्पादन का विश्लेषण द्वितीय नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में करेगा तथा वास्तविक निष्पादन, प्रत्याशित कुशलता सुधारों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक मान निर्धारित करेगा।

क9: आवेदन का निस्तारण

9.1 आयोग उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का संसाधन इन विनियमों और व्यवसाय विनियमों का संचालन के अनुसार करेगा।

9.2 आयोग उत्पादन कंपनी के प्रस्तुतिकरणों, जनता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की आपत्तियों/सुझावों के आधार पर आवेदन ऐसे संशोधनों तथा/अथवा ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है, जो न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाएं और आवेदन की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर तथा जनता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की समस्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, एक ऐसा आदेश जारी कर

सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन टैरिफ और नियंत्रणीय आइटमों हेतु लक्ष्य दिये गए हैं।

क10 : आवधिक समीक्षाएं

10.1 बहु वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग उत्पन्न होने वाले किन्हीं व्यावहारिक मुद्दों, चिंताओं अथवा अप्रत्याशित परिणामों के संबोधन हेतु, नियंत्रण अवधि के दौरान उत्पादन कंपनी के निष्पादन की आवधिक समीक्षाएं कर सकता है।

10.2 उत्पादन कंपनी द्वारा सूचना, नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में आयोग द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के संदर्भ में निष्पादन के आकलन के लिए वास्तविक निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अंश के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। इसमें इसके निष्पादन और लेखा के वार्षिक विवरण होंगे तथा नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित लेखा के साथ साथ निर्धारित प्रारूप में नियामक लेखा, हासिल किए गए प्रतिमान और इन विनियमों के अनुसार संगणना टैरिफ शामिल होगा।

10.3 आयोग, शेष नियंत्रण अवधि के लिए, उत्पादन कंपनी के पूर्वानुमान में कोई संशोधन भी, उनके सविस्तार कारण देते हुए, निदेशित कर सकता है।

क11: विविध

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) लाभों की हिस्सेदारी

11.1 अनुमोदित सीडीएम परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों में हिस्सेदारी निम्नलिखित विधि में होगी, नामतः–

क) सीडीएम की सकल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंश उत्पादन कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन के तिथि के बाद पहले वर्ष (12 माह) में परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी;

ख) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा, जिसमें इसके 50 प्रतिशत पहुंचने तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिसके पश्चात प्राप्तियां उत्पादन कंपनी और उपयोक्ताओं द्वारा बराबर अनुपात में बांटी जाएंगी।

विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य

11.2 उत्पादन कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और उत्पादन केंद्र के लिए अर्जित विदेशी ऋण चुकाने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रभावन पर उत्पादन कंपनी के विवेकानुसार अंश अथवा पूर्ण रूप में व्यवस्था कर सकती है।

11.3 उत्पादन कंपनी विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य संबंधी व्यवस्था की लागत की वसूली मानकी विदेशी ऋण के सुसंगत, संबंधित वर्ष में वर्षानुवर्ष आधार पर इसके उत्पन्न होने की अवधि में व्यय के रूप में करेगी तथा व्यवस्थाकृत विदेशी ऋण के समक्ष ऐसे विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य के संगत अतिरिक्त रुपया दायित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.4 उत्पादन कंपनी विदेशी मुद्रा प्रभावन की व्यवस्था जिस सीमा तक करने हेतु सक्षम नहीं है, संबद्ध वर्ष में मानकी विदेशी मुद्रा ऋण के संगत ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त रुपया दायित्व की अनुमति दी जाएगी परंतु शर्त यह है कि यह उत्पादन कंपनी अथवा इसके आपूर्तिदाताओं अथवा ठेकेदारों को प्रदान नहीं की जाती है।

11.5 उत्पादन कंपनी व्यवस्था और विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की लागत वर्षानुवर्ष आधार पर इसके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में वसूल करेगी।

विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की व्यवस्था लागत की वसूली

11.6 विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की व्यवस्था लागत की वसूली सीधे उत्पादन कंपनी द्वारा उपयोक्ताओं से आयोग के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किए बिना की जाएगी।

परंतु शर्त यह है कि विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य अथवा व्यवस्था लागत के आधार पर दावा की गई राशि के संबंध मे उपभोक्ताओं द्वारा कोई आपत्ति किए जाने की स्थिति में उत्पादन कंपनी आयोग के समक्ष इसके निर्णय के लिए उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना

11.7 अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन, आयोग समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वन तथा उन विभिन्न विषयों, जिनके लिए आयोग को निर्देश देने हेतु इन विनियमों द्वारा शक्तिप्रदान की गई है, तथा उसके संबंधित अथवा आकस्मिक मुद्दों पर अपनाई जाने हेतु प्रक्रिया के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

11.8 इन विनियमों में कुछ भी दिए होने के बावजूद, आयोग को, स्वतः प्रेरित ढंग से अथवा किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर, किसी आवेदक के टैरिफ निर्धारण का अधिकार होगा।

कठिनाइयां दूर करने हेतु शक्तियां

11.9 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग एक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, जो इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत नहीं है, कर सकता है अथवा करने का दायित्व ले सकता है अथवा उत्पादन कंपनी को करने अथवा ऐसे कार्य करने का दायित्व लेने का निर्देश दे सकता है जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक अथवा समयोचित प्रतीत होते हैं।

शिथिलीकरण की शक्ति

11.10 आयोग लोक हित में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

व्याख्या

11.11 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आयोग का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

आयोग की अंतर्निष्ठ शक्तियों का बचाव

11.12 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कुछ भी, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की आयोग की शक्तियों को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से वैभिन्यतापूर्ण है, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों अथवा मामले की श्रेणी के दृष्टिगत और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अलग हटना आवश्यक अथवा समयोचित समझता है।

जांच और अन्वेषण

11.13 इन विनियमों के अधीन सभी जांच, अन्वेषण और न्यायनिर्णय आयोग द्वारा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही के माध्यम से किए जाएंगे।

संशोधन हेतु शक्ति

11.14 आयोग, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, किसी भी समय संशोधन द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किंचित परिवर्तन, परिवर्तन अथवा सुधार कर सकता है।

जयश्री रघुरमन
सचिव

नोट

आयोग ने सार्वजनिक हित में इन विनयमों का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया है. तथापि किसी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को प्रमाणिक माना जाए.

परिशिष्ट– I: मूल्यह्रास अनुसूची

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	मूल्यह्रास दर (अंशोद्धार मूल्य=10%)
		एसएलएम
A	पूर्ण स्वामित्वाधीन भूमि	0.00%
B	पट्टे के तहत भूमि	
(a)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(b)	स्थल की सफाई की लागत के लिए	3.34%
C	नई खरीदी गई संपत्तियां	
a.	उत्पादन केंद्रों में पीआई तथा मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	भाप–विद्युत एनएचआरबी एवं अपशिष्ट ऊष्मा पुनःप्राप्ति बॉयलर	5.28%
(iii)	डीजल विद्युत एवं गैस संयंत्र	5.28%
b.	कूलिंग टावर्स और सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स	5.28%
c.	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक सिस्टम संबंधी हाइड्रोलिक कार्य, जिसमें शामिल हैं:	
(i)	डैम, स्पिलवे वियर्स, नहरें, रीइनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लूम्स व साइफन्स	5.28%
(ii)	रीइनफोर्स्ड कंक्रीट पाइपलाइंस तथा सर्ज टैंक्स, स्टील पाइपलाइंस; स्लूइस गेट्स, स्टील सर्ज टैंक्स, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स तथा हाइड्रोलिक कार्य।	5.28%
d.	स्थायी प्रकार के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग निर्माण, जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है:	
(i)	कार्यालय और शोरूम	3.34%
(ii)	थर्मो– इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	3.34%
(iii)	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	3.34%
(iv)	अस्थायी निर्माण जैसे वुडन स्ट्रक्चर	100.00%
(v)	कच्ची रोड़ को छोड़कर अन्य रोड़	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
e.	ट्रांसफार्मर, कियोस्क सब–स्टेशन इक्विपमेंट एवं अन्य फिक्स उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) 100 किलो वोल्ट एम्पियर तथा अधिक की	5.28%

	रेटिंग सहित	
(ii)	अन्य	5.28%
f.	स्विचगियर, केबल कनेक्शन्स सहित	5.28%
g.	तड़ित चालकः	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	5.28%
h.	बैटरियां	5.28%
(i)	भूमिगत केबल ज्वाइंट बाक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित	5.28%
(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	5.28%
i.	ओवरहेड लाइंस केबल सपोर्ट सहित	
(i)	फैब्रीकेटेड स्टील पर लाइंस 66 केवी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	5.28%
(ii)	स्टील सपोर्ट पर लाइंस 13.2 केवी से अधिक किंतु 66 केवी से अधिक नहीं टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	5.28%
(iii)	स्टील या रीइनफोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट पर लाइंस	5.28%
(iv)	ट्रीटेड वुड सपोर्ट पर लाइंस	5.28%
j.	मीटर	5.28%
k.	सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल	9.50%
l.	एयर कंडीशनिंग प्लांट्सः	
(i)	स्टैटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
m.		
(i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	इंटरनल वायरिंग फिटिंग्स और उपकरणों सहित	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स	5.28%
n.	किराए पर उपकरणः	
(i)	मोटरों के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
o.	संचार उपस्कर	
(i)	रेडियो तथा उच्चतर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिस्टम्स	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाइंस तथा टेलीफोन	6.33%
P	आईटी उपस्कर	15.00%

ढ	ऊपर शामिल नहीं की गयी कोई अन्य संपत्ति	5.28%

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें विनियम

सं. एफ. 3(290)/टैरिफ/डीईआरसी/2011–12/सी.एफ.3180 . आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने तथा विभिन्न अंशधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के उपरांत और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 अनुमोदित करता है।

क1: संक्षिप्त नाम और विस्तार

1.1 ये विनियम "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011" कहे जाएंगे।

1.2 ये विनियम 1 अप्रैल, 2012 से लागू होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाए अथवा विस्तारित नहीं की जाए, प्रारंभन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

1.3 ये विनियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

क2: परिभाषाएं और व्याख्या

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो–

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), उसके संशोधनों सहित है;

(ख) **"सकल राजस्व आवश्यकता"** या **"एआरआर"** का अर्थ है, इन नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमति प्राप्त लाइसेंसीकृत व्यापार से संबंधित लागत, जिसे आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ और शुल्क से वसूल किया जाना है;

(ग) **"आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता"** का अर्थ है सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य के अंदर ट्रांसमिशन प्रणाली पर लंबी अवधि के उपभोक्ता को अनुमति प्राप्त आहरण और बिन्दु(ओं) और निर्दिष्ट अंतःक्षेपण बिन्दु(ओं) के बीच मेगावाट में पावर हस्तांतरण तथा "क्षमता आवंटन" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता को आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता, राज्य विद्युत उत्पादन स्टेशन, अंतरराज्यीय विद्युत उत्पादन स्टेशन और अनुबंधित पावर से, यदि कोई है तो, लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता को आवंटित उत्पादन क्षमता का योग होगा;

(घ) **"आवेदक"** का अर्थ है एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी जिसने इन नियमों के अनुसार ट्रांसमिशन शुल्क के निर्धारण के लिए एक आवेदन किया है और इसमें एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी शामिल है जिसका टैरिफ आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है;

(ङ) **"ऑडिटर"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के भाग 224 और 619 या उस समय के लिए लागू कोई अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त ऑडिटर;

(च) किसी दी गई अवधि के लिए **"उपलब्धता"** का अर्थ है उस अवधि के दौरान घंटों में समय जिसमें ट्रांसमिशन प्रणाली अपने नियत वोल्टेज पर बिजली ट्रांसमिट करने में सक्षम है और इसे दी गई अवधि में कुल घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा और इसकी गणना आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट संगणित की जाएगी;

(छ) **"आधार वर्ष"** का अर्थ नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष का तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष है;

(ज) **"लाभार्थी(यों)"** का अर्थ लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता और लंबी अवधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता दोनों है। एक वितरण लाइसेंसधारी आवश्यक रूप से एक लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता होगा जिसके लिए उसे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के साथ एक ट्रांसमिशन सेवा करार में प्रवेश करना होगा;

(झ) **"सीईआरसी"** का अर्थ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग है;

(ञ) **"कानून में परिवर्तन"** का अर्थ निम्नलिखित किसी घटना का घटित होना है:

(i) किसी कानून का अधिनियमन, प्रभावी किया जाना, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, किंचित संशोधन अथवा रद्द किया जाना; अथवा

(ii) किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई किसी सहमति, अनुमोदन अथवा लाइसेंस में परिवर्तन; अथवा

(iii) किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई किसी सहमति, अनुमोदन अथवा लाइसेंस में परिवर्तन; अथवा

(ट) **"आयोग"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;

(ठ) **"व्यवसाय संचालन विनियम"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बृहद् (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, है;

(ड) **"नियंत्रण अवधि"** का अर्थ आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2015 तक नियत की गई बहु–वर्षीय अवधि है;

(ढ) **"विच्छेदन तिथि"** का अर्थ परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के दो वर्ष पश्चात समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च है और परियोजना वर्ष की अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन होना घोषित किए जाने की स्थिति में, विच्छेदन तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष के तीन वर्ष पश्चात् समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च होगी;

(ण) **"वाणिज्यिक ऑपरेशन की तिथि"** या **"सीओडी"** का अर्थ है: ट्रांसमिशन प्रणाली के संदर्भ में, ट्रांसमिशन लाइसेंस धारी द्वारा 0000 घंटा से घोषित तिथि जिसके ट्रांसमिशन प्रणाली का एक तत्व , सफल शुल्क निर्धारण और ट्रायल ऑपरेशन के बाद नियमित सेवा में है:

बशर्ते कि तिथि किसी कैलेंडर माह का पहला दिन होगा और तत्व के लिए ट्रांसमिशन शुल्क उसी तिथि से देय होगा और इसकी उपलब्धता को उसी तिथि से माना जाएगा;

आगे यह भी कि यदि ट्रांसमिशन प्रणाली का तत्व नियमित सेवा के लिए तैयार है लेकिन सेवा देने से रोका जाता है जिसका कारण ट्रासमिशन लाइसेंसधारी, इसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदारों के फलस्वरूप नहीं है, ऐसे में आयोग वाणिज्यिक ऑपरेशन की तिथि तत्व के नियमित सेवा में आने के पहले अनुमोदित कर सकता है;

(त) **"वितरण लाइसेंसधारी"** का अर्थ है अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को ऑपरेट करने और उसके रख–रखाव के लिए अधिकृत एक लाइसेंसधारी ;

(थ) **"उपगत व्यय"** का अर्थ वह निधि, चाहे इक्विटी अथवा ऋण अथवा दोनों, है जो एक उपयोगी संपत्ति के सृजन अथवा अर्जन हेतु, वास्तव में नियोजित की गई तथा नकद अथवा नकद समतुल्य में अदा की गई है और इसमें वे वचनबद्धताएं अथवा देयताएं शामिल नहीं हैं, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(द) **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभ और उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है;

(ध) **"कार्यान्वयन करार"** का अर्थ है करार, अनुबंध या सहमति ज्ञापन या ऐसा कोई भी प्रसंविदा, जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता के बीच ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण के लिए किया गया हो;

(न) **"लाइसेंस"** का अर्थ है अधिनियम के भाग 14 के अंतर्गत आयोग द्वारा प्रदत एक लाइसेंस;

(प) **"लाइसेंस–प्राप्त व्यापार"** का अर्थ है वे कार्य और गतिविधियां जिन्हें लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा प्रदत लाइसेंस के संदर्भ में या अधिनियम के अंतर्गत मनद लाइसेंसधारी के रूप में लेने की जरुरत है;

(फ) **"लाइसेंसधारी"** का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे एक लाइसेंस प्रदान किया गया है और इसमें एक मनद लाइसेंसधारी शामिल है;

(ब) **"लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता"** का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास ट्रांसमिशन शुल्क भुगतान करने पर 12 वर्षों या उससे ज्यादा और 25 वर्षों से कम की अवधि के लिए राज्य के अंदर ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग का संविदात्मक अधिकार है;

(भ) **"मध्यम अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता"** का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास ट्रांसमिशन शुल्क भुगतान करने पर तीन महीनों से ज्यादा और तीन वर्षों से कम की अवधि के लिए राज्य के अंदर ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग का संविदात्मक अधिकार है ;

(म) **"गैर टैरिफ आय "** का अर्थ है टैरिफ (राज्य के अंदर बिजली का ट्रांसमिशन) से प्राप्त आय के अलावा लाइसेंस–प्राप्त व्यापार से संबंधित आय और जिसमें अन्य व्यापार से कोई आय नहीं शामिल है;

(य) **"अन्य व्यापार"** का अर्थ है विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 41 के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का अन्य व्यापार;

(कक) **"ओपन अक्सेस उपभोक्ता"** का अर्थ है उस आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त एक उपभोक्ता और इस अभिव्यक्ति में ऐसी बिजली उत्पादन की कंपनी और लाइसेंसधारी शामिल हैं । जिसने ओपन अक्सेस का लाभ उठाया है या लाभ उठाने का इरादा रखता है;

(खख) **"मूल परियोजना लागत"** का अर्थ है परियोजना के मूल दायरे में कट–आफ तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत है, ट्रांसमिशन लाइसेंस धारी द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय;

(गग) **"परियोजना"** का अर्थ है ट्रांसमिशन प्रणाली;

(घघ) **"रेटित वोल्टेज"** का अर्थ है निर्माता द्वारा डिजाइन किया गया वोल्टेज जिस पर ट्रांसमिशन प्रणाली का परिचालन डिजाइन किया गया है और जिसमें वैसा निम्न वोल्टेज शामिल है जिस पर लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता के साथ किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पर शुल्क लगाया जाता है या अभी के लिए लगाया जा रहा है;

(ङङ) **"लघु अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता"** का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास ट्रांसमिशन शुल्क भुगतान करने पर एक महीने तक की अवधि के लिए राज्य के अंदर ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग का संविदात्मक अधिकार है;

(चच) **"राज्य भार प्रेषण केंद्र" अथवा "एसएलडीसी"** का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अधीन कार्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठापित केंद्र है;

(छछ) **"राज्य"** का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है;

(जज) **"ट्रांसमिशन व्यापार"** का अर्थ है एक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा लाभार्थि(यों) और अनुमति प्राप्त ओपन अक्सेस उपभोक्ताओं को बिजली के ट्रांसमिशन का व्यापार;

(झझ) **"ट्रांसमिशन सेवा करार"** का अर्थ है करार, अनुबंध, या सहमति ज्ञापन या ऐसी कोई भी प्रसंविदा, जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और लंबी अवधि ट्रांसमिशन उपभोक्ता(ओं) के बीच ट्रांसमिशन प्रणाली के ऑपरेशन फेज के लिए किया गया हो;

(ञञ) **"ट्रांसमिशन प्रणाली"** का अर्थ है प्रणाली जो मुख्यतः अतिरिक्त उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइनों और सहायक उपकरणों तथा सब्स्टेशन की बनी है जिसमें ट्रांसफर योजना के रूप में निम्नतर वोल्टेज की कोई अन्य प्रणाली सहित नियत वोल्टेज 66 केवी से ज्यादा है या आयोग विशिष्ट रूप से पहचान कर सकता है, जो कि ट्रांसमिसशन लाइसेंसधारी द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित है और दो बिजली उत्पादन स्टेशनों के स्वीचयार्ड के बीच या एक उत्पादन स्टेशन से सबस्टेशन के बीच या दो सबस्टेशनों के बीच या किसी भी बाहरी इन्टर–कनेक्शन से बिजली के परिवहन के उद्देश्य के लिए उपयोग होता है और जिसमें वितरण प्रणाली के साथ इन्टरकनेक्शन तक सभी खण्ड उपकरण और बिजली के ट्रांसमिशन के संदर्भ में लिया गया या उपयोग में लाया गया कोई संयंत्र, औजार और मीटर शामिल है, लेकिन वितरण प्रणाली का कोई भाग शामिल नहीं होगा।

(टट) **"ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता कारक"** का अर्थ है ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता जैसा कि राज्य लोड प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है;

(ठठ) सीओडी से किसी ट्रांसमिशन प्रणाली की एक इकाई के संबंध में **"उपयोगी जीवन"** का अर्थ होगा सबस्टेशन के लिए 25 वर्ष और ट्रांसमिशन लाइन के लिए 35 वर्ष;

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

2.3 इन विनियमों के अधीन समस्त कार्यवाहियां, व्यवसाय संचालन विनियम द्वारा शासित होंगी।

क3: विनियमों का दायरा और लागू होने की सीमा

3.1 अधिनियम, नियमों और नीतियों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ये विनियम, अधिनियम के भाग 62 के अंतर्गत ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के सभी मामलों में लागू होंगे। हालांकि, ये उन मामलों में नहीं लागू होंगे जहां टैरिफ का निर्धारण अधिनियम के भाग 63 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बोली लगाने (बिडिंग) की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है।

3.2 इन विनियमों में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार, आयोग, ट्रांसमिशन व्यापार के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का निर्धारण करेगा।

क4: सामान्य दृष्टिकोण और मार्गदर्शी सिद्धांत

4.1 आयोग, एआरआरं के अनुमोदन और टैरिफ एवं शुल्क से अपेक्षित राजस्व के लिए बहु–वर्षीय टैरिफ फ्रेमवर्क अपनाएगा।

4.2 बहु वर्षीय टैरिफ संरचना निम्नलिखित पर आधारित होंगी:

(क) ट्रांसमिशन लाइसेंस के लिए संपूर्ण नियंत्रण अवधि की व्यवसाय योजना, नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से पूर्व आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के लिये संछेदी वहां नियत किए जायेंगे जहां आवेदक के कार्यपालन में प्रोत्साहन और गैर–प्रोत्साहन द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) कार्यपालन का वार्षिक पुनर्वलोकन अनुमोदित पूर्वानुमान के अनुसार किया जाएगा।

आधाररेखा

4.3 नियंत्रण अवधि हेतु आधार रेखा मान (प्रचालन और लागत प्राचलक) आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा पिछले अनुमोदित मानों, नवीनतम परीक्षित लेखा, संबद्ध वर्ष हेतु वास्तविकों के अनुमान, पूर्वविचार जांच तथा आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित अन्य घटकों पर आधारित होंगे।

4.4 आयोग सामान्यतः निष्पादन लक्ष्यों को संशोधित नहीं करेगा।

पूंजी निवेश योजना

4.5 आयोग, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रण अवधि के दौरान लोड वृद्धि पूर्वानुमान पर आधारित जमा प्रणाली वृद्धि की योजना का अनुमोदन करेगा। एआरआर की गणना के लिए समान पर विचार किया जाएगा, जबकि ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा प्रेषित बिजली की मात्रा को राज्य के अंदर नेटवर्क विस्तार योजना के आधार पर इसके लाभार्थियों की प्राक्कलित वृद्धि योजना और नई ट्रांसमिशन प्रणाली की कोई योजना पर विचार कर प्रस्तावित किया जाएगा।

4.6 लाइसेंसधारी द्वारा जमा किया गया पूंजी निवेश योजना, जारी परियोजनाओं का विवरण भी प्रदान करेगा, जो नियंत्रण अवधि और नई परियोजनाओं तक फैला होगा जो नियंत्रण अवधि में शुरु हो रही होंगी लेकिन नियंत्रण अवधि के बाद भी विस्तार पा सकती हैं।

4.7 पूंजी निवेश योजना, सीईए/सीटीयू/एसटीयू द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुरूप होगा। निवेश योजना, स्कीम–वार होगा और प्रत्येक स्कीम में शामिल होगा:

(क) निवेश का उद्देश्य (अर्थात, वर्तमान संपत्ति का विस्थापन, लोड वृद्धि को पूरा करना, तकनीकी घाटे को कम करना, प्रतिक्रियात्मक उर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार, आदि);

(ख) पूंजी संरचना;

(ग) पूंजीकरण अनुसूची;

(घ) वित्तपोषण योजना;

(ङ) लागत–लाभ विश्लेषण;

(च) नियंत्रण अवधि में परिकल्पित प्रदर्शन सुधार।

4.8 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को वर्ष के दौरान वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा फाइलिंग के साथ किया गया वास्तविक पूंजी व्यय और पूंजीकरण को समीक्षा के अंतर्गत जमा करना होगा।

4.9 आयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक पूंजी व्यय और पूंजीकरण की समीक्षा अनुमोदित पूंजी व्यय और पूंजीकरण सूची के सामने करता है। पूंजी व्यय और पूंजीकरण के स्तर के आधार पर, आयोग नियंत्रण अवधि के किसी भी वर्ष के लिए स्तर समान करने के दौरान नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) और घाटे को समकक्ष लाएगा। किसी भी वर्ष के लिए स्तर में लाए गए पूंजी व्यय और पूंजीकरण के आधार पर नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों के लिए आयोग पूंजी व्यय और पूंजीकरण को भी संशोधित कर सकता है।

4.10 आयोग से अनुमोदन के बाद पूंजी व्यय सामान्यतः लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

4.11 लाइसेंसधारी, स्कीम–वार संपत्ति पूंजीकरण का विवरण तिमाही जमा करेगा जिसके साथ इलेक्ट्रिकल इंसपेक्टर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज, जैसा की आयोग द्वारा समय–समय पर नियोजित पूंजी पर रिटर्न और मूल्य में कमी को होने देने के लिए निर्धारित किया जा सकता है, भी होंगे।

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

4.12 ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोगी जीवन अवधि के बाद भी जीवन के विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर. एवं एम.) लाइसेंसधारी पर खर्च को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी आयोग के सामने पूरे स्कोप, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, एक संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, खर्च को चरणबद्ध करना, संपूर्णता की सूची, मूल्य स्तर संदर्भ, विदेशी मुद्रा घटक सहित अनुमानित पूर्णता लागत, यदि कोई हो, लाभार्थी की सहमति और कोई अन्य सूचना जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा संदर्भपूर्ण समझा जाता हो, देते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करेगा।

4.13 जहां ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी आर एवं एम प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक आवेदन करता है, अनुमोदन, लागत अनुमान, वित्तीय योजना, पूर्णता की सूची, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रोद्योगिकी, लागत–लाभ विश्लेषण और आयोग द्वारा संदर्भपूर्ण समझे जाने वाले ऐसे अन्य कारकों पर विचार करने के बाद दिया जाएगा।

4.14 कोई खर्च जो हुआ हो या होना अनुमानित हो, जैसा आयोग द्वारा नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय और जीवन विस्तार के अनुमान पर आधारित सावधानीपूर्वक जांच के बाद स्वीकृत है और वास्तविक परियोजना लागत से पुनःप्राप्त मूल्य गिरावट के विरुद्ध अग्रिम सहित विस्थापित संपत्ति की राशी को अलग करने और जमा मूल्य गिरावट को घटाने के बाद टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगा।

नियंत्रणीय पैरामीटर के लिए लक्ष्य

4.15 आयोग चीजों या पैरामीटर के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा जो "नियंत्रीणय" माना जाएगा और जिसमें शामिल होगा:

(क) ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता;

(ख) परिचालन और रख–रखाव खर्च जिसमें शामिल है कर्मचारी के खर्चे, मरम्मत एवं रख–रखाव के खर्चे, प्रशासनिक तथा सामान्य खर्चे और अन्य विविध खर्चे अर्थात, ऑडिट शुल्क, किराया, कानूनी शुल्क आदि;

(ग) पूंजी नियोजन पर रिटर्न और

(घ) विमूल्यन

ट्रूईंग अप

4.16 नियंत्रणीय पैरामीटर के लिए

(क) परिचालन और रख–रखाव (ओ एवं एम) व्यय के खाते पर कोई भी अधिशेष या घाटा लाइसेंसधारी के खाते में होगा और एआरआर में नहीं शामिल किया जाएगा; और

(ख) मूल्य में गिरावट और नियोजित पूंजी पर रिटर्न का समतुल्यन प्रत्येक वर्ष वास्तविक पूंजी व्यय और वास्तविक पूंजीकरण के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी निवेश योजना (पूंजी व्यय और पूंजीकरण) के समकक्ष किया जाएगा:
परंतु शर्त यह है कि कार्यशील पूंजी में कोई अधिशेष या घाटा उत्पादन कंपनी के खाते में होगा तथा एआरआर में वास्तविक नहीं बनाया जाएगा; परंतु आगे शर्त यह है कि आयोग ब्याज दर को वास्तविक नहीं बनाएगा, यदि नियंत्रण अवधि के दौरान 1 अप्रैल, 2012 को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में अंतर +/−1 प्रतिशत के भीतर है। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में +/−1 प्रतिशत से अधिक के अंतर को ही वास्तविक बनाया जाएगा।

क5: एआरआर के निर्धारण के लिए सिद्धान्त

5.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, अपने व्यापार को ट्रांसमिशन व्यापार और एसएलडीसी गतिविधि में बांटता है। ट्रांसमिशन व्यापार राजस्व आवश्यकता का उपयोग अभेदात्मक ट्रांसमिशन शुल्क के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

5.2 उस समय तक, जब तक कि ट्रांसमिशन व्यापार और एसएलडीसी गतिविधि के बीच खातों का पूरा अलगाव होता है, प्रत्येक व्यापार के लिए एआरआर एक आवंटन वक्तव्य द्वारा समर्थित होगा जिसमें सभी लागत, राजस्व, संपत्ति, देनदारियां, भंडार और ट्रांसमिशन व्यापार, एसएलडीसी गतिविधि तथा अन्य ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के कोई अन्य व्यापार के बीच प्रावधान शामिल है। आवंटन वक्तव्य में विभिन्न व्यापारों के बीच विभाजन के लिए इस्तेमाल पद्धति भी शामिल है।

परिचालन मानदंड

5.3 आयोग व्यापार योजनाओं के निवेदन के आधार पर बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए परिचालन के उपयुक्त मानदंड निर्दिष्ट करेगा। विचार किया जाने वाला पैरामीटर, अन्य के साथ शामिल करेगा:

(क) निर्देशात्मक वार्षिक ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता कारक (एनएटीएएफ) : नियंत्रण अवधि के दौरान संपूर्ण वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता :
एसी प्रणाली : 98.0%

(ख) लक्ष्य उपलब्धता के नीचे संपूर्ण वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क की वसूली एक *यथानुपात* आधार पर की जाएगी।

ट्रांसमिशन व्यापार के लिए एआरआर

5.4 ट्रांसमिशन नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन व्यापार के लिए सकल राजस्व आवश्यकता में निम्नांकित वस्तु शामिल होंगी:

(क) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
(ख) नियोजित पूंजी पर रिटर्न ;
(ग) मूल्यह्रास
(घ) आयकर
(ङ) कम : गैर–टैरिफ आय ; और
(च) कम : अन्य व्यापार से आय

प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

5.5 मानकी प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें;
(ख) प्रशासनिक तथा सामान्य लागतें जो ऋण की स्थापना से संबंधित व्यय भी शामिल करेगा;
(ग) मरम्मत और अनुरक्षण;
(घ) वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी उपभोग आदि के उद्देश्य के लिए सब–स्टेशन में अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग से संबंधित खर्च; और
(ङ) अन्य विविध व्यय, सांविधिक लेवी और कर (कॉरपोरेट आय कर को छोड़कर)

5.6 लाइसेंसधारी, बहु वर्षीय टैरिफ फाइलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्वरूप में नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय जमा करेगा। आधार वर्ष के लिए ओ एवं एम व्यय, नवीनतम उपलब्ध खाते, लाइसेंसधारी द्वारा फाइल की गई व्यापार योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़ों के लिए अनुमान, विवेक जांच और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उचित समझा जाता है को विचार में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित होगा।

5.7 नियंत्रण अवधि के हर वर्ष के लिए एआरआर हेतु अनुमोदित ओ एवं एम व्यय का निर्धारण नीचे विवरणकृत सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

(क) $O\&Mn = (R\&Mn + EMPn + A\&Gn) * (1 - Xn)$

जहां,

(i) $R\&Mn = K * GFAn\text{-}1$;

(ii) $EMPn + A\&Gn = (EMPn\text{-}1 + A\&Gn\text{-}1) * (INDX)$; and

(iii) $INDX = 0.55 * CPI + 0.45 * WPI$

(iv) ईएमपी$_{एन}$ EMPn – nवें वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की कर्मचारी लागत ;

(v) एएवंजी$_{एन}$ A&Gn – nवें वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की प्रशासनिक और सामान्य लागत;

(vi) आरएवंएम$_{एन}$ R&Mn – nवें वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की मरम्मत और रख–रखाव का लागत;

(vii) X_n nवें वर्ष हेतु एक कुशलता कारक है। X_n का मान आयोग द्वारा लाइसेंस की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित किसी अन्य कारक के आधार पर एमवाईटी टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा।

जहां,

"K" एक स्थिरांक है (प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है)। नियंत्रण अवधि के हर वर्ष हेतु "K" का मान आयोग द्वारा लाइसेंस की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त विचारित किसी अन्य कारक के आधार पर एमवाईटी टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा।

INDX – सूचकांकन हेतु प्रयुक्त स्फीति घटक। INDX का मान आधार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का संयोजन होगा।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

5.8 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई), ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को रिटर्न प्रदान करने के लिए उपयोग होगा और कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज के लिए अलग भत्ता प्रदान किए बिना सभी वित्तपोषण लागत तथा कर को कवर करेगा।

5.9 विनियमित दर आधार (आरआरबी) का उपयोग कुल नियोजित पूंजी की गणना में होगा जिसमें संपत्ति की मूल लागत और कार्यशील पूंजी शामिल होगी, एकत्रित विमूल्यन घटा कर। प्रगति में पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), आरआरबी के भाग का रूप नहीं होगा। आरआरबी की गणना में पूंजी सब्सिडी/अनुदान को घटा दिया जाएगा।

5.10 आरआरबी का निर्धारण, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए नियंत्रण अवधि के शुरुआत में अनुरूप पूंजीकरण अनुसूची तथा निर्देशात्मक कार्यशील पूंजी के साथ अनुमोदित पूंजी निवेश के आधार पर होगा।

5.11 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए विनियमित दर आधार की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

$$RRBi = RRB\ i\text{-}1 + \Delta ABi/2 + \Delta WCi;$$

जहां,

i नियंत्रण अवधि का पहला वर्ष है, i = 1,2,3,4 पहले नियंत्रण अवधि के लिए ;

RRBi: नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए विनियमित दर आधार;

ΔABi: नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए विनियमित दर आधार में बदलाव। यह घटक वर्ष की शुरूआत और अंत में मूल्य का औसत होगा क्योंकि संपत्ति सृजन पूरे वर्ष फैला होता है और निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:

$$\Delta ABi = Invi - Di - CCi;$$

जहां,

Invi: नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के दौरान निवेश के लिए पूंजीकृत होने का अनुमान और अनुमोदित;

Di: नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए अलग रखी गई राशि या अचल संपत्ति के मूल्यह्रास के खाते में लिखा गया;

CCi: AABi से संबंधित उपभोक्ता योगदान, पूंजी सब्सिडी / अनुदान और सेवा रेखाओं के निर्माण या अचल संपत्ति के सृजन के लिए नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजी सब्सिडी / अनुदान;

RRB i-1: नियंत्रण अवधि के वर्ष से पहले पहले वित्तीय वर्ष के लिए विनियमित दर आधार। नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए, RRB i-1 आधार वर्ष के लिए विनियमित दर आधार होगा RRBO ;

$$RRBO = OCFAO - ADO - CCO;$$

जहां,

OCFAO: आधार वर्ष के अंत में अचल संपत्ति की मूल लागत जो उपयोग के लिए उपलब्ध है और लाइसेंस प्राप्त व्यापार के उद्देश्य से आवश्यक है;

ADO: आधार वर्ष के अंत में विनियमित व्यापार से संबंधित अचल संपत्ति के मूल्यह्रास के खाते में लिखी गई या अलग रखी गई राशि;

CCO: OCFAo से संबंधित कुल योगदान जो उपभोक्ता, पूंजी सब्सिडी / अनुदान द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण की लागत में किया गया और जिसमें इस उद्देश्य से प्राप्त पूंजी सब्सिडी / अनुदान शामिल है;

ΔWCi: (i-1)वें वर्ष से, नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष में निर्देशात्मक कार्यशील पूंजी आवश्यकता में बदलाव। नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष में (i=1), ΔWC1 को पहले वर्ष की निर्देशात्मक कार्यशील पूंजी आवश्यकता के रूप में लिया जाएगा। बिजली को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी बनी होगी,

(i) NATAF पर गणना की गई ट्रांसमिशन टैरिफ पर दो महीने के लिए प्राप्त राशियां;

(ii) परिचालन और रख–रखाव व्यय की 15% दर पर रख–रखाव पुर्जे; और

(iii) एक महीने के लिए परिचालन और रख–रखाव व्यय।

5.12 वर्ष के लिए नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) 'i' की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

$$RoCE = WACCi * RRBi$$

जहां,

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पूंजी की भारित औसत लागत WACCi है;

RRBi -विनियमित दर आधार, पूंजी निवेश योजना और कार्यशील पूंजी पर आधारित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संपत्ति आधार है।

5.13 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए WACC की गणना नियंत्रण अवधि की शुरुआत में निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

$$WACC = \left[\frac{D/E}{1+D/E}\right] * rd - \left[\frac{1}{1-D/E}\right] * re$$

जहां,

D/E, ऋण की इक्विटी के साथ अनुपात है और टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, संपत्ति पूंजीकरण के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां कार्यरत इक्विटी 30% की अधिकता में है, टैरिफ के उद्देश्य से इक्विटी की राशि, 30% तक सीमित होगी और शेष राशि को काल्पनिक ऋण माना जाएगा। काल्पनिक ऋण की तरह देखे जा रहे 30% की अधिकता में इक्विटी की राशि पर ब्याज दर, संबंधित वर्षों के लिए लाइसेंसधारी के ऋण का भारित औसत दर होगी और वह आगे विनियमन में इक्विटी पर निर्धारित वापसी दर तक सीमित होगी। जहां वास्तविक कार्यरत इक्विटी 30% से कम है, वास्तविक इक्विटी और ऋण पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते कि कार्यरत पूंजी को 100% ऋण माना जाए जो WACC की गणना के लिए वित्तपोषित है;

बशर्ते यह भी कि 1 जुलाई, 2002 दिनांकित स्थानांतरण योजना के अंतर्गत कवर की गई संपत्ति के लिए ऋण और इक्विटी के अनुपात को स्थानांतरण योजना में ऋण और इक्विटी के अनुसार माना जाएगा;

बशर्ते यह भी कि 1.04.2012 तक संपत्ति पूंजीकरण के लिए ऋण और इक्विटी अनुपात (स्थानांतरण योजना के अंतर्गत कवर की गई संपत्ति के अलावा) को पूंजीकरण के समय आयोग द्वारा अनुमोदित ऋण और इक्विटी के अनुसार माना जाएगा।

rd ऋण की लागत है और इसका निर्धारण नियंत्रण अवधि की शुरुआत में, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के प्रस्ताव, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंधित ऋण की वर्तमान लागत, क्रेडिट रेटिंग, बेंचमार्किंग और अन्य संदर्भित कारकों (जोखिम मुक्त रिटर्न, जोखिम प्रीमियम, प्राइम लेंडिंग आदि) पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

re इक्विटी पर रिटर्न है और ट्रांसमिशन व्यापार के लिए 14% कर उपरांत पर विचार किया जाएगा।

5.14 टैरिफ अवधि 2012–15 के वर्षों के लिए ऋण अदायगी को उस वर्ष के लिए मूल्यह्रास की अनुमति के बराबर माना जाएगा।

5.15 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा लाभ उठाए जा रहे किसी अधिस्थगन के होते हुए भी, ऋण की अदायगी परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के पहले वर्ष को ही माना जाएगा और वार्षिक मूल्यह्रास की अनुमति के बराबर माना जाएगा।

मूल्यह्रास

5.16 मूल्यह्रास की गणना नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संबंधित वर्ष के विनियमित दर आधार की गणना के लिए विचार किए गए अचल संपत्ति के मूल लागत की राशि पर की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि किसी भी पूंजी सब्सिडी/अनुदान द्वारा अनुदानित पूंजी पर मूल्यह्रास की अनुमति नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों के विस्थापन के लिए प्रावधान पूंजी निवेश योजना में किया जाएगा;

बशर्ते यह भी कि लाइसेंसधारी, सेवानिवृत्त और निपटारा की गई संपत्तियों का वर्ष–वार ब्यौरा जमा करेगा, जो अचल संपत्ति के मूल लागत से हटा दिया जाएगा;

बशर्ते यह भी कि संपत्तियां सामान्यतः उपयोगी जीवन पूरा होने के पहले सेवानिवृत्त नहीं होंगी और लाइसेंसधारी किसी भी संपत्ति के उसके उपयोगी जीवन के पहले सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आयोग की पूर्व अनुमति लेगा;

बशर्ते यह भी कि लाइसेंसधारी, अपने उपयोगी जीवन को पूरा कर चूकी संपत्तियों का वर्ष–वार ब्यौरा जमा करेगी।

5.17 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यह्रास का निर्धारण इन विनियमों के परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट दरों एवं अन्य निबंधनों सहित इन विनियमों में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के आधार पर किया जाएगा।

5.18 संपत्तियों का अवशेष मूल्य 10% माना जाएगा और मूल्यह्रास की अनुमति संपत्ति के मूल लागत के अधिकतम 90% तक होगी। भूमि एक मूल्यह्रास योग्य संपत्ति नहीं है और संपत्ति के मूल लागत के 90% की गणना के दौरान इसकी लागत को बाहर रखा जाएगा:

बशर्ते यह भी कि यदि लाइसेंसधारी, किसी भी सेवानिवृत्त संपत्ति के निपटारे पर अवशेष मूल्य से कम प्राप्त कर रहा है, तो यह ऐसी संपत्तियों के निपटारे के पहले आयोग का पूर्व अनुमोदन लेगा।

5.19 मूल्यह्रास की गणना वार्षिक आधार पर, सरल रेखा विधि के आधार पर, संपत्ति के उपयोगी जीवन पर की जाएगी। संपत्ति की मूल लागत मूल्यह्रास के प्रयोजनार्थ हेतु आधार मूल्य होगी।

परंतु शर्त यह है कि, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के बाद समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में विभाजित किया जाएगा।

5.20 विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, 1.4.2012 को शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणना, संपत्ति के सकल मूल्यह्रास योग्य मूल्य से 31.3.2012 तक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यह्रास के समक्ष अग्रिम सहित संचयी मूल्यह्रास घटाकर की जाएगी। मूल्यह्रास की दर संचयी मूल्यह्रास 70 प्रतिशत तक पहुंचने तक इन विनियमों के परिशिष्ट–I में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित की जानी जारी रहेगी। तदुपरांत शेष मूल्यह्रास योग्य मूल्य संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि अधिकतम मूल्यह्रास 90 प्रतिशत को पार नहीं करता है।

5.21 मूल्यह्रास पूंजी के प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। संपत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के एक भाग के लिए होने की स्थिति में, मूल्यह्रास *यथानुपात* आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

आय पर कर

5.22 ट्रांसमिशन लाइसेंस के आय प्रवाहों पर लाभार्थियों से कर वसूल किया जाएगा। आय पर कर, यदि कोई, देय होगा नियोजित पूंजी के इक्विटी घटक पर प्रतिफल पर कर तक सीमित होगा। उच्चतर उपलब्धता, निम्नतर ओ एवं एम व्यय इत्यादि जैसे सुधरे निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि पर कोई अतिरिक्त कर देयता नहीं होगी तथा अन्य आय नहीं मानी जाएगी:

परंतु शर्त यह है कि प्रास्थगित कर देयता, अनुषंगी लाभ कर को छोड़कर, 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए, जब भी अस्तित्व में आती है, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जाएगी।

5.23 आय कर के वास्तविक आकलन में कर अवकाश के लाभों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तथा आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू अग्रेषण हानियों हेतु क्रेडिट उपभोक्ताओं को हस्तांतरित किया जाएगा।

गैर–टैरिफ आय

5.24 सभी आय जो इलेक्ट्रिसिटी व्यापार के प्रासंगिक जा रहे हैं और लाइसेंसधारी द्वारा स्रोत से व्युत्पन्न हैं, जिसमें संपत्तियों का निपटारा, किराया, विलंब भुगतान सरचार्ज और लाभार्थी से विविध प्राप्तियों से व्युत्पन्न लाभ शामिल हैं पर वहीं तक सीमित नहीं है, वे लाइसेंसधारी के गैर–टैरिफ आय को गठित करेंगी।

5.25 ऐसे लाइसेंसधारी की शुद्ध राजस्व आवश्यकता की गणना में गैर–टैरिफ आय के खाते में लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त राशि को सकल राजस्व आवश्यकता से घटा लिया जाएगा।

ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की अन्य आय

5.26 जहां ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी कोई अन्य व्यापार में लगा है, ऐसे व्यापार से आय की गणना "ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की अन्य व्यापार से आय और वितरण लाइसेंसधारी की डीईआरसी ट्रीटमेंट विनियमन 2005" के अनुसार की जाएगी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के राजस्व आवश्यकता की गणना में सकल राजस्व आवश्यकता से घटा लिया जाएगा;

बशर्ते कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, ट्रांसमिशन व्यापार और अन्य व्यापार के बीच सभी संयुक्त और आम लागत के आवंटन के लिए एक तर्कसंगत आधार का अनुसरण करेगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवंटन वक्तव्य को टैरिफ निर्धारण के लिए उसके आवेदन के साथ आयोग को जमा करेगा;

बशर्ते यह भी कि जहां ऐसे अन्य व्यापार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग, ऐसे अन्य व्यापार से राजस्व से ज्यादा हो जाएगा या किसी अन्य कारण से, किसी भी राशि को ऐसे अन्य व्यापार के खाते पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता में जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

विलम्बित भुगतान उपप्रभार

5.27 इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों हेतु लाभार्थी द्वारा किसी बिल के भुगतान में बिलिंग की तिथि से 60 दिन से अधिक अवधि का विलंब किए जाने पर ट्रांसमिशन लाइसेंस द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर पर विलम्बित भुगतान उपप्रभार वसूल किया जाएगा।

छूट

5.28 ट्रांसमिशन लाइसेंस के बिलों का भुगतान लेटर आफ क्रेडिट के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ट्रांसमिशन लाइसेंस द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद एक माह की अवधि के भीतर किसी अन्य विधि से भुगतान किए जाने की स्थिति में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

आपूर्ति की गुणवत्ता

5.29 आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान निम्नलिखित आपूर्ति पैरामीटर की गुणवत्ता की निगरानी करेगा:

(क) ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता

(ख) विविध क्षमताओं के ट्रांसफॉर्मर में विफलता, जो विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या को निर्दिष्ट समय अवधि में ट्रांसमिशन प्रणाली के अंदर उस निर्दिष्ट क्षमता में ट्रांसफॉर्मर की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करता है।

5.30 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, अपनी व्यापार योजना फाइलिंग में गुणवत्ता लक्ष्यों की उपलब्धी के लिए प्रक्षेप पथ जमा और प्रस्तावित करेगा। आयोग, प्रत्येक पैरामीटर के लिए लक्ष्य निर्दिष्ट करेगा। ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, प्रत्येक पैरामीटर पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रकार और तरीके में अपना प्रदर्शन जमा करेगा।

सुरक्षा मानदंड

5.31 ट्रांसमिशन लाइसेंस एक सुरक्षा मैनुअल तैयार करेगी तथा अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों की लीक पर निर्माण प्रचालन इत्यादि के दौरान न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों के अनुरक्षण हेतु प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

क6: टैरिफ के निर्धारण हेतु सिद्धांत

6.1 लाइसेंसधारी, ट्रांसमिशन टैरिफ के लिए आवेदन दायर करने के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।

ट्रांसमिशन और एसएलडीसी कार्यों का अलगाव

6.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अपने व्यवसाय को ट्रांसमिशन और एसएलडीसी कार्यों में विभाजित करेगा और अपने खातों को इन दो व्यवसायों के बीच अलग करेगा। खातों का अलगाव पूरा होने तक, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी एक आवंटन वक्तव्य जमा करेगा जिसमें उस व्यापार के लागत और राजस्व का विभाजन होगा। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवंटन वक्तव्य के साथ, विभाजन के लिए पद्धति की एक व्याख्या होगी जो कि नियंत्रण अवधि में लगातार होनी चाहिए।

ट्रांसमिशन टैरिफ

6.3 ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभार्थियों द्वारा देय ट्रांसमिशन टैरिफ को नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित सकल राजस्व आवश्यकता की पुनः प्राप्ति के लिए डिजाइन किया जाएगा।

6.4 ट्रांसमिशन टैरिफ के अतिरिक्त, प्रतिक्रियात्मक उर्जा के लिए शुल्क, जैसा एमवाईटी आदेश में आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है वह भी प्रणाली के सभी लाभार्थियों द्वारा देय होगा।

एसएलडीसी शुल्क

6.5 एसएलडीसी शुल्क, आयोग द्वारा निर्धारित किए गए विविध उपयोगिताओं द्वारा देय होगा।

वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा शुल्क

6.6 ट्रांसमिशन प्रणाली के तय लागत की गणना वार्षिक आधार पर होगी, इन विनियमों में शामिल मानकों के अनुरूप, उपयोगकर्ता से उचित रूप में एकत्रित और ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर मासिक रूप में पुनः प्राप्त किया जाएगा।

6.7 ट्रांसमिशन शुल्क (प्रोत्साहन सहित), ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए एक कैलेंडर माह के लिए देय या एक भाग के लिए होगा जहां,

$$ARR \times (NDM / NDY) \times (TAFM / NATAF)$$

जहां,

ARR = वर्ष के लिए निर्दिष्ट सकल राजस्व आवश्यकता, रुपये में;

NATAF = निर्देशात्मक वार्षिक ट्रांसमिशन उपलब्धता कारक, इन विनियमों की धारा 5.3(क) में निर्दिष्ट प्रतिशत में;

NDM = माह में दिनों की संख्या;

NDY = वर्ष में दिनों की संख्या; और

TAFM = महीने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में, इन विनियमों के परिशिष्ट–II के अनुरूप गणना किया हुआ।

6.8 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, एक महीने के लिए टीएएफएम के इसके आंकलन के आधार पर ट्रांसमिशन शुल्क के लिए बिल निकालेगा (प्रोत्साहन सहित)। यदि कोई समायोजन हो तो वह एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित टीएएफएम के आधार संदर्भित महीने के अंतिम दिन से 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।

ट्रांसमिशन सेवा शुल्क का आवंटन

6.9 वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा शुल्क (एटीएससी), ट्रांसमिशन प्रणाली की लंबी और मध्यम अवधि के ग्राहकों के बीच आवंटन ट्रांसमिशन क्षमता या अनुबंधित क्षमता, जैसा भी मामला हो, के आधार पर मासिक दर पर साझा किया जाएगा।

6.10 किसी संयंत्र क्षमता के लिए अनुरूप ट्रांसमिशन शुल्क, जिसके लिए एक लाभार्थी की पहचान और अनुबंध नहीं किया गया है, संबंधित उत्पादक कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

6.11 राज्य के अंदर ट्रांसमिशन प्रणाली की लंबी, मध्यम या लघु अवधि का लाभ उठाने के संदर्भ में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा।

बशर्ते कि, लंबी अवधि और मध्यम अवधि के लिए लेन–देन को रू./किवा./माह के रूप में नामित किया जाएगा या आयोग द्वारा अनुबद्ध कोई उपयुक्त संज्ञा दी जाएगी।

6.12 शक्ति विनिमय के माध्यम से लघु अवधि की द्विपक्षीय लेन–देन और लघु अवधि संयुक्त लेन–देन के लिए, ट्रांसमिशन टैरिफ को रू. /किवा./घं. के रूप में नामित किया जाएगा।

6.13 लघु अवधि ओपन एक्सेस ग्राहक से संग्रहित शुल्क का 25% ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाता है और शेष 75% को गैर–टैरिफ आय के रूप में माना जाएगा और लंबी अवधि और मध्यम अवधि उपयोगकर्ताओं द्वारा देय ट्रांसमिशन सेवा शुल्क में कटौती के विरुद्ध समायोजित होगी।

6.14 इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, अध्ययन और उचित विनियामक प्रक्रिया संचालित करने के बाद, संशोधित साझेदारी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा शुल्क की पुनः प्राप्ति को अधिसूचित कर सकता है।

ट्रुईग अप मेकैनिज्म

6.15 ट्रुईग अप, प्रत्येक वर्ष के लिए वास्तविक ऑडिटेड सूचना और आयोग द्वारा विवेक पूर्ण जांच के आधार पर 4.16 विनियमन के अनुसार किया जाएगा;

बशर्ते कि, यदि ऐसी विविधता बड़ी है और अकेले एक वर्ष में उबर पाना संभव नहीं है तो आयोग, राष्ट्रीय टैरिफ नीति की खंड 8.2.2 में प्रदत दिशानिर्देशों के अनुसार एक नियामक संपत्ति सृजित करने का विचार कर सकता है।

आगे प्रावधान है कि सामान्य शर्तों के अनुरूप कार्य के अंतर्गत, आयोग को टैरिफ उपयुक्तता सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें पारगमन वित्तपोषण व्यवस्था या पूंजी पुनसंरचना प्रदान करने के बाद नियंत्रण अवधि के संदर्भित वर्ष के बाद के वर्ष में शामिल करने के बजाय आगे की नियंत्रण अवधि की एआरआर में गैर–शामिल अंतर/वास्तविक लागत के आरंभिक हिसाब को शामिल किया जा सकता है।

क7: बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

7.1 बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुतीकरण ऐसे रूप और ऐसी विधि में होगा जैसाकि आयोग द्वारा तथा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय किया जाता है।

7.2 ट्रांसमिशन लाइसेंस द्वारा बहु वर्षीय टैरिफ आयोग के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

नियंत्रण अवधि के लिए बहु– वर्षीय फाइलिंग

व्यवसाय योजना प्रस्तुतीकरण

7.3 ट्रांसमिशन लाइसेंस आयोग के अनुमोदन हेतु फाइल प्रस्तुत करेगी; नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की 1 अप्रैल को अथवा आयोग द्वारा निदेशित किसी अन्य तिथि को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवसाय योजना। व्यवसाय योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए होगी तथा उसमें अन्य के साथ निम्नलिखित होंगा;

(क) पूंजी निवेश योजना: यह व्यापार योजना में प्रस्तावित लोड में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार के अनुरूप होनी चाहिए। निवेश योजना में तदनुसार पूंजीकरण अनुसूची और वित्तीय योजना भी शामिल होनी चाहिए;

(ख) उपयुक्त पूंजी संरचना और वित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याज) और इक्विटी पर रिटर्न, वर्तमान ऋण समझौता की शर्तें, आदि;

(ग) प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएवंएम) व्यय: इसमें आधार वर्ष हेतु अनुमानित लागतें, विगत नियंत्रण अवधि में उपगत वास्तविक व्यय तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ओएवंएम लागत हेतु प्रस्तावित प्रतिमानों पर आधारित प्रक्षेपित मूल्य, सूचकांकन और अन्य उपयुक्त तंत्रों समेत शामिल होगा;

(घ) मूल्यह्रास: नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संपत्ति और पूंजीकरण अनुसूची के उचित जीवन पर आधारित;

(ड.) प्रदर्शन लक्ष्य: नियंत्रण योग्य वस्तुओं जैसे ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता, ट्रांसफॉर्मर विफलता दर और आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए कोई अन्य पैरामीटर के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों का सेट। लक्ष्य, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप होंगे;

(च) वस्तु–वार विवरण और ब्यौरे के साथ गैर–टैरिफ आय के लिए प्रस्ताव;

(ज) अन्य व्यापार से आय के संदर्भ में प्रस्ताव;

(छ) अन्य सूचना: इसमें ट्रांसमिशन लाइसेंस द्वारा टैरिफ के निर्धारण के दौरान विचार किए जाने हेतु उपयुक्त विचारित अन्य विवरण शामिल होगा; और

(i) एसएलडीसी शुल्क।

टैरिफ प्रस्तुतीकरण

7.4 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के अनुमोदन के लिए एक आवेदन फाइल करेगा, जो कि नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष की शुरूआत के 120 दिन पहले से कम नहीं होना चाहिए या आयोग द्वारा निर्देशित कोई ऐसी अन्य तिथि।

7.5 ट्रांसमिशन टैरिफ की फाइलिंग में निम्नलिखित शामिल होगा:

(क) व्यापार योजना के अनुरूप नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली या नेटवर्क उपयोग पूर्वानुमान;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ डिजाइन के लिए प्रस्ताव, जिसमें घाटा और उसकी प्रक्रिया पर शुल्क लगाना है;

(ग) पर्याप्त औचित्य द्वारा समर्थित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ दर के लिए प्रस्ताव;

(घ) प्रतिक्रियात्मक उर्जा शुल्क के लिए प्रस्ताव;

(ड.) एसएलडीसी शुल्क के लिए प्रस्ताव; और

(च) लाइसेंस प्राप्त व्यापार, गैर–टैरिफ आय और अन्य व्यापार से आय तथा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले मामलों से अपेक्षित राजस्व।

7.6 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी लाभार्थियों को बिल देना अनंतिम रूप से जारी रखेगा, आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के साथ और इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा टैरिफ के अनुमोदन होने तक 31.3.2012 को 1.4.2012 से शुरू अवधि के लिए लागू।

बशर्ते कि, इन विनियमनों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से, जहां टैरिफ अंतिम रूप से ज्यादा या कम बिल बनाता है, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, छह महीने के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधार दर के बराबर दर पर सरल ब्याज और साथ ही संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को 150 आधार बिन्दु के साथ लाभार्थियों को वापसी करेगा या उनसे वापस लेगा।

नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर)

7.7 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के शुरूआत में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन लक्ष्य के समकक्ष अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए वास्तविक प्रदर्शन पर वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में सूचना जमा करेगा। लाइसेंसधारी, अनियंत्रणीय पैरामीटर (गैर–टैरिफ आय) और नियंत्रण योग्य पैरामीटर (ओएंवएम व्यय, पूंजी निवेश, पूंजीकरण, मूल्यह्रास, आरओसीई आदि) के प्रदर्शन पर सूचना जमा करेगा।

7.8 लाइसेंसधारक संशोधित एआरआर और संगत टैरिफ समायोजन वित्तीय वर्ष के प्रारंभन से 120 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा। संशोधित अनुमान, मूल्यह्रास के आधार पर वास्तविककृत लागतों, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, निर्धारित प्रारूप के अनुसार आपूर्ति लक्ष्यों की गुणवत्ता हेतु निष्पादन संरचना के कार्यान्वन और लक्ष्यों से आगे बढ जाने हेतु प्रोत्साहन तंत्र के कारण अपेक्षित होंगे।

7.9 लाइसेंसधारक समीक्षा के अधीन अवधि के दौरान उपगत पूंजी व्यय और अतिरिक्त पूंजी व्यय का विस्तृत विवरण, लेखा–परीक्षकों द्वारा सम्यक् प्रमाणित, प्रस्तुत करेगी।

7.10 जहां वसूल किया गया टैरिफ वास्तविकीकरण के बाद आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से अधिक है तो लाइसेंसधारक इस प्रकार वसूल की गई अतिरिक्त राशि लाभार्थियों को संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ वापस करेगी।

7.11 जहां वसूल किया गया टैरिफ वास्तविकीकरण के बाद आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित टैरिफ से कम है तो लाइसेंसधारक ऐसी कम वसूल की गई राशि लाभार्थियों से संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ वसूल करेगी।

7.12 कम वसूल की गई अथवा अधिक वसूल की गई राशि लाइसेंसधारक द्वारा, संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर तथा 150 आधार अंकों के योग के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ, आयोग द्वारा वास्तविकीकरण के बाद जारी किए गए टैरिफ आदेश की तिथि से तीन माह के भीतर प्रारंभ होने वाली छह समान किश्तों में वापस या वसूल की जाएगी।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

7.13 नियंत्रण अवधि के अंत में, आयोग समीक्षा करेगा कि क्या इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के कार्यान्वन से उनके अभिप्रेत उद्देश्य हासिल किए जा सके हैं। ऐसा करते समय, आयोग अन्य बातों के साथ उद्योग संरचना, सेक्टर अपेक्षाओं, उपभोक्ता और अन्य स्टेकहोल्डरों की प्रत्याशाओं तथा समय के उस बिंदु पर लाइसेंसधारक की अपेक्षाओं का ध्यान रखेगा। आयोग अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सेक्टर की अपेक्षाओं के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सिद्धांतों को संशोधित कर सकता है।

7.14 द्वितीय नियंत्रण अवधि का अंत तृतीय नियंत्रण अवधि का प्रारंभ होगा तथा लाइसेंसधारी उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जबतक कि आयोग द्वारा अन्यथा अपेक्षित नहीं है। आयोग लाइसेंसधारी के निष्पादन का विश्लेषण द्वितीय नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में करेगा तथा वास्तविक निष्पादन, प्रत्याशित कुशलता सुधारों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि के लिए प्रारंभिक मान निर्धारित करेगा।

क8: आवेदन का निस्तारण

8.1 आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों का संसाधन इन विनियमों और व्यवसाय विनियमों का संचालन के अनुसार करेगा।

8.2 आयोग ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के प्रस्तुतीकरणों, जनता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की आपत्तियों/सुझावों के आधार पर आवेदन ऐसे संशोधनों तथा/अथवा ऐसी शर्तों के साथ स्वीकार कर सकता है, जो न्यायोचित और उपयुक्त समझे जाएं और आवेदन की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर तथा जनता तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की समस्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, एक ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिसमें अन्य बातों के साथ नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन टैरिफ और नियंत्रणीय आइटमों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ट्रांसमिशन व्यापार के लिए अनुमोदित कुल राजस्व आवश्यकता हेतु लक्ष्य दिये गए हैं।

क9 : आवधिक समीक्षाएं

9.1 बहु वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग उत्पन्न होने वाले किन्हीं व्यावहारिक मुद्दों, चिंताओं अथवा अप्रत्याशित परिणामों के संबोधन हेतु, नियंत्रण अवधि के दौरान ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के निष्पादन की आवधिक समीक्षाएं कर सकता है।

9.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा सूचना, नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में आयोग द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के संदर्भ में निष्पादन के आकलन के लिए वास्तविक निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अंश के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। इसमें इसके निष्पादन और लेखा के वार्षिक विवरण होंगे तथा नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित लेखा के साथ साथ निर्धारित प्रारूप में नियामक लेखा और इन विनियमों के अनुसार संगणना टैरिफ शामिल होगा।

9.3 वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के दौरान, आयोग, अनुमोदित पूंजी व्यय के सामने लाइसेंसधारी द्वारा किए गए वास्तविक पूंजी व्यय की प्रगति की वर्षवार निगरानी करेगा। ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा फाइलिंग के साथ किए गए वास्तविक पूंजी व्यय को जमा करेगा।

9.4 आयोग, शेष नियंत्रण अवधि के लिए, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के पूर्वानुमान में कोई संशोधन भी, उनके सविस्तार कारण देते हुए, निदेशित कर सकता है।

क10: विविध

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) लाभों की हिस्सेदारी

10.1 अनुमोदित सीडीएम परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों में हिस्सेदारी निम्नलिखित विधि में होगी, नामतः–

(क) सीडीएम की सकल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंश ट्रांसमिशन प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन के तिथि के बाद पहले वर्ष (12 माह) में परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी;

(ख) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों का हिस्सा 10 प्रतिशत होगा, जिसमें इसके 50 प्रतिशत पहुंचने तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिसके पश्चात प्राप्तियां ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और उपयोक्ताओं द्वारा बराबर अनुपात में बांटी जाएंगी।

विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य

10.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए अर्जित विदेशी ऋण चुकाने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रभावन पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के विवेकानुसार अंश अथवा पूर्ण रूप में व्यवस्था कर सकती है।

10.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य संबंधी व्यवस्था की लागत की वसूली मानकी विदेशी ऋण के सुसंगत, संबंधित वर्ष में वर्षानुवर्ष आधार पर इसके उत्पन्न होने की अवधि में व्यय के रूप में करेगी तथा व्यवस्थाकृत विदेशी ऋण के समक्ष ऐसे विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य के संगत अतिरिक्त रुपया दायित्व की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.4 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा प्रभावन की व्यवस्था जिस सीमा तक करने हेतु सक्षम नहीं है, संबद्ध वर्ष में मानकी विदेशी मुद्रा ऋण के संगत ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान हेतु अतिरिक्त रुपया दायित्व की अनुमति दी जाएगी परंतु शर्त यह है कि यह ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अथवा इसके आपूर्तिदाताओं अथवा ठेकेदारों को प्रदान नहीं की जाती है।

10.5 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी व्यवस्था और विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की लागत वर्षानुवर्ष आधार पर इसके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में वसूल करेगी।

विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की व्यवस्था लागत की वसूली

10.6 विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य की व्यवस्था लागत की वसूली सीधे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं से आयोग के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किए बिना की जाएगी:

परंतु शर्त यह है कि विदेशी मुद्रा दर वैभिन्य अथवा व्यवस्था लागत के आधार पर दावा की गई राशि के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा कोई आपत्ति किए जाने की स्थिति में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी आयोग के समक्ष इसके निर्णय के लिए उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना

10.7 अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन, आयोग समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा उन विभिन्न विषयों, जिनके लिए आयोग को निर्देश देने हेतु इन विनियमों द्वारा शक्तिप्रदान की गई है, तथा उसके संबंधित अथवा आकस्मिक मुद्दों पर अपनाई जाने हेतु प्रक्रिया के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

10.8 इन विनियमों में कुछ भी दिए होने के बावजूद, आयोग को, स्वतः प्रेरित ढंग से अथवा किसी इच्छुक अथवा प्रभावित पक्ष द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर, किसी लाइसेंसधारी के टैरिफ निर्धारण का अधिकार होगा।

कठिनाइयां दूर करने हेतु शक्तियां

10.9 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग एक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, जो इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत नहीं है, कर सकता है अथवा करने का दायित्व ले सकता है अथवा लाइसेंसधारी को करने अथवा ऐसे कार्य करने का दायित्व लेने का निर्देश दे सकता है जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक अथवा समयोचित प्रतीत होते हैं।

शिथिलीकरण की शक्ति

10.10 आयोग लोक हित में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

व्याख्या

10.11 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आयोग का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

आयोग की अंतर्निष्ठ शक्तियों का बचाव

10.12 इन विनियमों में अंतर्निष्ट कुछ भी, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की आयोग की शक्तियों को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से वैभिन्यतापूर्ण है, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों अथवा मामले की श्रेणी के दृष्टिगत और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अलग हटना आवश्यक अथवा समयोचित समझता है।

जांच और अन्वेषण

10.13 इन विनियमों के अधीन सभी जांच, अन्वेषण और न्यायनिर्णय आयोग द्वारा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही के माध्यम से किए जाएंगे।

संशोधन हेतु शक्ति

10.14 आयोग, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, किसी भी समय संशोधन द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किंचित परिवर्तन, परिवर्तन अथवा सुधार कर सकता है।

जयश्री रघुरमन
सचिव

नोट

आयोग ने सार्वजनिक हित में इन विनयमों का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया है. तथापि किसी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को प्रमाणिक माना जाए.

परिशिष्ट–1 : मूल्यह्रास अनुसूची

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	मूल्यह्रास दर (भ्रंशोद्धार मूल्य=10%)
		एसएलएम
क	पूर्ण स्वामित्वाधीन भूमि	0.00%
	पट्टे के तहत भूमि	
ख	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	स्थल की सफाई की लागत के लिए	3.34%
ग	नई खरीदी गई संपत्तियां	
क.	उत्पादन केंद्रों में पीआई तथा मशीनरी	
(i)	जल विद्युत	5.28%
(ii)	भाप–विद्युत एनएचआरबी एवं अपशिष्ट ऊष्मा पुनःप्राप्ति बॉयलर	5.28%
(iii)	डीजल विद्युत एवं गैस संयंत्र	5.28%
ख.	कूलिंग टावर्स और सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स	5.28%
ग.	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक सिस्टम संबंधी हाइड्रोलिक कार्य, जिसमें शामिल हैं:	
(i)	डैम, स्पिलवे वियर्स, नहरें, रीइनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लूम्स व साइफन्स	5.28%
(ii)	रीइनफोर्स्ड कंक्रीट पाइपलाइंस तथा सर्ज टैंक्स, स्टील पाइपलाइंस, स्लूइस गेट्स, स्टील सर्ज (टैंक्स), हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स तथा हाइड्रोलिक कार्य।	5.28%
घ.	स्थायी प्रकार के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग निर्माण, जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है:	
(i)	कार्यालय और शोरूम	3.34%
(ii)	थर्मो– इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	3.34%
(iii)	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	3.34%
(iv)	अस्थायी निर्माण जैसे वुडन स्ट्रक्चर	100.00%
(v)	कच्ची रोड को छोडकर अन्य रोड	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
ड.	ट्रांसफार्मर, कियोस्क सब–स्टेशन इक्विपमेंट एवं अन्य फिक्स उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
(i)	ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) 100 किलो वोल्ट एम्पियर तथा अधिक की रेटिंग सहित	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
च.	स्विचगियर, केबल कनेक्शन्स सहित	5.28%

छ.	तड़ित चालकः	
(i)	स्टेशन टाइप	5.28%
(ii)	पोल टाइप	5.28%
(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	5.28%
ज.	बैटरियां	
(i)	भूमिगत केबल ज्वाइंट बाक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित	5.28%
(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	5.28%
झ.	ओवरहेड लाइंस केबल सपोर्ट सहित	
(i)	फैब्रीकेटेड स्टील पर लाइंस 66 केवी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	5.28%
(ii)	स्टील सपोर्ट पर लाइंस 13.2 केवी से अधिक किंतु 66 केवी से अधिक नहीं टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	5.28%
(iii)	स्टील या रीइनफोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट पर लाइंस	5.28%
(iv)	ट्रीटेड वुड सपोर्ट पर लाइंस	5.28%
ञ.	मीटर	5.28%
ट.	सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल	9.50%
ठ.	एयर कंडीशनिंग प्लांट्सः	
(i)	स्टैटिक	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
ढ.		
(i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपस्कर	6.33%
(iii)	इंटरनल वायरिंग फिटिंग्स और उपकरणों सहित	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स	5.28%
ण.	किराए पर उपकरणः	
(i)	मोटरों के अलावा	9.50%
(ii)	मोटर	6.33%
त.	संचार उपस्कर	
(i)	रेडियो तथा उच्चतर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिस्टम्स	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाइंस तथा टेलीफोन	6.33%
थ.	आईटी उपस्कर	15.00%
द.	ऊपर शामिल नहीं की गयी कोई अन्य संपत्ति	5.28%

परिशिष्ट–II एक माह के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना के लिए प्रक्रिया

1. एक माह के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली उपलब्धता कारक (टीएएफएम) की गणना, संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी और एसएलडीसी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित की जाएगी और प्रत्येक ए.सी. ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए अलग और ट्रांसमिशन शुल्क की साझेदारी के अनुसार समूहीकृत की जाएगी।

2. टीएएफएम, प्रतिशत में (100 – 100 x एनएएफएम) के बराबर होगा जहां एनएएमएफ ट्रांसमिशन प्रणाली / उप–प्रणाली के लिए महीने के लिए प्रति इकाई में गैर–उपलब्धता कारक है।

3. ए.सी. प्रणाली / उप–प्रणाली के लिए एनएएफएम की गणना निम्नलिखित रूप में होगीः

NAFM = [l=1 ΣL (OH l x Ckt. km l x NSC l) + t=1Σ T (OH t x MVA t x 2.5) +
r=1Σ R (OH r x MVAR r x 4)]/THM x [l=1ΣL (Ckt. km l x NSC l)+
t=1ΣT (MVA t x 2.5) + r=1ΣR (MVAR r x 4)]

जहां,

l एक ट्रांसमिशन लाइन सर्किट की पहचान करता है

t एक ट्रांसफॉर्मर / आपस में जोडने वाले ट्रांसफॉर्मर (आईसीटी) की पहचान करता है;

r एक बस रिएक्टर, स्वीचेबल लाइन रिएक्टर या स्टैटिक वीएआर कंपनसेशन (एसवीसी) की पहचान करता है;

L = लाइन सर्किट की कुल संख्या;

T = ट्रांसफॉर्मर और आईसीटी की कुल संख्या;

R = बस रिएक्टर, स्वीचेबल लाइन रिएक्टर और एसवीसी'ज की कुल संख्या;

OH = खंड 5 के अनुसार महीने में कटौती के घंटे या गैर–उपलब्ध घंटे, यदि कोई है, जिसमें बिजली कटौती की अवधि जो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के कारण नहीं है, शामिल नहीं है,

Ckt. km = किमी में एक ट्रांसमिशन लाइन सकिट की लंबाई;

NSC = प्रति फेज सब–कंडक्टर की संख्या;

MVA = एक ट्रांसफॉर्मर / आईसीटी की एमवीए रेटिंग;

MVAR = एक बस–कंडक्टर, स्वीचेबल लाइन रिएक्टर या एक एसवीसी की एमवीएआर रेटिंग (जिस मामले में यह इंटक्टिव और कैपेसिटीव क्षमताओं का योग होगा);

THM = महीने में कुल घंटे;

4. निम्नलिखित कारणों से आउटेज के अंतर्गत ट्रांसमिशन तत्वों को उपलब्ध माना जाएगा:

(क) अन्य ट्रांसमिशन योजना के तत्वों के रख–रखाव या निर्माण के लिए लिया गया शट–डाउन। यदि दूसरा ट्रांसमिशन योजना ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का है, तो एसएलडीसी मानित उपलब्धता अवधि को शामिल काम के लिए उसके द्वारा उचित समझ के अनुसार प्रतिबंधित करेगा।

(ख) एसएलडीसी के दिशा–निर्देश के अनुसार वोल्टेज को प्रतिबंधित करने और स्वीच्ड रिएक्टर के हस्तचालित ट्रिपिंग के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन को स्वीच आफ (बंद) करना।

5. निम्नलिखित आकस्मिक आपात व्यय के लिए ट्रांसमिशन तत्वों के कटौती समय को विचाराधीन अवधि के अंतर्गत तत्व के कुल समय से बाहर निकाला जाएगा।

(क) दैविय कारणों और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे घटनाओं के कारण बिजली में कटौती। हालांकि, एसएलडीसी को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी कि कटौती पूर्वोक्त घटनाओं के कारण था, न कि डिजाइन के विफल होने के कारण, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी पर होगा। तत्व के बहाली के लिए उचित समय पर विचार एसएलडीसी द्वारा किया जाएगा और उचित समय के परे तत्व की बहाली में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा लिया गया कितना भी अतिरिक्त समय को ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के कारण कटौती का समय माना जाएगा। एसएलडीसी, उचित बहाली समय के आकलन के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या किसी विशेषज्ञ से विचार विमर्श कर सकता है। ईआरएस (आपालकालीन बहाली प्रणाली) के माध्यम से बहाल सर्किट को उपलब्ध माना जाएगा।

(ख) ग्रिड घटना/व्यवधान के कारण बिजली कटौती के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को कारण नहीं बनाया जा सकता, उदाहरण के लिए, सब–स्टेशन में त्रुटि या अन्य एजेंसी के खंड के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के तत्व में कटौती और ग्रिड व्यवधान के कारण लाइन का ट्रिप होना, आईसीटी आदि। हालांकि, ग्रिड घटना/व्यवधान के बाद प्रणाली को सामान्य करने के दौरान एसएलडीसी से निर्देश की प्राप्ति के बाद यदि उचित समय में तत्व की बहाली नहीं की गई को तत्व की बहाली के लिए एसएलडीसी से निर्देश जारी होने के बाद कटौती की अवधि के लिए तत्व को उपलब्ध नहीं माना जाएगा।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें विनियम

सं. एफ. 3(290)/टैरिफ/डीईआरसी/2011–12/सी.एफ.3180 . आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने तथा विभिन्न अंशधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के उपरांत और विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2011 अनुमोदित करता है ।

क1: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभन और सीमा

1.1 ये विनियम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (चक्रण टैरिफ एवं खुदरा प्रदाय टैरिफ की पहचान के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2011 कहें जाएंगे।

1.2 ये विनियम 1 अप्रैल, 2012 से लागू होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाए अथवा विस्तारित नहीं की जाए, प्रारंभन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

1.3 ये विनियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होंगे।

क2: परिभाषाएं और व्याख्या

2.1 इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो–

(क) **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), उसके संशोधनों सहित है;

(ख) **'सकल राजस्व की आवश्यकता'** या **'एआरआर'** का अर्थ उस प्रत्येक वित्तीय वर्ष से है, जिसमें इन विनियमों के अनुसार लाइसेंसीकृत व्यवसाय के लिए स्वीकृत की गई संबंधित लागत को टैरिफ से पूरा किया जाता है तथा प्रभार को आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) **'आवंटन विवरण'** का अर्थ उस प्रत्येक वित्तीय वर्ष से है, जिसमें लाइसेंसधारी के प्रत्येक व्यवसाय (चक्रण, खुदरा प्रदाय, अन्य व्यवसाय) से संबंधित विवरण उस किसी भी प्रकार के राजस्व, लागत, संपत्ति, देयता, आरक्षण या प्रावधान आदि की राशि को दर्शाते हों, जिन्हें निम्न में से किसी द्वारा निर्धारित किया गया हो,

(i) लाइसेंसीकृत व्यवसाय सहित लाइसेंसधारी के विभिन्न व्यवसायों के मध्य विभाजन या आवंटन द्वारा और साथ ही विभाजन या आवंटन के विवरण अनुसार निर्धारित, या

(ii) उस प्रभार के विवरण तथा साथ ही ऐसे प्रत्येक अन्य व्यवसाय से या उस पर प्रभारित राशि के अनुसार निर्धारित,

(घ) **'आधार वर्ष'** का अर्थ नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष से ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ङ) **"आयोग"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;

(च) **"व्यवसाय संचालन विनियम"** का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बृहद् (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, है;

(छ) **"नियंत्रण अवधि"** का अर्थ आयोग द्वारा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2015 तक नियत की गई बहु–वर्षीय अवधि है;

(ज) **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ एक कैलंडर वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभ और उसके अनुवर्ती कैलंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है;

(झ) **'लाइसेंस'** का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस से है,

(ञ) **'लाइसेंसीकृत व्यवसाय'** का अर्थ उन कार्यों एवं गतिविधियों से होगा, जो लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों के तहत लाइसेंसधारी के लिए आवश्यक होता है या जिसे अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी समझा जाता है,

(ट) **'लाइसेंसधारी'** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया हो और जिसे लाइसेंसधारी समझा जाएगा,

(ठ) **'गैर–टैरिफ आय'** का अर्थ टैरिफ (चक्रण एवं खुदरा प्रदाय) के अतिरिक्त लाइसेंसीकृत व्यवसाय से संबंधित आय या किसी अन्य व्यवसाय, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज से प्राप्त किसी भी प्रकार की आय के अतिरिक्त आय से संबंधित होता है।

(ड) **'अन्य व्यवसाय'** से अर्थ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 51 के तहत आने वाले वितरण लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय से होता है;

(ढ) **'खुदरा प्रदाय व्यवसाय'** का अर्थ विद्युत के वितरण एवं खुदरा प्रदाय के लिए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होने वाली प्रदाय के क्षेत्र के भीतर उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत के क्रय–विक्रय व्यवसाय से होता है;

(ण) **'खुदरा प्रदाय टैरिफ'** ऐसा टैरिफ होता है जिसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्वतंत्र पहुंच उपभोक्ता के अतिरिक्त उसके स्वयं के उपभोक्ताओं की आपूर्ति करने हेतु प्रभारित किया जाता है, जिसमें चक्रण और खुदरा प्रदाय के लिए प्रभार शामिल होता है;

(त) **'ट्रेडिंग व्यवसाय'** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत की खरीद के व्यवसाय से होता है जिसमें अन्य लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या वितरण लाइसेंसधारी की प्रदाय के क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिए विद्युत की पुनः बिक्री की जाती है;

(थ) **'चक्रण'** का अर्थ उस कार्यवाही से है जिसके द्वारा किसी वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली और उससे संबंधित सुविधाओं का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर विद्युत के हस्तांतरण के लिए किया जाता है

(द) **'चक्रण व्यवसाय'** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी के प्रदाय क्षेत्र में विद्युत के हस्तांतरण हेतु वितरण प्रणाली को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के व्यवसाय से होता है।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

2.3 इन विनियमों के तहत आने वाली सभी कार्यवाहियां व्यवसाय संचालन विनियम द्वारा शासित होंगी ।

क3: विनियमों का दायरा और लागू होने की सीमा

3.1 इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, आयोग निम्न के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा –

(क) विद्युत चक्रण, अर्थात चक्रण टैरिफ;

(ख) विद्युत की खुदरा बिक्री, अर्थात खुदरा प्रदाय टैरिफ;

बशर्ते, दो या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समान क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामले में, वितरण लाइसेंसधारियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, आयोग केवल विद्युत की खुदरा बिक्री हेतु टैरिफ की अधिकतम अंतिम सीमा को निर्धारित करेगा,

बशर्ते, जहां आयोग अधिनियम की धारा 42 के तहत उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी के लिए खुली पहुंच की अनुमति देता है, वहां आयोग चक्रण टैरिफ, क्रॉस–सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज तथा अन्य खुली पहुंच सम्बन्धी प्रभार इन विनियमों और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुंच के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित करेगा।

3.2 इन विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, आयोग सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और निम्न के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा

(क) चक्रण व्यवसाय, और

(ख) खुदरा आपूर्ति व्यवसाय

3.3 चक्रण व्यवसाय के लिए निर्धारित किए गए **एआरआर** को विद्युत की चक्रण के लिए चक्रण टैरिफ को नियत करने हेतु उपयोग किया जाएगा।

3.4 खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए निर्धारित किए गए **एआरआर** को विद्युत की खुदरा बिक्री हेतु खुदरा प्रदाय टैरिफ नियत करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.5 ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

क4: सामान्य दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत

4.1 आयोग एआरआर के अनुमोदन और टैरिफ तथा प्रभार के अपेक्षित राजस्व के लिए बहु वार्षिक टैरिफ रूपरेखा को अपनाएगा।

4.2 बहु वार्षिक टैरिफ रूपरेखा निम्न पर आधारित होगी:

(क) संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए वितरण लाइसेंसधारी की व्यवसायी योजना को नियंत्रण अवधि के आरंभ होने से पहले ही अनुमोदन के लिए आयोग में पेश किया जाएगा;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए अपेक्षित चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ की आवेदक को पूर्व सूचना, आधारभूत वित्तीय और कार्यात्मक मानकों के उचित अनुमानों पर आधारित होती है, जैसा कि व्यवसाय योजना में पेश किया गया हो,

(ग) विशिष्ट प्राचलकों हेतु प्रक्षेप–पथ आयोग द्वारा अनुबद्ध किया जाएगा, जहां आवेदक का निष्पादन प्रोत्साहन और वि–प्रोत्साहन द्वारा सुधारे जाने की जरूरत होगी;

(घ) कार्य–निष्पादन की वार्षिक समीक्षा वास्तविक तुलना के आधार पर संचालित की जाएगी, जो नियंत्रणीय कारकों और अनियंत्रणीय कारकों के निष्पादन में विभिन्नताओं के अनुमोदित पूर्वानुमान और वर्गीकरण पर आधारित होती है,

(ङ) वितरण लाइसेंसधारियों के कार्य–निष्पादन की तुलना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए एटीएवंसी हानि लक्ष्यों से की जाती है, जिसके लिए उचित प्रोत्साहन/दंडित किया जाएगा, और

(च) अनियंत्रित कारकों जैसे बिक्री, ऊर्जा खरीद और नियंत्रणीय कारकों – आरओसीई तथा मूल्यह्रास के कारण राजस्व/लागत में विभिन्नता को वार्षिक तौर पर ठीक किया जाएगा।

चक्रण और खुदरा प्रदाय व्यवसाय का पृथक्करण

4.3 वितरण लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत व्यवसाय के खाते को चक्रण व्यवसाय और खुदरा प्रदाय व्यवसाय से अलग करेगा।

4.4 खातों के पृथक होने तक की अवधि के लिए, लाइसेंसधारी लागत एवं राजस्व के विभाजन के लिए एक आवंटन विवरण तैयार करेगा जो परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्य–प्रणाली से संबंधित व्यवसाय के अनुसार होगा। उस कार्यप्रणाली के साथ आवंटन विवरण को, जो लाइसेंसधारी के प्रबंधन निदेशक/सीईओ द्वारा अनुमोदित की गई नियंत्रण अवधि तक सतत् होना चाहिए, आयोग के अनुमोदन हेतु पेश किया जाएगा।

आधार रेखा

4.5 नियंत्रण अवधि के लिए आधार रेखा मूल्यों (परिचालन और लागत मानदंड) को आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा और पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए मूल्यों के आधार पर, नवीन परीक्षित लेखा, संबंध वर्ष के वास्तविक अनुमान, पूर्वविचार परीक्षण और अन्य कारकों को आयोग द्वारा उपयुक्त माना जाएगा।

4.6 आयोग सामान्य रूप से निष्पादन लक्ष्यों पर पुनः चर्चा नहीं करेगा।

नियंत्रणीय मानदंडों के लक्ष्य

4.7 आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उन आइटमों अथवा प्राचलकों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे जो "नियंत्रण योग्य" समझी जाती हैं तथा जिनमें निम्न शामिल हैं:

(क) एटीएवंसी हानि, जिसे वितरण प्रणाली में उसके सभी उपभोक्ताओं के लिए बिक्री हेतु इकाई इनपुट में और उन इकाईयों के मध्य अंतर के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा जहां इकाईयों को संपादित किया जाना इकाईयों के उत्पाद के बिल और संग्रहण क्षमता के बराबर होगा:

बशर्ते, वे घोषित इकाई बिल उन इकाईयों को शामिल करेगा जिसे वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किए गए चोरी के खाते के अनुसार समझा जाएगा, अर्थात इकाईयों की वह संख्या जिसके अनुसार चोरी के बिलिंग के भुगतान को जारी किया गया हो;

(ख) वितरण हानि, जिसे वितरण प्रणाली को उसके सभी उपभोक्ताओं के लिए बिक्री हेतु नियत इकाई इनपुट में और उसी वर्ष लाइसेंसीकृत क्षेत्र में तैयार किए गए कुल ऊर्जा बिल की राशि के मध्य अंतर के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा;

(ग) संग्रहण क्षमता, जिसे कुल राजस्व के अनुपात के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा जो उसी वर्ष में तैयार किए गए कुल राजस्व बिल के अनुसार होगा:

बशर्ते, विद्युत शुल्क और विलंब भुगतान सरचार्ज से वसूला या प्राप्त किए गए राजस्व को संग्रह क्षमता को संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा;

(घ) कार्यात्मक और प्रबंधन व्यय राशि जिसमें कर्मचारी व्यय, मरम्मत और प्रबंधन व्यय, प्रशासन और सामान्य व्यय राशि तथा अन्य विविध व्यय, जैसे अंकेक्षण शुल्क, किराया, कानूनी शुल्क आदि निहित होते हैं;

(ङ) नियोजित पूंजी पर रिर्टन;

(च) मूल्यह्रास, और

(छ) प्रदाय की गुणवत्ता।

4.8 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किए गए लक्षित एटीएवंसी हानि स्तरों को आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो न्यूनतम मानदंडों, पुरानी विचारधारा, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पेश की गई व्यावसायिक योजना और आयोग द्वारा विचारणीय अन्य कारकों पर आधारित होते हैं।

वितरण लाइसेंसधारी इक्विटी पर रिर्टन की उच्च दर (जिस पर आरओसीई की गणना करते समय विचार किया जाता है) के कारण प्रोत्साहन पाने के योग्य होगा, जैसा कि निम्न एटीएवंसी हानि स्तर को प्राप्त करने के लिए नीचे दर्शाया गया है:

इक्विटी पर अतिरिक्त रिर्टन (%) = (Xi-Yi)/(Xi-1-Xi)

जहां,

$X_i = i^{th}$ वर्ष के लिए लक्षित एटीएवंसी हानि स्तर,

X_i-1= $(i-1)^{th}$ वर्ष के लिए लक्षित एटीएवंसी हानि स्तर,

$Y_i = i^{th}$ वर्ष के लिए वास्तविक एटीएवंसी हानि स्तर:

बशर्ते, एटीएवंसी हानि लक्ष्यों से संबंधित निष्पादन के तहत आने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि लाइसेंसधारी के खाते में जाएगी।

बिक्री पूर्वानुमान

4.9 लाइसेंसधारी आयोग की समीक्षा और अनुमोदन के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक ग्राहक श्रेणियां और उप–श्रेणियों के लिए बिक्री का पूर्वानुमान लगाएगा।

4.10 आयोग अपने औचित्य और अनुकूलता के लिए पूर्वानुमानों की जांच करेगा जो उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोग के स्वरूप, हानियों और पूर्व वर्ष में विद्युत की मांग तथा आने वाले वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और अन्य किसी कारक की वृद्धि पर आधारित होता है, जिस पर आयोग संगत होने का विचार कर सकता है और ऐसे संशोधनों के साथ बिक्री पूर्वानुमानों का अनुमोदन कर सकता है जो नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अनुसार उचित होते हों।

4.11 बिक्री को अनियंत्रणीय के रूप में माना जाएगा।

4.12 विद्युत व्यापारियों या अन्य वितरण लाइसेंसधारियों के लिए यदि कोई विद्युत की बिक्री हो तो उसे अलग से संकलित किया जाएगा;

4.13 वितरण लाइसेंसधारी श्रेणी अनुसार स्वतंत्र पहुंच योग्य ग्राहकों और बिक्री को भी संकलित करेगा। उनके लिए मांग और ऊर्जा वाक्रण को अलग से निम्न हेतु दर्शाया जाएगा:

(क) प्रदाय के क्षेत्र के भीतर प्रदाय और

(ख) प्रदाय के क्षेत्र के बाहर प्रदाय।

पूंजीगत निवेश

4.14 आयोग व्यावसायिक योजना में प्रस्तावित भारी वृद्धि, वितरण हानि में कमी और गुणवत्ता सुधार के अनुरूप नियंत्रण अवधि के लिए लाइसेंसधारियों की पूंजीगत निवेश योजना को स्वीकृत करेगा।

4.15 लाइसेंसधारी द्वारा पेश की गई पूंजीगत निवेश योजना उस चालू परियोजना के विवरण भी उपलब्ध करवाएगी जो नियंत्रण अवधि में और उस नई परियोजना में उपयोग होंगे जिसे नियंत्रण अवधि के दौरान आरंभ किया जाएगा परंतु यह नियत्रण अवधि के अतिरिक्त विस्तृत हो सकता है।

4.16 निवेश योजना क्षेत्र–अनुसार / योजना अनुसार और प्रत्येक क्षेत्र / योजना के अनुसार बनायी जाएगी, जिसमें निम्न शामिल होगा:

(क) निवेश का उद्देश्य (अर्थात् मौजूदा संपत्तियों का प्रतिस्थापन, भारी वृद्धि को प्राप्त करना, तकनीकी हानि में कमी, गैर–तकनीकी हानि में कमी, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, ग्राहक सेवा में सुधार लाना, गुणवत्ता में सुधार और प्रदाय की विश्वसनीयता, आदि)

(ख) पूंजी संरचना;

(ग) पूंजीकरण अनुसूची;

(घ) वित्तीय योजना;

(ङ) लागत–लाभ विश्लेषण;
(च) नियंत्रण अवधि में परिकल्पित निष्पादन सुधार।

4.17 आयोग खर्च किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय, अनुमोदित पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकरण अनुसूची के अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में पूंजीकरण की समीक्षा करेगा। वास्तविक पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण के आधार पर आयोग नियोजित पूंजी पर रिर्टन को और नियंत्रण अवधि के किसी भी वर्ष में मूल्यह्रास की स्थिति को सही करेगा। आयोग किसी भी वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण को सही करने के आधार पर नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों हेतु पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण को संशोधित भी कर सकता है।

4.18 पूंजीगत व्यय को लाइसेंसधारी द्वारा सामान्य रूप से आयोग की स्वीकृति के बाद व्यय किया जाएगा।

4.19 लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट (जहां भी लागू हो) की रसीद और अन्य दस्तावेजों के साथ योजना अनुसार संपत्ति पूंजीकरण के विवरणों को तिमाही आधार पर पेश करेगा, जैसा कि नियोजित पूंजी और मूल्य ह्रास पर रिर्टन की अनुमति के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर वर्णित किया जा सकता है।

प्रदाय और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता

4.20 प्रदाय और ग्राहक सेवा मानदंडों की गुणवत्ता को आयोग द्वारा समय–समय पर अलग से वर्णित किए गए मानदंडों के अनुसार देखा जाएगा। खंड 6.2 में सूचीबद्ध कुछ निश्चित मानदंडों के लिए, आयोग निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में लाइसेंसधारी के कार्य–निष्पादन का निरीक्षण करेगा।

सुधार

4.21 विभिन्न नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय मानदंडों में सुधार को निम्न दिए गए सिद्धांतों के अनुसार संचालित किया जाएगा:
(क) अनियंत्रणीय बिक्री / ऊर्जा खरीद के खाते में राजस्व / व्यय में विभिन्नता को क्रमानुसार प्रत्येक वर्ष ठीक किया जाएगा;
(ख) नियंत्रणीय मानदंडों के लिए,

(i) संचालन और प्रबंधन (ओएवंएम) के खाते पर किसी भी प्रकार की अधिकता या कमी को लाइसेंसधारी की ओर से समझा जाएगा और एआरआर में सही नहीं किया जाएगा, तथा

(ii) नियोजित पूंजी पर मूल्यह्रास और रिर्टन को आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत निवेश योजना (पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण) के अनुसार वास्तविक पूंजीगत व्यय और वास्तविक पूंजीकरण के आधार पर प्रत्येक वर्ष सुधारा जाएगा:
बशर्ते, कार्यशील पूंजी में किसी भी प्रकार की अधिकता या कमी को लाइसेंसधारी की ओर से वहन किया जाएगा और एआरआर में सही नहीं किया जाएगा:
परंतु आगे शर्त यह है कि आयोग ब्याज दर को वास्तविक नहीं बनाएगा, यदि नियंत्रण अवधि के दौरान 1 अप्रैल, 2012 को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में अंतर +/–1 प्रतिशत के भीतर है। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में +/–1 प्रतिशत से अधिक के अंतर को ही वास्तविक बनाया जाएगा।

क5: एआरआर की अवधारणा के लिए सिद्धांत

चक्रण व्यवसाय के लिए एआरआर

5.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारियों के चक्रण व्यवसाय हेतु सकल राजस्व आवश्यकता में निम्न आइटम शामिल होंगे;
(क) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
(ख) नियोजित पूंजी पर रिर्टन;
(ग) मूल्यह्रास;
(घ) आय कर;
(ङ) उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज;
(च) घटाएं: गैर–टैरिफ आय,

(छ) घटाएः अन्य व्यवसायों से प्राप्त आय, और
(ज) घटाएः विद्युत की चक्रण से प्राप्त आय।

खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए एआरआर

5.2 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा प्रदाय व्यवसाय हेतु सकल राजस्व आवश्यकता में निम्न आइटम शामिल होंगे;
(क) बिजली की खरीद की लागत;
(ख) ट्रांसमिशन एवं लोड डिस्पैच प्रभार;
(ग) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;
(घ) नियोजित पूंजी पर रिर्टन;
(ङ) मूल्यह्रास;
(च) आय कर;
(छ) उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज;
(ज) घटाएः गैर–टैरिफ आय,
(झ) घटाएः अन्य व्यवसायों से प्राप्त आय, और
(ञ) घटाएः स्वतंत्र पहुंच ग्राहकों से क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज के खाते पर रसीद।

प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

5.3 संचालन एवं प्रबंधन (ओएवंएम) व्ययों में निम्न शामिल होंगे:
(क) वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान तथा अन्य कर्मचारी लागतें;
(ख) प्रशासनिक एवं सामान्य खर्चे, जिसमें ऋण के बढ़ने से संबंधित व्यय भी शामिल होंगे;
(ग) मरम्मत और अनुरक्षण; तथा
(घ) अन्य विविध खर्चे, सांविधिक उद्ग्रहण और कर (निगम आयकर को छोड़कर)

5.4 लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के लिए ओ. एवं एम. खर्चों को पेश करेगा, जैसा कि बहु वर्षीय टैरिफ फिलिंग प्रक्रिया में वर्णित किया गया है। आधार वर्ष के लिए ओ. एवं एम. व्ययों को नवीन उपलब्ध अंकेक्षण खातों, लाइसेंसधारियों द्वारा बनाए गए व्यावसायिक

योजनाओं, आधार वर्ष के लिए वास्तविक की अनुमानित राशि, पूर्वविचार जांच और आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

5.5 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एआरआर हेतु स्वीकृत ओएवंएम व्ययों को निम्न वर्णित सूत्र का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाएगा:

(क) $O\&Mn = (R\&Mn + EMPn + A\&Gn) * (1 - Xn)$

जहां,

(i) $R\&Mn = K * GFAn\text{-}1$;

(ii) $EMPn + A\&Gn = (EMPn\text{-}1 + A\&Gn\text{-}1) * (INDX)$;

(iii) $INDX = 0.55 * CPI + 0.45 * WPI$;

(iv) n^{th} वर्ष के लिए X_n एक प्रभावी कारक है। X_n के मान को आयोग द्वारा लाइसेंसधारी के आधार पर एमवाईटी टैरिफ क्रम में, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमानित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य किसी भी कारक द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

(v) ईएमपी$_n$ – किसी वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की नियोजित लागत;

(vi) एएवंजी$_n$ – किसी वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की प्रशासनिक एवं सामान्य लागत और

(vii) आरएवंएम$_n$ – किसी वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की रखरखाव एवं प्रबंधन लागत।

जहां,

'K' एक स्थिरांक है (जिसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जा सकता है)। प्रत्येक नियंत्रण अवधि के लिए 'K' के मान को आयोग द्वारा लाइसेंसधारी के आधार पर एमवाईटी टैरिफ क्रम में, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमानित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले अन्य किसी भी कारक द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

INDX – सूचकांकन हेतु प्रयुक्त स्फीति घटक। INDX का मान आधार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का संयोजन होगा।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

5.6 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) को वितरण लाइसेंसधारी को प्रतिफल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाएगा, और यह कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज के अलग भत्तों को उपलब्ध करवाए बिना ही सभी वित्तीय लागतों का भुगतान करेगा।

5.7 विनियमित दर आधार (आरआरबी) का उपयोग उस कुल नियोजित पूंजी की गणना करने के लिए किया जाएगा, जिसमें संपत्ति और कार्यशील पूंजी की वास्तविक लागत, कम संचित मूल्यह्रास शामिल होगा। प्रगति में पूंजी का कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) आरआरबी का भाग नहीं होगा। उपभोक्ता सहयोग, पूंजी सहायता/अनुदान आरआरबी तक पहुंचते हुए कम हो जाएंगे।

5.8 आरआरबी को संगत पूंजीकरण अनुसूची और मानक कार्यशील पूंजी के साथ अनुमोदित पूंजीगत निवेश के आधार पर नियंत्रण अवधि के आरंभ में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा।

5.9 नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष के लिए विनियमित दर आधार की गणना निम्न तरीके से की जाएगी:

$$RRB_i = RRB_{i-1} + \Delta AB_i/2 + \Delta WC_i;$$

जहां,

'i' नियंत्रण अवधि का i^{th} वर्ष होता है, पहली नियंत्रण अवधि के लिए $i = 1,2,3,4$ होता है;

आरआरबीआई: नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष के लिए विनियमित दर आधार होता है;

ΔAB_i: नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष में विनियमित दर आधार में बदलाव। यह घटक वर्ष के आरंभ और अंत में मूल्य का औसत होगा, जैसा कि संपत्ति निर्माण संपूर्ण वर्ष में होगा और निम्न अनुसार उत्पन्न होगा:

$\Delta ABi = Inv_i - D_i - CC_i$;

जहां,

Invi: निवेश को नियत्रण अवधि और स्वीकृत i^{th} वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया जाना प्रस्तावित किया जाता है;

Di: अलग से नियत की गई राशि या नियंत्रण अवधि के वर्ष के लिए निश्चित संपत्तियों के मूल्यह्रास के कारण नियत की गई राशि;

CCi: ग्राहक सहयोग, ΔABi से संबंधित पूंजीगत सहायता/अनुदान तथा सेवा रेखा के निर्माण या नियत संपत्तियों की रचना के लिए नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए पूंजीगत अनुदान/सहायता;

आरआरबी: नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष के पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के लिए विनियमित दर आधार। नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए, आरआरबी i-1, आधार वर्ष अर्थात् आरआरबी के लिए विनियमित दर आधार होगा;

$$RRBO = OCFAO - ADO - CCO;$$

जहां;

OCFAO: आधार वर्ष के अंत पर नियत संपत्तियों की मूल लागत, जो उपयोग के लिए उपलबध होती है और लाइसेंसीकृत व्यवसाय के उद्देश्य के लिए आवश्यक होती है;

ADO: नियत की गई राशि या आधार वर्ष के अंत पर विनियमित व्यवसाय से संबंधित नियत संपत्तियों के मूल्यह्रास के कारण अलग से नियत राशि;

CCO: ओसीएफए से संबंधित कुल योगदान, जिसे उपभोक्ताओं, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वितरण/सेवा रेखाओं के निर्माण की लागत के प्रति पूंजीगत सहयोग/अनुदान के रूप में दिया गया हो और साथ ही इसमें इस उद्देश्य के लिए प्राप्त किए गए अनुदान/सहयोग भी शामिल होते हैं;

ΔWCi: नियंत्रण अवधि के i^{th} वर्ष से $(i\text{-}1)^{th}$ वर्ष में मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता में बदलाव। नियंत्रण अवधि (i=1) के पहले वर्ष के लिए, ΔWC1 को पहले वर्ष के मानक कार्यशील पूंजी आवश्यकता के रूप में लिया जाएगा।

5.10 किसी वर्ष के लिए नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई), की गणना निम्न तरीके से की जाएगी:

$$RoCE = WACCi * RRBi$$

WACCi, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पूंजी की भारित औसत लागत होती है;

RRBi – विनियमित दर आधार वह परिसंपत्ति होती है जो पूंजीकरण और कार्यशील पूंजी के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष पर आधारित होती है।

5.11 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए WACC की गणना निम्न तरीके से नियंत्रण अवधि के आरंभ में की जाएगी:

$$WACC = \left[\frac{D/E}{1+D/E}\right]*rd + \left[\frac{1}{1+D/E}\right]$$

जहां,

डी/ई इक्विटी अनुपात का ऋण होगा तथा टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य के लिए संपत्ति पूंजीकरण हेतु ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत तक होती है, टैरिफ के उद्देश्य के लिए इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष राशि को अंकन ऋण माना जाएगा। 30 प्रतिशत तक इक्विटी की राशि पर ब्याज दर को अंकन ऋण के रूप में माना जाएगा, जिसे संबंधित वर्षों के लिए लाइसेंसधारी के ऋण की भारित औसत दर माना जाएगा और आगे इस विनियमों में इक्विटी पर प्रतिफल के निर्धारित दर पर सीमित किया जाएगा। जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से कम होती है, वास्तविक इक्विटी और ऋण पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते, कार्यशील पूंजीकरण को WACC की गणना के लिए वित्तपोषित 100 प्रतिशत ऋण के रूप में समझा जाएगा;

बशर्ते, 1 जुलाई, 2002 को लागू की गई हस्तांतरण योजना के तहत आने वाली परिसंपत्तियों के लिए इक्विटी अनुपात हेतु ऋण को हस्तांतरण योजना में ऋण और इक्विटी के अनुसार समझा जाएगा;

बशर्ते, 1.04.2012 (हस्तांतरण योजना के तहत आने वाली अन्य परिसंपत्तियां) तक संपत्ति पूंजीकृत के लिए इक्विटी अनुपात हेतु ऋण को पूंजीकरण के समय पर आयोग द्वारा स्वीकृत ऋण और इक्विटी के अनुसार समझा जाएगा।

rd ऋण की लागत होती है तथा इसे लाइसेंसधारी के प्रस्ताव, लाइसेंसधारी द्वारा पहले से ही स्वीकृत ऋण की वर्तमान लागत, क्रेडिट रेटिंग, बेंचमार्किंग तथा अन्य संबंधित कारकों (जोखिम मुक्त प्रतिफल, जोखिम प्रीमियम, मूल उधार दर आदि) पर विचार करने के बाद नियंत्रण अवधि के आरंभ में निर्धारित किया जाएगा;

re इक्विटी पर प्रतिफल होता है और इस पर 16 प्रतिशत के कर पर विचार किया जाता है:

बशर्ते, वितरण व्यवसाय की नियत संपत्ति के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के पारंपरिक निवेश को इक्विटी पर प्रतिफल के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा।

5.12 वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को नियत लाभ पहुंचाने के लिए ऋण के पुनर्वित्तीयन हेतु प्रयासरत रहता है। इस प्रकार के पुनर्वित्तीयन से संबंध लागत को उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा और ऋण के पुनर्वित्तीयन तथा ऋण के ब्याज पर किसी भी प्रकार के लाभ को उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। पुनर्वित्तीयन में ऋण का नवीनीकरण भी शामिल होगा।

5.13 लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की गई किसी भी अधिस्थगन अवधि के मामले में, अधिस्थगन के वर्षों के दौरान टैरिफ में उपलब्ध मूल्यह्रास को उन वर्षों के दौरान ऋण के अंकन पुनः भुगतान के रूप में माना जाएगा और ऋण पर ब्याज की गणना उसके अनुसार की जाएगी।

कार्यशील पूंजी

5.14 विद्युत के चक्रण व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी में निम्न शामिल होगा

(क) चक्रण प्रभारों के दो महीनों के लिए प्राप्य राशियां।

5.15 विद्युत की खुदरा प्रदाय के लिए कार्यशील पूंजी में निम्न शामिल होंगे

(क) विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के दो महीनों तक के लिए प्राप्य राशियां;

(ख) न्यूनः एक माह के लिए विद्युत खरीद लागत;

(ग) न्यूनः एक माह के लिए ट्रांसमिशन प्रभार, और

(घ) न्यूनः दो माह के लिए चक्रण प्रभार।

मूल्यह्रास

5.16 मूल्यह्रास की गणना नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए की जाएगी, जो संबंद्ध वर्ष के विनियमित दर आधार की गणना के लिए विचारणीय नियत परिसंपत्तियों की मूल राशि पर आधारित होगा:

बशर्ते, मूल्यह्रास को उपभोक्ता सहयोग (अर्थात उपभोक्ताओं से प्राप्त कोई भी रसीद जिसे राजस्व के रूप में नहीं माना जाएगा) और पूंजीगत सहयोग / अनुदान द्वारा वित्तपोषित संपत्तियों पर अनुमत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की संपत्तियों के प्रतिस्थापन के प्रावधान को पूंजीगत निवेश योजना में तैयार किया जाएगा;

बशर्ते, लाइसेंसधारी संपत्तियों के वर्ष–अनुसार विवरण को पेश करेगा, जिसे नियम संपत्ति की मूल लागत से निकाल दिया जाएगा;

बशर्ते, पूंजी सामान्य रूप से उपयोगी जीवन के पूर्ण होने से पहले तक समाप्त नहीं होती और लाइसेंसधारी किसी भी संपत्ति के उपयोगी जीवन समाप्त होने के मामले में आयोग से अनुमोदन लेगा;

बशर्ते, लाइसेंसधारी उन संपत्तियों के वर्ष–अनुसार विवरण पेश करेगा, जिसमें उसके उपयोगी जीवन की गणना होगी।

5.17 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्यह्रास का निर्धारण इन विनियमों के परिशिष्ट 1 में वर्णित की गई दरों और अन्य शर्तों के साथ इन विनियमों में दी गई कार्यप्रणाली पर आधारित होगा।

5.18 मूल्यह्रास की गणना वार्षिक तौर पर की जाएगी, जो संपत्ति के उपयोगी जीवन के सीधी रेखा पद्धति पर आधारित होता है। मूल्यह्रास के उद्देश्य के लिए आधार मान संपत्ति की मूल लागत होगा।

5.19 संपत्ति के शेष मूल्य पर 10 प्रतिशत के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्यह्रास को संपत्ति की मूल लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमत किया जाएगा। भूमि कोई मूल्यह्रास संबंधी संपत्ति नहीं है और इसकी लागत को संपत्ति की मूल लागत के 90 प्रतिशत की गणना करते समय निकाल दिया जाएगा:

बशर्ते, यदि लाइसेंसधारी किसी भी समाप्त संपत्ति के निपटान पर शेष मूल्य से कम का भुगतान करता है, तो उसे उस प्रकार की संपत्ति का निपटान करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी।

5.20 मूल्यह्रास को संपत्ति के संचालन के पहले वर्ष से ही प्रभारित किया जाएगा। यदि किसी मामले में, संपत्ति का प्रचालन वर्ष के किसी भाग के लिए होता है, तो मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

5.21 स्वीकृत मूल्यह्रास के अतिरिक्त, वितरण लाइसेंसधारी मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम राशि का हकदार होगा, जिसकी गणना निम्न अनुसार की जाएगी:

AAD = ऋण चुकौती अवधि के आधार पर ऋण (पूंजीगत व्यय के लिए) चुकौती राशि, जिसकी गणना इन विनियमों के आधार पर मूल्यह्रास से ऋण के 1/10 भाग के अधीन राशि को कम करके की जाती है;

बशर्ते, मूल्यह्रास के अधीन अग्रिम राशि की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि किसी निश्चित वर्ष के लिए संचयी चुकौती उस वर्ष के संचयी मूल्यह्रास से अधिक होती हो;

बशर्ते, किसी वर्ष में मूल्यह्रास के अधीन अग्रिम राशि उस वर्ष तक के संचयी चुकौती और संचय मूल्यह्रास के मध्य अंतर तक की सीमा तक प्रतिबंधित होगी।

5.22 संपूर्ण ऋण की चुकौती पर, शेष मूल्यह्रास मूल्य संपत्ति की शेष उपयोगी जीवन तक विस्तारित होगा।

विद्युत अधिप्राप्ति की लागत

5.23 विद्युत खरीद की राशि – आयोग श्रेणी अनुसार बिक्री पूर्वानुमान को स्वीकृत करता है, जो नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंसधारी की विद्युत अधिप्राप्ति आवश्यकता के अनुमान हेतु वितरण हानि प्रक्षेपपथ के साथ लागू होगा।

5.24 वितरण लाइसेंसधारी विद्युत की नियत लागत का भुगतान करने के लिए अनुमति देगा जो आयोग द्वारा स्रोतों से खरीदी जाती है, अर्थात् अंतः राज्य और अंतर्राज्य ट्रेडिंग लाइसेंसधारी, द्विपक्षीय खरीद, थोक प्रदायकर्ता, राज्य निर्माणकर्ता, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक, केंद्रीय उत्पादक स्टेशन, गैर–पारंपरिक ऊर्जा उत्पादक, वितरण लाइसेंसधारी और अन्यों के जेनरेशन व्यवसाय। यह खुदरा प्रदाय व्यवसाय के उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए बिल के प्रस्ताव पर क्रेडिट द्वारा बिल के भुगतान के लिए प्रत्येक स्रोत से उपलब्ध अधिकतम अंकित छूट को ग्रहण करता है;

बशर्ते, वितरण लाइसेंसधारी ऊर्जा अधिप्राप्ति की लागत के उद्देश्य को प्रस्तावित करेगा, जो द्विपक्षीय विनिमय और अनियत आदान–प्रदान (यूआई) लेन–देन के द्वारा जनरेटिंग स्टेशन और नियत राजस्व के लिए वर्णित किए गए फ्यूल समायोजन सूत्र पर आधारित होता है;

बशर्ते, जहां लाइसेंसधारी अनुमोदित की गई ऊर्जा खरीद के भाग का उपयोग करता है या खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए उसके ट्रेडिंग व्यवसाय हेतु आवंटित या सौंपी गई थोक प्रदाय का उपयोग करता है, वहां वितरण लाइसेंसधारी एक आवंटन विवरण प्रदान करेगा जो इस प्रकार की व्यापार गतिविधि में ऊर्जा खरीद की लागत को स्पष्ट रूप से निश्चित करेगी।

5.25 ऊर्जा खरीद की लागत को स्वीकृत करते समय, आयोग विभिन्न स्रोतों से खरीदी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करेगा, जो योग्यता क्रम अनुसूची के सिद्धांतों पर आधारित होगी और उसका प्रेषण सभी प्रदाय के सभी स्वीकृत स्रोतों के स्थान पर आधारित होगा। सभी ऊर्जा खरीद लागतों को तब तक उचित माना जाएगा जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि स्थान क्रम सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है या ऊर्जा को अनुचित दरों पर खरीदा गया है या आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए ऊर्जा अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

5.26 ऊर्जा की किफायती अधिप्राप्ति को बढावा देने के लिए और साथ ही शेष ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अधिक करने के लिए, आयोग वितरण लाइसेंसधारी को प्रोत्साहन देने / दंडित करने की पद्धति अपना सकता है।

5.27 वितरण लाइसेंसधारी की अक्षय खरीद बाध्यता को आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार समय–समय पर जारी किया जाएगा।

एटीएवंसी हानियां

5.28 लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एटीएवंसी हानि में कमी चक्र को प्रस्तावित करेगा। नियंत्रण अवधि के किसी भी वर्ष के लिए, हानि में कमी को नियंत्रण अवधि के लिए एटीएवंसी हानि में कुल कमी के कम–से–कम 30 प्रतिशत होना चाहिए। आयोग नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एटीएवंसी हानि चक्र के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किए गए भुगतानों की जांच करेगा और आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ इसे स्वीकृत करेगा।

5.29 वितरण लाइसेंसधारी प्रदाय का वोल्टेज–अनुसार मूल्यह्रास और वोल्टेज–अनुसार चक्रण टैरिफ के मूल्यह्रास के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वोल्टेज–अनुसार हानियों को भी प्रस्तावित करेगा।

ट्रांसमिशन, लोड डिस्पैच एवं चक्रण प्रभार

5.30 वितरण लाइसेंसधारी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और सिस्टम ऑपरेटर्स को नियत ट्रांसमिशन और लोड डिस्पैच प्रभार का भुगतान करने की अनुमति देगा, जिससे वे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम और उन उपलब्ध लोड डिस्पेच सेवाओं का उपयोग कर सकें जिन्हें सीईआरसी और राज्य आयोगों द्वारा समय–समय पर उचित अनुमोदित टैरिफ के साथ बिल की प्रस्तुति के द्वारा बिलों के भुगतान के लिए प्रत्येक स्रोत से उपलब्ध अधिकतम अंकित कटौती माना जाता है।

5.31 वितरण लाइसेंसधारी चक्रण प्रभारों का भुगतान करने की भी अनुमति देगा, यदि अन्य किसी वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क का उपयोग खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु किया जाता है।

निगम आयकर

5.32 यदि, आयकर का भुगतान वितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंसीकृत व्यवसाय के लिए किया जा सकता है तो इसे नियोजित पूंजी के इक्विटी घटक पर प्रतिफल के कर तक सीमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कर को जारी नहीं किया जाएगा और इसका भुगतान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

5.33 आयकर के वास्तविक मूल्यांकन को कर के लाभों के खाते में लाना चाहिए, और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू आगे की हानियों के लिए जमा शेष को उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।

उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज

5.34 उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज 'दिल्ली विद्युत प्रदाय कोड और निष्पादन मानदंड विनियम, 2007' में आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर आधारित होगा, और इसे एआरआर के माध्यम से लागू किया जाएगा।

गैर–टैरिफ आय

5.35 सभी प्रकार की आय विद्युत व्यवसाय में आकस्मिक होती हैं और लाइसेंसधारी द्वारा स्रोतों से व्युत्पन्न होती हैं, इसमें संपत्तियों के निपटान, किराए, नियत विलंब भुगतान सरचार्ज (विलंब भुगतान सरचार्ज जो विलंब भुगतान सरचार्ज की लागत से कम होता है), मीटर किराया, निवेशों की आय, उपभोक्ता सुरक्षा जमा के निवेश पर आय तथा उपभोक्ताओं की विविध रसीदें शामिल होती हैं परंतु ये इन्हीं तक ही सीमित नहीं है:

बशर्ते, शेयरधारक की निधियों के निवेश से प्राप्त होने वाली आय, यदि कोई हो, गैर–टैरिफ आय में शामिल नही होगी, जो आयोग को लाइसेंसधारी द्वारा पेश की गई आवश्यक विवरित जानकारी की पूर्वविचार जांच के अधीन होगा।

5.36 गैर–टैरिफ आय के खाते पर लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की गई राशि को उस लाइसेंसधारी के नियत राजस्व आवश्यकता की गणना करते हुए सकल राजस्व आवश्यकता से कम कर दिया जाएगा।

लाइसेंसधारी की अन्य आय

5.37 जहां लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में कार्यरत होता है, तो ऐसे व्यवसास से प्राप्त आय की गणना, 'डीईआरसी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी विनियम, 2005 के अन्य व्यवसाय से प्राप्त आय के उपचार' के अनुसार की जाएगी और उसे लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय सकल राजस्व आवश्यकता से कम कर दिया जाएगा;

बशर्ते, लाइसेंसधारी वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसायों के मध्य कुल संयुक्त और सामन्य लागतों के आवंटन के उपयुक्त आधार का पालन करें और टैरिफ के निर्धारण हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आवंटन विवरण को आयोग में आवेदनपत्र के साथ पेश करें;

बशर्ते, यदि इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग इस प्रकार के अन्य व्यवसाय या किसी भी अन्य कारण से राजस्व की सीमा से अधिक होता है तो किसी भी राशि को लाइसेंसधारी के इस प्रकार के अन्य व्यवसाय के खाते में सकल राजस्व आवश्यकता को जोडने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और चक्रण के प्रभारों पर अतिरिक्त सरचार्ज से प्राप्त आय

5.38 क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली राशि, जैसा कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (स्वतंत्र पहुंच की नियम एवं शर्तें) विनियम 2005 द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाता है, को उस उपभोक्ता श्रेणी के अधीन अलग से दिखाया जाएगा जिसे चरणबद्ध योजना के अनुसार स्वतंत्र पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है।

5.39 क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (स्वतंत्र पहुंच की नियम एवं शर्तें) विनियम 2005 के अनुसार स्वतंत्र पहुंच की अनुमति देने वाली उपभोक्ता श्रेणियों से टैरिफ के राजस्व के रूप में दिखाया जाएगा और इस प्रकार की राशि को सहायता प्रदान करने वाली श्रेणियों की क्रॉस–सब्सिडी आवश्यकताओं तथा प्रदाय के लिए लाइसेंसधारियों की नियत लागत आवश्यकता को पूरा करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। लाइसेंसधारी इन विवरणों को अपने वार्षिक भुगतान में प्रदान करेगा।

कार्यप्रणाली को सुधारना

5.40 सुधार को प्रत्येक वर्ष आयोग द्वारा वास्तविक/अंकेक्षण जानकारी तथा पूर्व जांच के आधार पर विनियम 4.21 के अनुसार किया जाएगा,

बशर्ते, यदि इस प्रकार के परिवर्तन व्यापक स्तर पर होते हैं, और इन्हें केवल एक ही वर्ष में पूरा करना संभव नहीं होता, तो आयोग राष्ट्रीय टैरिफ पॉलिसी के खंड 8.2.2 में प्रदान किए गए दिशानिर्देशें के अनुसार एक विनियामक संपत्ति का निर्माण कर सकता है। बशर्ते, व्यवसाय की समान स्थितियों में, आयोग टैरिफ स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, जाहिर न किए गए अंतराल के निष्पक्ष संतुलन को / संबद्ध नियंत्रण अवधि के एआआर में सुधारी गई लागतों को शामिल कर सकता है, बजाए ट्रांसमिशन वित्तीय व्यवस्था या पूंजीकरण को प्रदान करने के बाद नियंत्रण अवधि के संबद्ध वर्ष की सफलता वाले वर्ष को समाहित करना।

क6: प्रदाय एवं सेवाओं की गुणवत्ता

6.1 प्रदार्य की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के मानदंडों को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार निरीक्षित किया जाएगा।

6.2 लाइसेंसधारी संशोधनों सहित दिल्ली विद्युत प्रदाय कोड और निष्पादन मानदंड विनियामक 2007 में वर्णित सभी गुणवत्ता मापदंडों के लिए आधाररेखा और निष्पादन चक्र को प्रस्तावित करेगा।

6.3 आयोग आधाररेखा डेटा की विश्वसनीयता पर मूल्यांकन करेगा और वह नियंत्रण अवधि के लिए प्रत्येक निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार निष्पादन चक्र को प्रस्तावित कर सकता है। आयोग प्रदार्य और सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लाइसेंसधारियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक निष्पादन प्रतिरूप का निर्माण करेगा।

6.4 लाइसेंसधारी प्रपत्र में प्रत्येक मानदंड पर निष्पादन और आयोग द्वारा निर्देशित व्यवहार को पेश करेगा। आयोग गुणवत्ता मापदंडों के साथ लाइसेंसधारी के कार्य–निष्पादन पर समय–समय पर समीक्षा करने का संचालन करेगा।

क7: बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

7.1 बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्तुतीकरण ऐसे रूप और ऐसी विधि में होगा जैसाकि आयोग द्वारा तथा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय किया जाता है।

7.2 लाइसेंसधारी आयोग को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बहु वार्षिक टैरिफ फिलिंग भी पेश करेगा।

नियंत्रण अवधि के लिए बहु–वार्षिक फिलिंग

व्यवसाय योजना प्रस्तुतीकरण

7.3 वितरण लाइसेंसधारी आयोग के अनुमोदन पर नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के 1 अप्रेल दिनांक को या किसी भी उस दिनांक को जिसे आयोग द्वारा बताया जा सकता है, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई किसी व्यावसायिक योजना को फाइल करेगा। व्यावसायिक योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए होगी और उसमें निम्न शामिल होगा,

(क) प्रत्येक ग्राहक वर्ग और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए उप–वर्गों हेतु बिक्री/मांग पूर्वविचार;

(ख) एटीएवंसी हानि में कमी चक्र तथा व्यावसायिक योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए संग्रह क्षमता,

(ग) बिक्री पूर्वविचार पर आधारित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना तथा व्यावसाय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि चक्र। ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में ऊर्जा क्षमता और मांग प्रबंधन मापदंड भी शामिल होने चाहिए;

(घ) पूंजीगत निवेश योजना बिक्री/मांग पूर्वविचार, ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, वितरण हानि चक्र, प्रदाय की गुणवत्ता के लक्ष्यों पर विचार करती है। निवेश योजना राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा दर्शाए गए परिप्रेक्षित नियोजन के संगत होगी, और इसमें संगत पूंजीगत अनुसूची और वित्तीय योजना शामिल होगी;

(ड.) उपयुत पूंजीगत संरचना और वित्त की लागत और इक्विटी पर प्रतिफल, मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तें होंगी, आदि;

(च) आधार वर्ष और पूर्ण विवरणों के साथ आधार वर्ष से पहले के दो वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन लागत, साथ ही व्यवसाय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्वविचार की लागत परिचालन लागत में प्रस्तावित क्षमता पर आधारित होगी, ओएवएम लागत भत्तों के मानदंडों में सूचकांक और अन्य उपयुक्त प्रणालियां शामिल होंगी,

(छ) संपत्ति के उचित जीवन पर आधारित मूल्यह्रास के विवरण तथा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पूंजीगत अनुसूचियां;

(ज) अन्य नियंत्रणीय आइटमों के लिए प्रस्तावित किए गए लक्ष्य, जैसे कार्यशील पूंजी, प्रदार्य लक्ष्यों की गुणवत्ता आदि। लक्ष्य लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित किए गए पूंजीगत निवेश योजना के साथ संगत होंगे;

(झ) अन्य आइटमों के लिए प्रस्ताव, जैसे सूचकांक के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहय मापदंड,

(ञ) व्यवसाय नियोजन अवधि के साथ अन्य फिलिंग, जो 2002–2012 अवधि के लिए लागत एवं राजस्व मानदंडों के डेटा को भी शामिल करती हो।

टैरिफ प्रस्तुतीकरण

7.4 वितरण लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय के अनुमोदन हेतु एक आवेदनपत्र फाइल करेगा, जो नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के आरंभ होने से पहले 120 दिन से या ऐसी किसी दिनांक से कम नहीं होना चाहिए जिसे आयोग द्वारा निर्देशित किया गया हो।

7.5 लाइसेंसधारी पूंजी आधारित चक्रण टैरिफ का प्रस्ताव रखेगा। लाइसेंसधारी प्रणाली में हानि के समायोजन के लिए वोल्टेज अनुसार वितरण हानि को भी निर्दिष्ट करेगा।

7.6 चक्रण टैरिफ के लिए चक्रण में निम्न शामिल होगा:

(क) व्यवसाय योजना के संगत नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण प्रणाली या नेटवर्क उपयोग पूर्वविचार;

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए विद्युत की चक्रण हेतु टैरिफ की गणना करने का प्रस्ताव, जिसमें हानियां और प्रक्रियाएं शामिल होंगी;

(ग) आइटम–अनुसार विवरण एवं वर्णन सहित गैर–टैरिफ हेतु प्रस्ताव;

(घ) परामर्श सेवाएं, अभिसारिता, प्रशिक्षण सुविधाओं आदि जैसे अन्य व्यवसायों से प्राप्त आय के प्रस्ताव;

(ङ.) प्रस्तावित चक्रण टैरिफ वोल्टेज अनुसार होगा;

(च) अतिरिक्त सरचार्ज आदि सहित प्रस्तावित चक्रण टैरिफ से प्राप्त अपेक्षित राजस्व।

7.7 खुदरा प्रदाय के लिए फिलिंग में निम्न शामिल होंगे:

(क) लाइसेंसधारी खुदरा प्रदाय व्यवसाय के संबंध में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव को पेश करेगा, जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग के लिए स्लैब–अनुसार एवं वोल्टेज अनुसार टैरिफ शामिल होंगे। प्रस्तावित टैरिफ ऊर्जा प्रभार, मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार आदि पर भी टैरिफ युक्तिकरण मानदंडों के साथ निर्भर हो सकते हैं।

(ख) आइटम अनुसार विवरण एवं वर्णनों के साथ गैर–टैरिफ आय के प्रस्ताव;

(ग) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पेश किए गए प्रत्येक टैरिफ प्रस्ताव वोल्टेज अनुसार लागत और हानियों पर आधारित उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए लाइसेंसीकृत व्यवसाय की लागत को आवंटित करते हुए सेवा प्रारूप की लागत के साथ समर्थित होंगे;

(घ) लाइसेंसधारी के टैरिफ प्रस्तावों को उन टैरिफ को प्रदर्शित करना चाहिए जो प्रदाय की लागत को क्रमशः प्रदर्शित करते हों;

(ङ) प्रस्तावित खुदरा प्रदाय से प्राप्त अपेक्षित राजस्व और अन्य मामलों पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त तरीके से विचारित किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज आदि भी शामिल होंगे।

नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एपीआर)

7.8 वितरण लाइसेंसधारी अपने निष्पादन की पहुंच के लिए वास्तविक निष्पादन पर वार्षिक समीक्षा के भाग के रूप में जानकारी जमा करेगा, जो नियंत्रण अवधि के आरंभ में आयोग द्वारा अनुमोदित निष्पादन लक्ष्यों के संबंध में होता है। लाइसेंसधारी अनियंत्रणीय मानदंडों (बिक्री, ऊर्जा खरीद, गैर–टैरिफ आय आदि) और नियंत्रणीय मानदंडों (एटीएंटसी हानियां, वितरण हानियां, संग्रह क्षमता, ओएवंएम व्यय, पूंजीगत निवेश, पूंजीकरण, मूल्यह्रास, आरओसीई आदि) के कार्य–निष्पादन पर जानकारी पेश करेगा।

7.9 लाइसेंसधारी संशोधित एआरआर पेश करेगा और साथ ही वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले के 120 दिनों के संगत टैरिफ समायोजन प्रस्तुत करेगा। संशोधित अनुमान अनियंत्रणीय विभिन्नताओं, संशोधित बिक्री तथा ऊर्जा खरीद अनुमान, मूल्यह्रास, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, लक्ष्यों से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रणाली, तथा वर्णित स्वरूपों के अनुसार प्रदाय लक्ष्यों की गुणवत्ता हेतु निष्पादन स्वरूप के क्रियान्वयन के खाते पर लागत में सुधार करने हेतु आवश्यक होगा।

नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

7.10 नियंत्रण अवधि के अंत में, आयोग यह जांच करेगा कि इन विनियमों में दिए गए सिद्धांतों के क्रियान्वयन को अभिप्रेत लक्ष्यों हेतु प्राप्त किया गया है या नहीं। ऐसा करते हुए, आयोग अन्य बातों के साथ उद्योग संरचना, क्षेत्र आवश्यकता, उपभोक्ता और अन्य स्टेकहोल्डर्स की अपेक्षाओं तथा लाइसेंसधारी की उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा। अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर, आयोग अगली नियंत्रण अवधि के सिद्धांतों को संशोधित कर सकता है।

7.11 नियंत्रण अवधि का अंत आने वाली नियंत्रण अवधि का आरंभ होगा और लाइसेंसधारी उस समान प्रक्रिया का ही अनुसरण करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा इसमें कोई बदलाव न हो। आयोग नियंत्रण अवधि के आरंभ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संबंध में लाइसेंसधारी के कार्य–निष्पादन का विश्लेषण करेगा तथा वास्तविक निष्पादन के आधार पर अपेक्षित क्षमता सुधार और अन्य प्रचलित कारक आने वाली नियंत्रण अवधि के आरंभिक मूल्यों का निर्धारण करेंगे।

क8: सामाजिक कारणों के लिए सरकारी सहायता

8.1 उपभोक्ताओं की कोई भी श्रेणी, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे वाले उपभोक्ता हो, स्कूल हो या कोई अस्पताल आदि, वे सरकारी सहायता को सब्सिडी के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, वे इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार से मांग करेंगे। यह इच्छुक उपभोक्ताओं के किसी वर्ग के लिए सब्सिडी देने पर विचार करने हेतु दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार का अधिकार होगा;

बशर्ते, सामाजिक कार्यों के लिए राशि और नियंत्रण अवधि के किसी निश्चित वर्ष के लिए सब्सिडी का भुगतान कम से कम चार बराबर तिमाही किस्तों या अवधि के अग्रिम में, जो भी लागू हो के रूप में किया जाएगा;

बशर्ते, राज्य सरकार का कोई भी इस प्रकार का अधिकार तब तक क्रियाशील नहीं होगा, यदि सब्सिडी के भुगतान को इस अनुभाग में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया ज़ाता तथा आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ ऑर्डर के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

क9: आवेदन का निस्तारण

9.1 आयोग इन विनियमों के अनुसार और व्यवसाय विनियमों के आचरण के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करेगा।

9.2 वितरण लाइसेंसधारी के नियमों, उद्देश्यों /जनता और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझावों के आधार पर, आयोग ऐसे संशोधनों और/या ऐसी स्थितियों के साथ आवेदन को स्वीकार कर सकता है जिन पर विचार किया जा सकता है या जिन्हें उपयुक्त समझा जा सकता है। और आवेदन की रसीद के 120 दिनों के भीतर की समस्याओं तथा जनता और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सभी सुझावों और उद्देश्यो पर विचार करने के बाद, ऑर्डर में नियंत्रणीय आइटमों के अंतर्निहित लक्ष्यों और चक्रण व्यवसाय के लिए अनुमोदित एआरआर तथा चक्रण टैरिफ और खुदरा प्रदाय टैरिफ के साथ खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए एआआर होते हैं।

क10 : आवधिक समीक्षाएं

10.1 बहु वार्षिक टैरिफ प्रतिरूप के सुगम क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान लाइसेंसधारी के निष्पादन की आवधिक समीक्षाएं कर सकता है, जिसमें किसी व्यावहारिक समस्याओं, मुददों या अपेक्षित परिणामों की समीक्षाएं की जा सकती हैं।

10.2 वितरण लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के आरंभ में आयोग द्वारा अनुमोदित लक्ष्यों के विषय में कार्य–निष्पादन को प्राप्त करने के लिए वास्तविक निष्पादन पर वार्षिक समीक्षा के रूप में जानकारी को प्रस्तुत करेगा। इसमें इसके निष्पादन के और नवीन अंकेक्षण खातों सहित खातों के वार्षिक विवरण शामिल होंगे और साथ ही निर्धारित स्वरूपों में विनियामक खातों और इन विनियमों के साथ कार्यकारी टैरिफ के विवरण भी शामिल होंगे।

10.3 लाइसेंसधारी संशोधित सकल राजस्व आवश्यकता और वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले के 120 दिनों के संगत टैरिफ समायोजन को प्रस्तुत करेगा।

10.4 आयोग समान वर्णित कारणों के साथ नियंत्रण अवधि के शेषफल के लिए वितरण लाइसेंसधारी के पूर्वविचार में किसी भी प्रकार के संशोधनों को भी निर्दिष्ट करेगा।

क11: पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए सुधार

11.1 निष्पादन समीक्षा तथा 2011–12 वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारी की विविधताओं के समायोजन को उस अवधि के लागू एमवाईटी विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान विचारणीय समझा जाएगा।

क12: विविध

आदेश और अभ्यास निर्देश जारी करना

12.1 अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन, आयोग समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा उन विभिन्न विषयों, जिनके लिए आयोग को निर्देश देने हेतु इन विनियमों द्वारा शक्तिप्रदान की गई है, तथा उसके संबंधित अथवा आकस्मिक मुददों पर अपनाई जाने हेतु प्रक्रिया के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।

12.2 इन विनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, आयोग के पास किसी भी लाइसेंसधारी के टैरिफ का निर्धारण करने के लिए रूचिकर या प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए निवेदन का अधिकार होता है।

कठिनाइयां दूर करने हेतु शक्तियां

12.3 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, आयोग एक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, जो इन विनियमों के प्रावधानों के असंगत नहीं है, कर सकता है अथवा करने का दायित्व ले सकता है अथवा लाइसेंसधारी को करने अथवा ऐसे कार्य करने का दायित्व लेने का निर्देश दे सकता है जो कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक अथवा समयोचित प्रतीत होते हैं।

शिथिलीकरण की शक्ति

12.4 आयोग लोक हित में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

व्याख्या

12.5 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आयोग का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

आयोग की अंतर्निष्ठ शक्तियों का बचाव

12.6 इन विनियमों में अंतर्विष्ट कुछ भी, एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की आयोग की शक्तियों को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से वैभिन्यतापूर्ण है, यदि आयोग, मामले की विशेष परिस्थितियों अथवा मामले की श्रेणी के दृष्टिगत और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अलग हटना आवश्यक अथवा समयोजित समझता है।

जांच और अन्वेषण

12.7 इन विनियमों के अधीन सभी जांच, अन्वेषण और न्यायनिर्णय आयोग द्वारा व्यवसाय विनियमों का संचालन के प्रावधानों के अनुसरण में कार्यवाही के माध्यम से किए जाएंगे।

संशोधन हेतु शक्ति

12.8 आयोग, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, किसी भी समय संशोधन द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में किंचित परिवर्तन, परिवर्तन अथवा सुधार कर सकता है।

जयश्री रघुरमन

सचिव

नोट

आयोग ने सार्वजनिक हित में इन विनयमों का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया है. तथापि किसी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को प्रमाणिक माना जाए.

परिशिष्ट–I : मूल्यह्रास अनुसूची

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (%)
1	पूर्ण स्वामित्वाधीन भूमि	असीमता	0
2	पट्टे के तहत भूमि		
(क)	भूमि में निवेश के लिए	पट्टे की अवधि या पट्टे के नियतन पर बची हुई समय–सीमा की अवधि	0
(ख)	स्थल की सफाई की लागत के लिए	साइट की क्लीनिंग की तिथि तक पट्टे की बची हुई समय–सीमा अवधि	0
3	नई खरीदी गई संपत्तियां		
(क)	संयंत्र फाउंडेशन सहित स्टेशनों को बनाने में संयंत्र और मशीनरी		
(i)	जल विद्युत	35	2.57
(ii)	भाप–विद्युत एनएचआरबी एवं अपशिष्ट ऊष्मा पुनःप्राप्ति बॉयलर / संयंत्र	25	3.60
(iii)	डीजल विद्युत एवं गैस संयंत्र	15	6.00

(ख)	कूलिंग टावर्स और सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स	25	3.60
(ग)	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक सिस्टम संबंधी हाइड्रोलिक कार्य, जिसमें शामिल हैं:		
(i)	डैम, स्पिलवे वियर्स, नहरें, रीइनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लूम्स व साइफन्स	50	1.80
(ii)	रीइनफोर्स्ड कंक्रीट पाइपलाइंस तथा सर्ज टैंक्स, स्टील पाइपलाइंस, स्लूइस गेट्स, स्टील सर्ज टैंक्स, हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व्स तथा हाइड्रोलिक कार्य।	35	2.57
(घ)	स्थायी प्रकार के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग निर्माण, जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया है:		
(i)	कार्यालय और शोरूम	50	1.80
(ii)	थर्मो– इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	25	3.60
(iii)	हाइड्रो–इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट युक्त	35	2.57
(iv)	अस्थायी निर्माण जैसे वुडन स्ट्रक्चर	5	18.00
(v)	कच्ची रोड़ को छोड़कर अन्य रोड़	50	1.80
(vi)	अन्य	50	1.80
(ङ)	ट्रांसफार्मर, कियोस्क सब–स्टेशन इक्विपमेंट एवं अन्य फिक्स उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)		
(i)	ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) 100 किलो वोल्ट एम्पियर तथा अधिक की रेटिंग सहित	25	3.60
(ii)	अन्य	25	3.60
(च)	स्विचगियर, केबल कनेक्शन्स सहित	25	3.60
(छ)	तड़ित चालक:		
(i)	स्टेशन टाइप	25	3.60
(ii)	पोल टाइप	15	6.00
(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	35	2.57
(ज)	बैटरियां	5	18.00
(झ)	भूमिगत केबल ज्वाइंट बाक्स तथा डिस्कनेक्टेड बाक्स सहित	35	2.57
(ञ)	केबल डक्ट सिस्टम	50	1.80
(ट)	ओवरहेड लाइंस केबल सपोर्ट सहित		
(i)	फैब्रीकेटेड स्टील पर लाइंस 66 केवी से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	35	2.57
(ii)	स्टील सपोर्ट पर लाइंस 13.2 केवी से अधिक किंतु 66 केवी से अधिक नहीं टर्मिनल वोल्टेज पर आपरेटिंग	25	3.60
(iii)	स्टील या रीइनफोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट पर लाइंस	25	3.60
(iv)	ट्रीटेड वुड सपोर्ट पर लाइंस	25	3.60
(ठ)	मीटर	15	6.00
(ड)	सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल	5	18.00
(ढ)	एयर कंडीशनिंग प्लांट्स:		
(i)	स्टैटिक	15	6.00
(ii)	पोर्टेबल	5	18.00
(ण)			
(i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	15	6.00
(ii)	कार्यालय उपस्कर	15	6.00
(iii)	इंटरनल वायरिंग फिटिंग्स और उपकरणों सहित	15	6.00
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स	15	6.00
(त)	किराए पर उपकरण:		
(i)	मोटरों के अलावा	5	18.00
(ii)	मोटर	15	6.00
(थ)	संचार उपस्कर		
(i)	रेडियो तथा उच्चतर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिस्टम्स	15	6.00
(ii)	टेलीफोन लाइंस तथा टेलीफोन	15	6.00
(द)	पुरानी खरीदी हुई संपत्तियां और वे संपत्तियां जो इस अनुसूची में अन्यथा उपलब्ध नहीं करवायी गई हैं	प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा निर्धारित की गई ऐसी उपयुक्त अवधि में स्वामी द्वारा अधिग्रहण के समय पर संपत्ति की प्रकृति, अवस्था और शर्तों को महत्व प्रदान किया जाता है	

परिशिष्ट 2: चक्रण और खुदरा प्रदाय व्यवसाय के मध्य लागत का पृथक्करण

किसी वितरण कंपनी की प्रारूपिक भूमिकाः

1. **वितरण चक्रण कार्य** उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम (ट्रांसमिशन की समाप्ति 66 के. वी.पर) से विद्युत के हस्तांतरण को शामिल करता है। पारंपरिक रूप से वायर व्यवसाय (ट्रांसमिशन 'जनरेटर समाप्ति' पर होता है) को 'ग्राहक छोर' के भाग के रूप में वर्णित करता है। इसमें पोल, वायर, ट्रांसफॉर्मर आदि के नेटवर्क की सेटिंग करना शामिल होता है, जिससे विद्युत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएं मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार होती है:
   - (क) वास्तविक नेटवर्क की स्थापना करना – पोल, वायर, ट्रांसफॉर्मर आदि जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत की प्रदाय की जा सके
   - (ख) नेटवर्क पोल, वितरण वायर कंपनी की स्थापना करने के लिए सही मार्ग अपनाने के लिए अनुमति लेने हेतु स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए
   - (ग) नए कनेक्शन – नेटवर्क का विस्तारण या स्थापना, ताकि सिस्टम में नए क्षेत्र लोड को जोड़ा जा सके – चाहे विकास के बढ़ने का विषय हो या घटने का
   - (घ) नेटवर्क के प्रबंधन का विषय – यह सुनिश्चित करना कि नेटवर्क अच्छी स्थिति में हो, जो किसी भी समय विद्युत की पर्याप्त प्रदाय करने हेतु उपलब्ध हो
   - (ड.) प्रदाय की गुणवत्ता – उचित कंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर लोडिंग, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव को प्रबंधित करना, जिससे उपभोक्ता पर्याप्त ऊर्जा के प्रति सुनिश्चित हो जैसे सुनिश्चित वोल्टेज, सुनिश्चित एम्पेयर और फ्रीक्वेंसी

2. **खुदरा प्रदाय कार्य** को मर्चेन्ट कार्य भी कहा जाता है। खुदरा का अर्थ अंतिम उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री और वितरण व्यवसाय से होता है। इनमें निम्न मुख्य गतिविधियां निहित होती हैं।
   - (क) थोक व्यापारी या थोक आपूर्तिकर्ता से विद्युत की अधिप्राप्ति (जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है, जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी सीधी ही विभिन्न वोल्टेज पर वायरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी।
   - (ख) विद्युत का सिद्धांत
   - (ग) विद्युत की बिक्री में निम्न वाणिज्यिक कार्य भी शामिल होंगे
   - (घ) निश्चित प्रभार के भुगतान पर उपभोक्ताओं को नेटवर्क का कनेक्शन और सेवा प्रकार (एलटी – घरेलू, वाणिज्यिक, निश्चित वोल्टेज का उद्योग और एचटी – कलोनियां, इंडस्ट्रियां, रेलवे आदि) के श्रेणीगत आधार पर लोड के समान किया का वितरण ऊर्जा की खपत के लिए करना।
   - (ड.) उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली की मीटरिंग – उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाना, उनका रखरखाव करना, नियमित अंतरालों पर मीटर की रीडिंग करना और ऊर्जा के लेखांकन पर बिजली को सुनिश्चित करना
   - (च) वाणिज्यिक हानियों का लेखांकन करना – इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा की खपत होगी परंतु इसका बिल नहीं होगा, क्योंकि या तो उपभोक्ता का खाता नहीं है या मीटर की रीडिंग सही से नहीं की गई है या मीटर सही से काम नहीं कर रहा हो या उपभोक्ताओं द्वारा सीधे तौर पर बिजली की चोरी की जा रही हो।
   - (छ) विद्युत प्रदाय का बिल बनाना – जो कनेक्टिड लोड, लोड कारक, ऊर्जा मांग, प्रदायत ऊर्जा, उपभोक्ता सेवा आदि जैसे विभिन्न कारकों पर अक्सर निर्भर करता है और आवधिक अंतरालों पर विनियामक द्वारा अनुमोदित किया जाता है
   - (ज) बिलों का एकत्रण – उपभोक्ताओं के शेष का संग्रहण करने का प्रतिरूप तैयार करना, जैसे अनुभाग कार्यालय, बूथ, मोबाइल वैन, इंटरनेट, चेक ड्रॉप बॉक्स, खातों में ऑटो–डेबिट आदि।
   - (झ) सेवा का वियोजन – जो उपभोक्ता के साथ कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार होता है, प्रदायकर्ता उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान न करने की अनुमति देता है। पुनःकनेक्शन को शेष जमा राशि तथा पुनःकनेक्शन प्रभार के भुगतान चुकाने के बाद संभव बनाया जा सकता है

चक्रण एवं खुदरा प्रदाय में वितरण का पृथक्करण

वितरण कंपनी की कुल लागत में निम्न शामिल होता है:

1. विद्युत की खरीद
- (क) क्षमता प्रभार
- (ख) ऊर्जा प्रभार

2. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय
- (क) कर्मचारी लागतें
- (ख) प्रशासनिक लागतें
- (ग) आरएवंएम लागतें

3. पूंजी लागत
- (क) मूल्यह्रास
- (ख) ब्याज प्रभार
- (ग) प्रतिफल

लागत आबंटन

प्रस्तावित आवंटन उस आधार वाक्य पर आधारित होता है जिसमें उपभोक्ता मीटर का वितरण ढांचा वायर व्यवसाय के भाग के रूप में निर्भर होता है और उपभोक्ता के मीटर से वितरण ढांचा खुदरा प्रदाय व्यवसाय का एक भाग होता है। चक्रण और खुदरा प्रदाय के मध्य व्यय के आवंटन के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण को निम्न वर्णित किया गया है:

1. विद्युत की खरीद

ट्रांसमिशन प्रभार सहित संपूर्ण ऊर्जा खरीद लागत को खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए आवंटित किया जाएगा।

2. पूंजीगत लागत का आवंटन

पूंजीगत लागत को आवंटित करने के लिए, यह आवश्यकता होता है कि चक्रण और खुदरा प्रदाय व्यवसाय में वितरण कंपनी के तहत कुल संपत्तियों को विभाजित किया जाए।

वितरण कंपनी खुदरा प्रदाय (हालांकि खुदरा प्रदाय संपत्ति संख्या में कम होगी) से संबंधित संपत्तियों की पहचान करेगा और वितरण व्यवसाय के लिए शेष संपत्ति को आवंटित करेगा। मुख्य घटक जो किसी खुदरा प्रदाय कंपनी की संपत्ति किताब में वर्णित होंगे, वे मीटर और बिलिंग उपकरण (कंप्यूटर आदि) होंगे।

अधिकतर संयंत्र और मशीनरी तथा लाइनें और केबल आधारित संपत्तियां वितरण संपत्तियों के भाग होंगे, जिन्हें वितरण व्यवसाय के लिए आवंटित किया जा सकता है। अन्य नियत संपत्तियां जैसे बिल्डिंग, ऑफिस उपकरण, फर्नीचर और फिक्चर, वाहन आदि को प्रमुख उपयोग अवधारणा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है।

(क) मूल्यह्रासः प्रत्येक कार्य की नियत संपत्ति के आवंटन के आधार पर, प्रत्येक संपत्ति के मूल्यह्रास को क्रमशः उप–समूहों में आवंटित किया जा सकता है।

(ख) ब्याज एवं वित्तीय प्रभारः वितरण कंपनी या तो प्रत्येक व्यवसाय हेतु लिए गए ऋण को निर्धारित करेगा जो व्यवसाय की प्रकृति पर आधारित होगा या संपत्ति आवंटन के अनुपात के आधार पर आवंटित करेगा। ब्याज एवं वित्तीय प्रभारों को निर्धारित ऋण के आधार पर संबंधित कार्य हेतु प्रभारित किया जा सकता है।

(ग) प्रतिफलः प्रतिफल को चक्रण तथा खुदरा प्रदाय व्यवसाय के मध्य नियत संपत्तियों के प्रस्तावित अनुपात पर आवंटित किया जाएगा।

3. **संचालन एवं प्रबंधन (ओएवंएम) व्यय**

ओएवंएम व्ययों के लिए प्रस्तावित आवंटन को निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है:

(क) नियोजित लागतः खुदरा प्रदाय व्यवसाय के तहत नियोजित आवश्यकता के आधार पर नियोजित लागत को अलग करना। वितरण कंपनी उस नियोजन की संख्या का मूल्यांकन कर सकती है जो खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए आवंटित की जा सकती है। इस मूल्यांकन को अंगूठे के नियम के आधार पर किया जा सकता है:

i. ऊर्जा खरीद टीम/प्रभाग को खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए आवंटित किया जा सकता है,

ii. मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में शामिल कर्मचारियों की संख्या को खुदरा प्रदाय व्यवसाय के लिए आवंटित किया जा सकता है, और

iii. कोई भी अन्य जिसे वितरण कंपनी प्रासंगिक समझती हो।

शेष कर्मचारियों को चक्रण व्यवसाय के लिए समझा जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी कर्मचारियों की सूची को विभिन्न स्तरों पर संकलित करेगा और समान को उक्त वर्णित दृष्टिकोण के लिए आवंटित करेगा। इसके बाद नियोजित लागत स्वतः ही चक्रण और खुदरा प्रदाय के मध्य आवंटित हो जाएगी, जो संबंधित व्यवसाय हेतु आवंटित नियोजनों पर आधारित होगा। नियोजित पूंजीकरण पर चक्रण व्यवसाय के एआरआर में विचार किया जाएगा।

(ख) एएवंजी लागतः विद्युत खरीद, मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण, खुदरा प्रदाय व्यवसाय से संबंधित ऋण पर वित्तीय व्ययों से संबद्ध एएवंजी व्ययों को खुदरा प्रदाय व्यवसाय हेतु आवंटित किया जाएगा। टेलीफोन, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पट्टे का किराया आदि जैसे कार्यालय खर्चों को प्रमुख उपयोग अवधारणा के आधार पर चक्रण और खुदरा प्रदाय व्यवसाय के मध्य विभाजित किया जाएगा।

(ग) आरएवंएम व्ययः आरएवंएम व्ययों को चक्रण एवं खुदरा प्रदाय व्यवसाय के मध्य नियत संपत्ति के प्रस्तावित अनुपात पर आवंटित किया जाएगा। अधिक सटीकता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, आबंटन को चक्रण तथा खुदरा प्रदाय व्यवसाय के तहत वर्गीकृत अनुपात में आने वाले निश्चित संपत्ति वर्ग से संबंधित आरएवंएम उप–प्रधान को आवंटित करते हुए विभाजित किया जाना चाहिए, अर्थात् आरएवंएम (संयंत्र एवं मशीनरी) को चक्रण एवं खुदरा प्रदाय व्यवसाय के तहत वर्गीकृत संयंत्र और मशीनरी के सकल नियत संपत्ति मूल्य के अनुपात में आवंटित किया जा सकता है।

अन्य/विविध व्यय

उपरोक्त वर्णित व्ययों के अलावा, खुदरा प्रदाय व्यवसाय उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज, यूआई प्रभार, एलपीएससी के वित्तपोषण के लिए व्ययों हेतु भी जिम्मेदार होगा।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2012

Regulations on Terms & Conditions for Determination Generation Tariff

No. F. 3(290)/Tariff/DERC/2011-12/C.F. 3180 – The Commission having deliberated on the draft Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations 2011 and after having considered the responses received from various stakeholders and in exercise of powers vested under the Electricity Act, 2003, hereby approves the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011.

A1: SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT

1 These Regulations shall be called "Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011".

2 These Regulations shall extend to the whole of National Capital Territory of Delhi.

3 These Regulations shall come into force on April 1, 2012 and unless reviewed earlier or extended by the Commission shall remain in force for a period of three year from the date of commencement.

4 Provided that where a Project, or a part thereof, has been declared under commercial operation before the date of commencement of these Regulations and whose Tariff has not been finally determined by the Delhi Electricity Regulatory Commission till that date, tariff in respect of such Project or such part thereof, as the case may be, for the period ending 31.3.2012 shall be determined in accordance with the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2007.

A2: DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1 In these Regulations, unless the context otherwise requires-

(i) "**Act**" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;

(ii) "**Additional Capitalisation**" means the capital expenditure incurred or projected to be incurred, after the date of commercial operation of the project and admitted by the Commission after prudence check, subject to provisions of clause A6:8, A6:10 of these Regulations ;

(iii) "**Applicant**" means a generating company who has made an application for determination of tariff or an application for annual performance review in accordance with the Act and these Regulations and includes a generating company